खण्ड-316, अंक-4
शुक्रवार, 28 चैत्र, शक संवत् 1897
(18 अप्रैल, 1975 ई0)

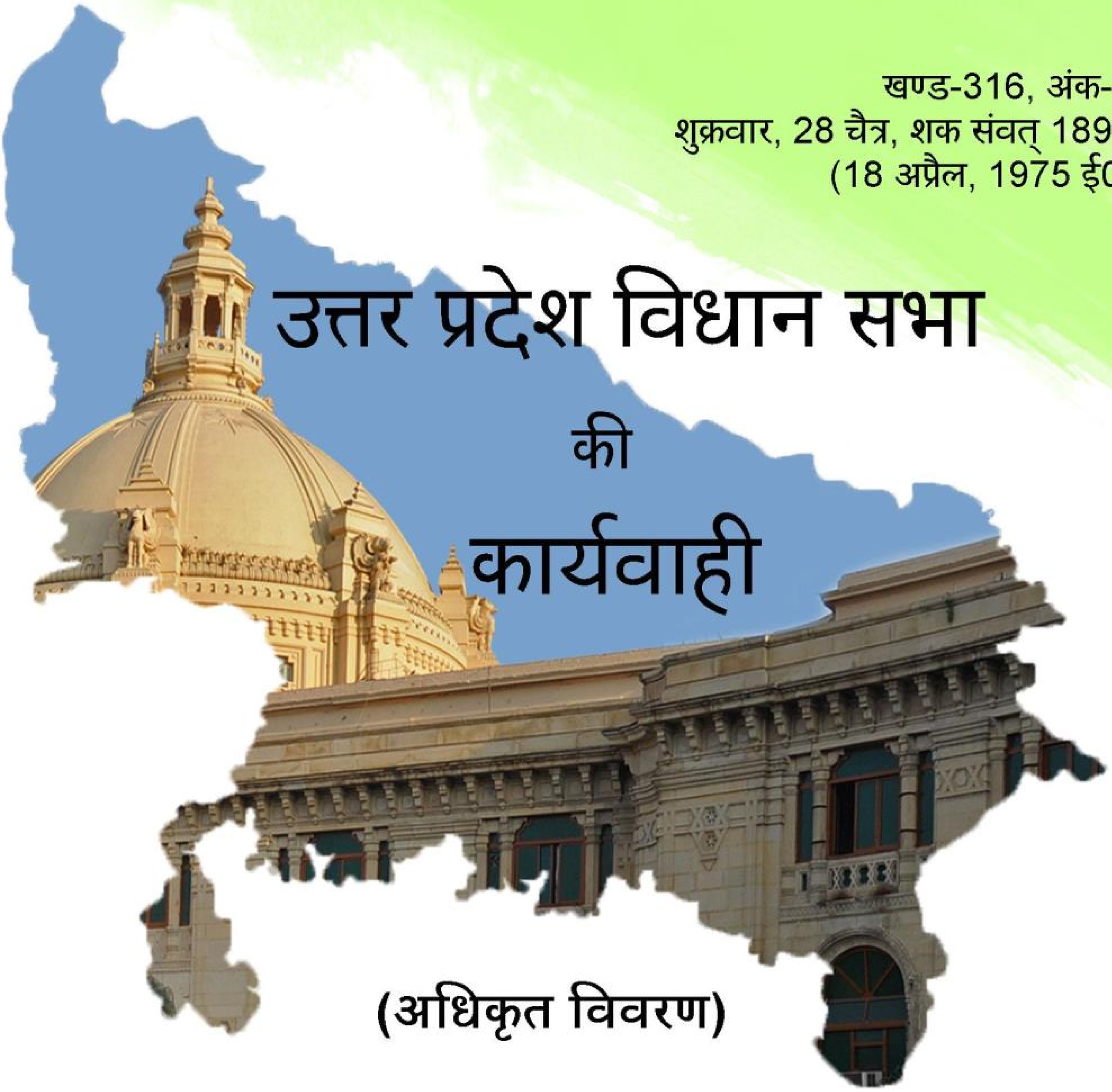

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 316 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १८ अप्रैल, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४२

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमीमियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नश्तर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपाशंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री

प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल्देव, श्री
बांकेलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणबीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी

रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतारसिंह भदौरिया, श्री
रामग ीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्स सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामरेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसमुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री

अनुपूरक प्रश्न संख्या

शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामबिहारी सिंह, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—लघु उद्योग मन्त्री, श्री इस्तफा हुसैन भी उपस्थित थे।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १८ अप्रैल, १९७५

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

वन विभाग की सांख्यिकीय सेवा के कर्मचारियों की अर्हतायें एवं नियुक्ति का आधार

*१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या वन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन विभाग की सांख्यिकीय सेवा के कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और सांख्यिकीय सेवा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति किस प्रकार की जाती है तथा उनके लिये कोई अर्हतायें निर्धारित हैं, या नहीं ?

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जी नहीं। अब बनाये जा रहे हैं। सांख्यिकीय सेवा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति या प्रोन्नति की प्रक्रिया तथा उनकी अर्हताओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(देखिय नत्थी "क" आगे पृष्ठ ३६५–३६७ पर।)

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों का चयन किया गया है, जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया है, तो क्या उन लोगों की जितनी भी अर्हतायें हैं, उनको क्या लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रूव करा लिया गया था ? यदि हां, तो वे अर्हतायें क्या हैं और उनको किस आधार पर लिया गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह सही है कि अभी तक नियम नहीं बने थे लेकिन नियम से पूर्व जो नियुक्तियां हुई हैं, वह कायदे के हिसाब से हुई हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जितनी भी इस प्रकार की नियुक्तियां हुई हैं क्या उनको डिपार्टमेंटली ज्येष्ठता के आधार पर लिया गया है या ऐसे ही किया गया है कि जिसको चाहा उसकी पदोन्नति कर दी गई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ऐसा नहीं हुआ है। जो भी प्रमोशन हुये हैं, डिपार्टमेंट में जो सीनियोरिटी है, उसके हिसाब से हुये हैं, उनकी आर्हताऐं ही देखकर किया गया है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मेरी ऐसी जानकारी है कि जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा है, वैसा नहीं हुआ है। विभाग में एक श्री हरीश लाल शाह हैं, इनका केस १९६८ में सांख्यिकीय के पद के लिये सिफारिश किया गया था लेकिन उसको चलते-चलते १९७२ में, जब कि कुछ लोगों के लिये विशेष प्रेशर डाला गया, तो ४ साल के बाद भी ज्येष्ठता के आधार पर उनका निर्णय न होने का क्या कारण है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन्, अगर माननीय सदस्य तिवारी के बारे में कह रहे हों तो श्री तिवारी उन कन्डीशन्स को फुलफिल नहीं करते थे, इसलिये उनका प्रमोशन नहीं हुआ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैं तिवारी जी के बारे में नहीं पूछ रहा। मैंने तो पूछा है कि क्या इस तरह की बात हुई कि नहीं? एक जानकारी और जानना चाहता हूं कि क्या किसी महिला की ऐसी नियुक्ति विभाग में हुई है, कि, जैसा अध्यक्ष जी आप जानते हैं कि या तो एम्पलायमेंट के जरिये नियुक्ति होती है या एडवरटाइजमेंट के जरिये सीधी भर्ती होती है, न तो उसको एम्पलायमेंट के द्वारा और न एडवरटाइजमेंट के द्वारा होकर, उसको सीधे भरती कर लिया गया हो और अगर नियुक्ति की गई है, तो किस आधार पर कर दी गई है?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

इसकी सूचना नहीं है। इसकी जानकारी कर लेंगे।

नैनीताल जिले में वन पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा

*२--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या वन मन्त्री बतायेंगे कि जिला नैनीताल की तहसील नैनीताल में कुल कितने पंचायती वन, कितने-कितने क्षेत्रफल के किस-किस नाम से स्थापित हैं और इनमें कितने क्षेत्रफल के वनों को काट कर अवैध कब्जे हो चुके हैं? यदि हां, तो इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

नैनीताल जिला के अन्तर्गत कुल १८३ वन पंचायत हैं जिनके नाम व क्षेत्रफल की सूची संलग्न है। उपर्युक्त वन पंचायतों के ५२० नाली ३ मुटठी क्षेत्रफल में अवैध कब्जे किये गये हैं? अवैध कब्जादारों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमे दायर कर दिये गये थे। इनमें से १६३ नाली ५मुट्ठी क्षेत्रफल के वादों का निर्णय वन पंचायत के पक्ष में न्यायालय द्वारा हो चुका है जिसके कब्जे लेने की कार्यवाही चल रही है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ३६८-३७० पर)

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन का कोर्ट की ओर से फैसला हो चुका है, उन पर सरकार की तरफ के क्या कार्यवाही कर दी गयी है और जिन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है उनके विषय में सरकार क्या करने जा रही है?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

पंचायत वन का जो भी इन्तजाम होता है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। इसकी पूरी सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य मुझसे बता देंगे तो इसकी जानकारी कराकर मैं उनको बता दूंगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

चूंकि पर्वतीय क्षेत्र की विशेष समस्या है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री जी कोई निश्चयात्मक कदम उठाने का आश्वासन देंगे जिससे कि जो झगड़े हैं, वह समाप्त हो जायें ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

उसके नियम बनाये जा रहे हैं और वह जल्दी ही लागू हो जायेंगे।

देवरिया जिले के ग्राम मोरवन की श्रीमती महजिदनी और उसके बच्चों की जलने से मृत्यु

*३—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ३ जनवरी, १९७५ की रात में देवरिया जनपद में रामकोला थाने के अन्तर्गत ग्राम मोरवन में महजिदनी नामक गरीब पिछड़ी जाति की महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ भूख से तंग आकर जिन्दा जल कर आत्म हत्या कर ली है ? यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

जी नहीं, श्रीमती महजिदनी ने अपने दो बच्चों के साथ जलकर आत्म-हत्या नहीं की, वरन् उनकी मृत्यु आकस्मिक अग्निकांड में हुई।

श्री हरिकेवल—

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि महजिदनी ने अपने बच्चों के साथ आत्म हत्या की तो भूख के कारण की थी। लेकिन मन्त्री जी ने इस बात को अपने जवाब में टालने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूं कि किस जगह आग लगी और कुल कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ और महजिदनी के परिवार में कुल कितनी जमीन थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

महजिदनी के परिवार में ६५ एकड़ जमीन थी। इनकी एक बकरी, वह खुद और उनके दो बच्चे जलकर मर गये। जब आग लगी तो दस साल का बच्चा निकलकर भाग गया। उस दिन कोहरा और पाला पड़ रहा था। वह निर्धन स्त्री फूस और कूड़ा करकट इकट्ठा करके जला रही थी। फूस में आग लग गयी जिससे वह जलकर मर गये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मोरवन गांव के प्रधान और ग्रामीणों ने मुख्य मन्त्री जी को, राजस्व मन्त्री जी को इस घटना के सम्बन्ध में क्या कोई आवेदन-पत्र दिया है और यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उसे पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, इस प्रकार कोई आवेदन-पत्र मेरे सामने नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं उस गांव में गया था। उस गांव के प्रधान और ग्रामीणों ने एक महजरनामा शासन को रजिस्टर्ड भेजा है। उसमें साफ लिखा है कि भूख से परेशान होकर महजिदनी मर गयी। जब मैंने इसकी यहां चर्चा की तो अधिकारी बयान लेने गये लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। क्या मन्त्री जी उसकी पूरी जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं है। अगर माननीय सदस्य को कोई कष्ट न हो तो लिखकर पूरे डिटेल्स दे दें। हम जानकारी करा लेंगे।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि वह आग कैसे लगी? स्वयं लगी या लगवाई गयी?

श्री हरिकेवल—

या भूख और परेशानी से आग लगाकर जलकर मर गयी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अगर उस प्रकार से आग लगाये जाने की बात होती, तो उसका १० वर्ष का बच्चा कैसे बचकर निकल जाता? मान्यवर, बात ऐसी नहीं है। जैसा मैंने बताया, उस दिन कुहरा और पाला पड़ रहा था। भयंकर सरदी थी। उस औरत ने कुछ कूड़ा-करकट इकट्ठा किया और सरदी से बचने के लिये उसको जलाकर सेंक कर रही थी। फिर टटिया बन्द करके सो गयी और आग लग गयी।

श्री हरिकेवल—

क्या माननीय मन्त्री जी.....

श्री अध्यक्ष—

अब जवाब आ गया है।

देवरिया जिले के कतिपय ग्रामों का नारायणी नदी की धारा में विलीन होना

*४—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष नारायणी की भीषण बाढ़ से देवरिया जिले का सरया, हनुमानगंज तथा कटाई भरपुरवा के अन्य टोले जो नारायणी की धारा में विलीन हो गये और जिले का उत्तरांचल तबाह हो गया? उनको भविष्य में स्थायी रूप से बसाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। ग्राम सरया तथा कटाई भरपुरवा के टोला हनुमानगंज व गुजरहा, बेलवनिया छितौनी कटकर नारायणी नदी की धारा में विलीन हो गये। समस्त प्रभावित परिवारों को कटान से प्रभावित होने से पूर्व ही व्यवस्थित ढंग से छितौनी कटाई भरपुरवा रिटायर्ड बांध के इस पार सुरक्षित स्थान पर स्थायी रूप से बसा दिया गया है।

श्री श्रीनारायण—

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि बाढ़ से तबाह लोगों को किसी जमीन पर बसाया नहीं गया बल्कि खेतों पर बसाया गया है और जिनके खेत हैं, उनके द्वारा करीब ५०० लोगों पर १०७/११७ का मुकदमा चलाया जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं? क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या सहायता दी गयी है और क्या कोई पानी पीने के लिये पम्प धंसाये गये हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, उसमें अलग-अलग परिवारों की अलग-अलग जगह जमीन कट गयी थी। कटने के बाद, उनको तुरन्त सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। जिनके पक्के मकान थे, उनको ३०० रुपये, जिनके कच्चे मकान थे, उनको २०० रुपये और ग्रेचुटी १०० रुपये तक दी जाती है। किसको कितना दिया गया, इसका विवरण अलग से दिया जायेगा।

श्री श्रीनारायण—

पानी पीने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, जब श्री श्रीनारायण जी ग्राम प्रधान थे, तो सारी जमीन तो इन्होंने लिखवा लिया, फिर उनको कहां बसाया जाता ?

श्री श्रीनारायण—

आपको मुझसे सवाल पूछने की कोई प्रक्रिया नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

प्रक्रिया है नियमों में। मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग आपस में क्यों बात कर रहे हैं ? मैं इजाजत नहीं देता।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता था कि उन लोगों के लिये पानी पीने की क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, इस प्रकार की पानी पीने की कोई शिकायत नहीं थी। जब उनको वहां बसाया गया, तो उसी समय मोटा अनाज, दियासलाई, कपड़ा और मिट्टी का तेल आदि की व्यवस्था कर दी गयी थी।

श्री श्रीनारायण—

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि वे लोग जिसकी जमीन पर बसाये गये हैं, वह उनको धारा १०७/११७ में परेशान कर रहा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, इस प्रकार की शिकायत उपलब्ध नहीं है। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो इसकी जांच करा ली जायेगी।

*५—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

बलिया जिले में अमीन व चपरासियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति का कोटा

*६—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया की तीनों तहसीलों में जो सीजनल अमीन व चपरासियों की भर्ती गत दिसम्बर माह १९७४ में की गयी थी उसमें अनुसूचित जाति का निर्धारित कोटा पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

वर्तमान आदेशानुसार दिसम्बर, १९७४ में बलिया जिले की तीनों तहसीलों में संग्रह अमीन व चपरासी की सीजनल पदों पर नियुक्ति तहसील में उपलब्ध अनुमोदित सूची में से की गई थी। केवल तहसील बांसडीह में अमीन के चार पदों पर नयी भर्ती की गयी थी, जो सभी अनुसूचित जाति के थे।

श्री रघुनाथ --

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि अनुमोदित सूची में हरिजनों का नाम रखा गया था या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

रसड़ा तहसील में २५ अमीन तथा २१ चपरासी रखे गये जिनमें ४ अमीन तथा ४ चपरासी अनुसूचित जाति के हैं। एक दूसरी तहसील में १४ अमीन तथा १४ चपरासी रखे गये। उसमें कोई हरिजन नहीं था। यह सूची राजस्व परिषद् के आदेशानुसार योग्यता के आधार पर बनाई जाती है उनके काम को देख कर वसूली के सिलसिले में और उसमें से वरिष्ठता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जो सूची योग्यता के आधार पर राजस्व परिषद् ने बनाई उसी में रिजर्वेशन का सवाल है। १४ तथा १४, २८ की नियुक्ति की गयी है और जिस तहसील की बात माननीय मन्त्री ने कही उसके बारे में मुझे मालूमात है कि अनेकों हरिजनों ने प्रार्थना-पत्र दिये तो रिजर्वेशन क्यों नहीं किया गया जब कि उनमें बहुत से एम० ए० तथा बी० ए० पास हरिजन थे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

नई नियुक्ति में चार हरिजन रखे गये, लेकिन जो पुरानी लिस्ट बनी हुई थी, योग्यता के आधार पर, वह वसूलयाबी के आधार पर बनाई गयी थी और उसी के बेसिस पर उनका सेलेक्शन किया गया।

श्री रघुनाथ--

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि अनुमोदित जो सूची बनाई गयी थी, वह किसने बनाई और उसे बनाने का क्या आधार था?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैंने बतलाया कि अमीनों की वसूलयाबी कैसी होती है इस बेसिस पर लिस्ट 'ए', 'बी' तथा 'सी' कैटेगरी की बनती है। सबसे अच्छी वसूलयाबी 'ए' कैटेगरी में, दूसरे किस्म के 'बी' में तथा थर्ड क्लास के 'सी' में आते हैं और उसी आधार पर उनकी लिस्ट बनाई जाती है।

आगरा जिले की ग्राम सभा चम्बल द्वारा बालू खनन हेतु दिया गया परमिट

*७--श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा), श्री मुलायम सिंह यादव, (जिला इटावा), राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह (जिला आगरा) तथा चौधरी मुलतान सिंह यादव (जिला आगरा)--

क्या सरकार यह बतायेगी कि ग्राम कैंजरा, तहसील बाह, जिला आगरा की ग्राम सभा ने चम्बल, सैंड के खनन के लिये, दिसम्बर, १९७४ में पट्टा दिया था? यदि हां, तो उसे दो माह बाद क्यों रद्द कर दिया गया?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

बालू खनन के लिये परमिट ग्राम सभा द्वारा तो नहीं दिया गया, वरन् यह परमिट अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था।

परमिट देने के लिये केवल जिलाधिकारी ही प्राधिकृत हैं। अतः परमिट नियमानुसार न होने के कारण जिलाधिकारी ने उसे रद्द कर दिया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिलाधिकारी ने जो प्रह्लाद सिंह का परमिट कैंसिल किया है, उस आदेश को माननीय मन्त्री पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

आदेश क्योंकि बहुत लम्बा है इसलिये मैं सारांश जबानी बतलाये देता हूं। दो व्यक्तियों ने शिकायत की थी कि जितने रुपये में यह बेचा गया है उनसे ज्यादा रुपये में हम लेने को तैयार हैं। जिलाधीश ने भी उसे देखा और अतिरिक्त जिलाधिकारी ने उसे देख कर कैंसिल कर दिया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जो जिलाधिकारी ने परमिट को निरस्त करने के आदेश दिये है उसमें कारण यह दिखाया है कि पब्लिसिटी नहीं हो पायी। इसके साथ और भी कारण उन्होंने दिये हैं, लेकिन जो उत्तर मन्त्री जी ने दिया है उसमें लिखा है कि अतिरिक्त जिलाधिकारी को इसकी पावर नहीं थी। तो दोनों में से कौन से उत्तर को मन्त्री जी सही मानते हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर मैंने तो बताया कि अप्लीकेशन्स भी आई थीं, उन्हीं के आधार पर उन्हें यह पता चला कि इस तरीके से अधिकार न होते हुये भी यह सैंक्शन किया गया है। ज्यादा लोग देने के लिये तैयार नहीं थे, इसलिये वह कैंसिल हुआ.....

श्री मुलायम सिंह यादव--

क्या अतिरिक्त जिलाधिकारी ने इस परमिट के अतिरिक्त अन्य परमिट भी दिये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मेरा स्पष्ट आरोप है कि अतिरिक्त जिलाधिकारी ने इस परमिट के अतिरिक्त अन्य परमिट भी दिये हैं और वे निरस्त नहीं किये गये हैं। जिलाधिकारी ने जो परमिट निरस्त किया है, वह इसलिये नहीं किया है कि अतिरिक्त जिलाधिकारी को पावर नहीं थी बल्कि दबाव में आने के कारण निरस्त किया है। क्या इसकी जानकारी मन्त्री जी को है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैंने जो उत्तर ठीक समझा था वही दिया है, बावजूद इसके भी मैंने यह आदेश आज ही दिये हैं कि नीलामी २२५० रुपये की गई तथा एक अप्लीकेशन १३,००० रुपये की आयी थी, उसमें मेरे जैसे आदमी को गोलमाल मालूम पड़ा। अतः कहा गया कि इसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाय।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

ए० डी० एम० ने कितने में इनको दिया था और जो दरख्वास्त आयी है, उसमें कितना अन्तर था ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर आ गया।

श्री मुलायम सिंह यादव—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिलाधिकारी को उचित रूप से प्रार्थना-पत्र दिया था तो जिलाधिकारी ने इस परमिट को देने के लिये किसको अधिकृत किया था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, यह अधिकार तो डी० एम० को है और यह मैं बता चुका हूं। यदि माननीय सदस्य को यह हो कि किसको अधिकृत किया था, तो वे मुझे लिख कर दे दें, मैं बता दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर नहीं आ रहे हैं।

[१८ अप्रैल, १९७५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

*१—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

गोंडा वन प्रभाग और बांदा वन प्रभाग में गबन

*२—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७१-७२ की उत्तर प्रदेश सरकार को भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रेषित रपट के अनुसार, जो वन विभाग में ७०,६००रुपया के गबन का मामला रोशनी में आया है, वह मन्डल वन कार्यालय, गोंडा तथा बांदा से सम्बन्धित है ? दोषी कौन-कौन पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वर्ष १९७१-७२ की उत्तर प्रदेश सरकार को भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में जो वन विभाग में रु० ७०,६०० के गबन का विवरण है वह निम्न प्रकार है:—

उपरोक्त रुपया ७०,६०० के गबन के मामले में से रु० ४०,००० के गबन का मामला गोंडा वन प्रभाग से सम्बन्धित है अन्तिम जांच पड़ताल के बाद गोंडा वन प्रभाग में यह गबन रु० ९४,०४१.७८ का पाया गया। इस गबन के मामले में गोंडा वन प्रभाग के तत्कालीन राजस्व लिपिक दोषी पाये गये तथा इस आरोप के सम्बन्ध में उन्हें एडिशनल सेशन जज, गोंडा द्वारा आई० पी० सी० धारा ४६७, ४६८, ४२०, ४०९ व ४७७ के अन्तर्गत तीन वर्ष की सख्त कैद की सजा दी गई ?

उक्त रु० ७०,६०० के गबन के मामले में से शेष रु० ३०,६०० का गबन का मामला बांदा वन प्रभाग से सम्बन्धित है। यह गबन असल में रु० ३१,०८१.९५ का है। इस मामले से सम्बन्धित एक वन राजिक (रेन्जर) निलम्बित किये गये हैं तथा उनके विरुद्ध सन् १९६६ से दो मुकदमे (१) एस० टी० नं० १०६/७१ राज्य बनाम मुशीर अहमद (२) एस० टी० नं० १०६-ए-७१ राज्य बनाम मुशीर अहमद तृतीय अस्थायी सेशन जज, बांदा के न्यायालय में चल रहे हैं। इन मामलों में न्यायालय का अभी फैसला नहीं हुआ है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गोंडा वन मन्डल कार्यालय का मामला और दूसरा बांदा वन मन्डल कार्यालय गबन का मामला है यह किस-किस वर्ष से सम्बन्धित है। क्या गोंडा के मामले में रिकार्ड में कोई जालसाजी की गई है ?

श्री अध्यक्ष--

गोंडा में सजा हो गई है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर मेरा प्रश्न है कि किस साल गबन किया गया गोंडा मन्डल में और बांदा मन्डल में, ...

श्री अध्यक्ष--

बांदा वाला न्यायालय में है जिसमें फैसला अभी बाकी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

न्यायालय में क्या है वह मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है। कि किस वर्ष का मामला है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

गोंडा का १९५९-६० और बांदा वाला १९६३ से लेकर १९६६ तक का है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

एक प्रश्न और इन दोनों जगहों पर गजटेड आफिसर रहे होंगे तो उनके खिलाफ विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

विभाग ने निलम्बित करके कोर्ट में केस दे दिया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

सुपरविजन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई यह तो जो कार्यवाही हुई है वह लिपिकों के खिलाफ हुई। गजटेड का क्या किया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जो गजटेड की बात आप कह रहे हैं जो जी० एफ० ओ० गोंडा थे उनको उसी वर्ष दिल का दौरा पड़ने से हार्ट फेल हो गया था।

*३--ठाकुर राधाचरण सिंह तथा श्री राम प्रकाश यादव--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

बस्ती जिले की ग्राम सभा फलवरिया के अन्तर्गत हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित भूमि

*४—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा फलवरिया, तहसील नवगढ़, ए०सी०ओ०सर्किल ३१, सिकरीं व खबरिया, सी०ओ०सर्किल ६, मुहाना जिला बस्ती में चकबन्दी के दौरान हरिजन आबादी के लिये भूमि सुरक्षित की गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से प्लाट नं०हैं तथा उनकी अलग-अलग आराजी क्या है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त सुरक्षित भूमि पर ही कुछ सरहंग लोगों द्वारा जबरदस्ती अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जी हां। हरिजन आबादी के लिये निम्न भूमि सुरक्षित की गई है :

गाटा संख्या		क्षेत्रफल बीघा में
५११ मि	..	०—८—०
५१२/५/१ मि	..	०—३—८
७१५ मि	..	०—१—०
७१६ मि	..	०—५—१०
७१७ मि	..	०—१—६
७१९ मि	..	०—०—१०
७२० मि	..	०—०—१२
७२१ मि	..	०—२—१०
७२२ मि		०—३—०
७४३ मि	..	०—१—०

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*५—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

*६—७—डाक्टर मलखान सिंह—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

*८—श्री इन्द्र लाल —

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

फर्रुखाबाद जिले के ब्लाक कमालगंज में पाला और हवा से रबी की फसल को क्षति

*९—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में ओला और पाले और हवा से कमालगंज ब्लाक में कितना नुकसान १९७४ में हुआ और सरकार कमालगंज ब्लाक के काश्तकारों को क्या राहत दे रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कमालगंज ब्लाक में वर्ष १९७४ में पाला एवं हवा से रबी की फसलों को ५०प्रतिशत से ७५ प्रतिशत तक क्षति हुई। ओले से कोई क्षति नहीं हुई।

काश्तकारों को राहत देने के लिये राजकीय देयों की वसूली स्थगित कर दी गई तथा मालगुजारी में छूट देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री अनवार जमील—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कमालगंज ब्लाक में कितने गांव प्रभावित हुए और इनमें अलग-अलग में कितना परसेंट नुकसान हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, प्रभावित गांवों का क्षेत्रफल १२३६८.७ एकड़ है और जो क्षति हुई वह ५०से७५ परसेंट तक है। गांव जो कमालगंज ब्लाक के प्रभावित हुए वह १७१ हैं।

श्री अनवार जमील—

क्या इन १७१ गांवों में वसूली की कार्यवाही रोक दी गई है, या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न है कि क्या वसूली स्थगित कर दी गई है।

श्री अनवार जमील—

आपने बताया कि १७१गांव प्रभावित हुये। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन १७१ गांवों में वसूली रोकने के आर्डर दे दिये गये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वह तो उत्तर में ही है—वसूली स्थगित कर दी गई है, जिनका नुकसान ५०से ७५ प्रतिशत है।

श्री अनवार जमील—

वह छूट जो आपने बताया इस पर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, राजस्व परिषद को फरवरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखा था और दो रिमाइन्डर्स भी भेजे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उत्तर आते ही शीघ्र ही इसमें निर्णय ले लिया जायगा।

*१०—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

*११—श्री रघुनाथ—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

*१२—श्री कृष्णा राय—

[९वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५२ पर स्थानान्तरित।]

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में तकावी वितरण में गड़बड़ी

*१३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील बासगांव के वर्तमान तहसीलदार (श्री राम बहोर सिंह) ने १९७१-७२ में बाढ़ पीड़ितों को तकावी बांटने में गड़बड़ी की थी जिस सम्बन्ध में इस साल १९७४-७५ में कुछ अधिकारियों व कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं? यदि हां, तो वास्तविकता क्या है, कितने रुपये का गबन है, कौन-कौन निलम्बित हैं और क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन तहसीलदार, श्री राम बहोर सिंह ने किसी भी सन् में गबन किया और उसके कारण वह मुअत्तिल हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, १९७२-७३ में।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

श्रीमन्, मेरे बाकी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया—मुअत्तली के क्या-क्या कारण हैं और कितने रुपये का गबन किया है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न तो १९७१-७२ का था इसलिये इसका उत्तर नहीं दिया गया। अब १९७२-७३ में १९,७५० रुपये का वितरण हुआ था, जिसमें २ अमीन निलम्बत हुये हैं, तीन पटवारियों यानी लेखपालों को सेवाओं से पृथक कर दिया गया है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि १९७२-७३ में जो १९ हजार रुपये का गबन कर लिया था वह बाढ़ पीड़ितों के लिये दिया गया था, जो कि उन्हें न देकर लेखपाल और यह मिलकर खाये गये और जब हमारा प्रश्न चलने लगा तो मुअत्तिल हुए हैं। तो तहसीलदार साहब कब मुअत्तिल हुए हैं? लेखपाल और कानूनगो की मुअत्तली के क्या कारण हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह तो कोई नवम्बर में कर्मचारी मुअत्तिल किये गये हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के सिलसिले में कार्यवाही करने के लिये राजस्व परिषद् को दिनांक ९ दिसम्बर, १९७४ को लिखा है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, तकावी का रुपया बांटने का तरीका यह है कि अमीन उस पर लिख देता है कि इनके जिम्मे कोई बकाया नहीं है, लेखपाल लिस्ट बनाकर देता है। शुरू में लिस्ट सही दी गई थी, कानूनगो ने उसको सही मान लिया। लेकिन बाद में तहसीलदार और लेखपाल ने मिलकर दूसरे आदमियों को खड़ा करके सारा रुपया हड़प लिया। लेखपाल तो टेम्प्रेरी था, वह उसकी मोटर खरीद कर तहसीलदार की लड़की

की शादी में शामिल हुआ। तहसीलदार आज तक मुअत्तिल नहीं हुआ, तो जिन लोगों ने वाकई में मिलकर खाया है, उन्हीं को ही सजा देंगे और जो निर्दोष हैं, उनको बहाल कर देंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बहुत हद तक सही है कि तहसीलदार या उनका आपस में मिलकर इस काम को किया जाना जाहिर होता है। इसलिये इन सभी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायगी और जो निर्दोष पाये जायेंगे, वह छोड़े जायेंगे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मन्त्री जी इसको जानते हुये कि वह रुपया इन किसानों को नहीं मिला है, बल्कि तहसीलदार और लेखपाल खा गये हैं, क्या उसकी वसूली से किसानों को छुटकारा दिला देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जरा केस तय हो, यानी जांच में पूरी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो जाये, तो उस पर सोचा जायेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

तब तक बेचारे किसान तो मर जायेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यह तो मैंने बताया कि इनको मिला ही नहीं, इन्हीं लोगों ने खाया है।

*१४--श्री शारदा प्रसाद रावत--

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ एवं सूखे से क्षति

*१५--श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ व सूखे से तबाह है उसके बाद भी कई वर्ष का राजस्व का बकाया कड़ाई से वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वसूली को स्थगित करने पर विचार करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह सही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र बाढ़ व सूखे से प्रभावित हुए हैं। अधिक क्षति के क्षेत्रों के खातेदारों को नियमानुसार छूट, आसान किस्तों और स्थगन की सुविधायें दी गयी हैं। अत: कड़ाई से वसूल करने तथा वसूली स्थगित करने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले के ऐतिहासिक स्थान संकिसा, कन्नौज व छिबरामऊ को पर्यटन स्थल बनाने की मांग

*१६--श्री अनवार जमील--

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों, संकिसा, कन्नौज और छिबरामऊ में पर्यटन विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी नहीं। सीमित परिव्यय निर्धारित किये जाने के कारण पर्यटन विभाग की पांचवी पंचवर्षीय योजना में अब तक इन स्थलों के पर्यटन विकास हेतु कोई योजना सम्मिलित नहीं की जा सकी है। परन्तु संकिसा में मन्दिर के पुनरुद्धार तथा सड़क के सुधार आदि के लिये क्रमश: भारत सरकार के पुरातत्व विभाग एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है।

श्री अनवार जमील--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि संकिसा और छिबरामऊ में रेस्ट हाउस के सिलसिले में मेरे पत्र उनको मिले हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

इस स्थान से ५ मील की दूरी पर एक पी० डब्ल्यू० डी० का रेस्ट हाउस है। वहां बिजली व पानी नहीं था, उसका प्रबन्ध कर दिया गया है। सड़क के लिये ऐसा है मुहम्मदाबाद से संकिसा तक कच्ची सड़क है, उसको पक्की करने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिख दिया गया है। २-३ दफा रिमाइन्डर्स भी भेजे हैं और आशा की जाती है कि वह जल्दी बना दी जायेगी।

श्री अनवार जमील--

मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से यह ऐतिहासिक स्थान है उसी तरह से कन्नौज भी पुराना ऐतिहासिक स्थान है। वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या मन्त्री जी पर्यटन विभाग से वहां कोई काम करायेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन्, कन्नौज के लिये आर्क्योलोजिकल विभाग को चिट्ठी भेजी है और कल्चरल विभाग से कहा गया है और वहां एक योजना बनाने का प्रस्ताव है। कन्नौज को डेवलप करने के लिये भारत सरकार के आर्क्योलोजीकल विभागों को लिखा जा रहा है कि इसकी उन्नति की जाये।

बांदा जिले में रबी की फसल को सूखे से क्षति

*१७--श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में सूखा पड़ जाने से रबी की फसल ७५ प्रतिशत बरबाद हो गयी है ? यदि हां तो सरकार बांदा जिले को अकाल पीड़ित घोषित कर राहत कार्य प्रारम्भ करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

बांदा जिले में इस वर्ष रबी की फसल को सूखे से क्षति हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार दिलाये जाने की आवश्यकता पाई जायेगी वहां टेस्ट वर्क चलाये जायेंगे। क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है।

वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील स्थित भूतपूर्व काशी नरेश की जमीन पर जमींदारी विनाश कानून लागू करने की मांग

*१८—श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी) —

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि वाराणसी जनपद की ज्ञानपुर तहसील में स्थित भूतपूर्व काशी नरेश की जमीन पर जमींदारी विनाश कानून लागू करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री रामरति बिन्द—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि काशी नरेश के पास कुल कितनी भूमि है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, वाराणसी, चकिया और ज्ञानपुर इन तहसीलों में २४९ गांवों में उनकी जमीन है। कृषि की २०३८.७५ एकड़ और अकृषि की २६३.७४ एकड़ है।

श्री रामरति बिन्द—

मान्यवर, महाराज की जमीन में बहुत से लोग असामी कैफियत के खाने में दर्ज हैं और रोजाना एक आध आदमी बेदखल हो जाता है तो क्या मन्त्री जी उनके हकूकों को दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, जो विशेषाधिकार उनको थे उनके सम्बन्ध में न्याय विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही है। ज्योंही वह मिलेगी केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेकर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

जिन लोगों के कब्जे में खेत हैं उनको रिकार्ड में ले आने की क्या मन्त्री जी व्यवस्था कर देंगे ताकि महाराजा के खिलाफ फैसला होने से पहले वह बेच न लें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, जिस जमीन पर जिसका कब्जा होता है सरकार का प्रयास रहा है और रहेगा कि उसको उस जमीन से हटाया न जाये।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि यहां पर जमींदारी उन्मूलन की कोई योजना नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा कि जब सरकार की घोषित नीति है कि जमींदारी एबालीशन की जाये जहां-जहां बची हुई है, तो क्या कारण है कि इस जमीन के बारे में ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं यह माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मैंने उत्तर दिया कि सीलिंग ऐक्ट उन्हीं पर लागू कर दिया गया है जिसके लिये सरकार-शासन की तरफ से फरवरी में आदेश भेज दिया गया था और राजस्व परिषद् से भी १४ अप्रैल को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जितने भी राजा, नवाब थे सबकी जमीन सीलिंग के अन्दर ही ली जाय लेकिन जहां तक उनकी निजी प्रापर्टी के बारे में बात है उसके बारे में न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश से राय मांगी गई है, राय की प्रतीक्षा है, राय आने पर शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी।

*१९—श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*२०—श्री ऊदल—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

बाराबंकी जिले के ग्राम पचहरिया व सरदहा में घाघरा नदी से निकली हुयी भूमि

*२१—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष १९६१-६२ के घाघरा नदी के कटाव में ग्राम पचहरिया व सरदहा, परगना बदो सराय, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी की भूमि कट गयी थी जो इस वर्ष नदी का रुख बदल जाने के कारण खाली हो गयी है? यदि हां, तो क्या निकली भूमि की पैमाइश व पूर्व पट्टों के आधार पर निशान देही करवायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, घाघरा नदी के कटाव से वर्ष १९६१-६२ में भूमि कट गई थी उसमें से कुछ भूमि इस वर्ष नदी ने छोड़ दी है। पैमाइश व निशानदेही उसी के खेत की की जाती है जो उसके लिये नियमानुसार आवेदन-पत्र दे। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो नदी के किनारे कटान वाले गाँव होते हैं, इनका पांचसाला बन्दोबस्त होता है, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि नियमानुसार न होने के कारण बन्दोबस्त नहीं होता है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह पांचसाला बन्दोबस्त में है, कि नहीं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, पांचसाला बन्दोबस्त नदी के किनारे होता था, लेकिन अब वह बन्द कर दिया गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इस जमीन पर सब बड़े-बड़े लोग काबिज हैं। पहले यह जमीन छोटे-छोटे लोगों की थी। मान्यवर, हमको मालूम था कि पांचसाला बन्दोबस्त चल रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि जमीन की तुरन्त पैमाइश करा कर, जो गरीब किसान हैं, उनको जमीन दी जाय, बड़े किसानों से लेकर।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, अगर सम्बन्धित किसान प्रार्थना-पत्र देंगे, तो अवश्य शीघ्रातिशीघ्र पैमाइश करा कर उनके खाते निकलवाने की व्यवस्था कराई जायगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि आवेदन-पत्र दिये गये हैं, लेकिन मौके पर की कार्यवाही नहीं हुई।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मैंने बताया कि शासन को जानकारी नहीं है कि इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं। अगर माननीय सदस्य उचित समझें, वह इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र भेजवा दें, मन्त्री जी को दे दें या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से खुद मिल लें और उनसे कहें, तो अग्रिम कार्यवाही हो जायगी।

*२२—श्री रामजी सिंह—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

फर्रुखाबाद जिले की तहसील कन्नौज के तहसीलदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२३—श्री झाम लाल अहिरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज कार्यालय में दिनांक ९ दिसम्बर, १९७४ को व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता ने ए० डी० एम० (सीलिंग) के सामने प्रश्नकर्ता के नेतृत्व में प्रदर्शन किया तथा उन्हें एक ज्ञापन दिया तथा प्रतिलिपि राजस्व मन्त्री को दी। यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य मांगें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। ज्ञापन में तहसीलदार, कन्नौज द्वारा जनता के साथ दुर्व्यवहार बन्द करने, शक्कर व मिट्टी के तेल के कोटेदारों से घूस न लेने, मुकदमों में तारीखों के स्थान पर न्याय करने तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण की समुचित व्यवस्था करने की मुख्य मांगें की गई थीं। तहसीलदार के विरुद्ध राजस्व मन्त्री जी को प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच करने हेतु जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को आदेश दे दिये गये हैं ?

श्री झाम लाल अहिरवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधिकारियों को यह आदेश कब दिये गये हैं ? जांच जिलाधिकारी स्वयं कर रहे हैं या अन्य कोई अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, १८ दिसम्बर, १९७४ को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी गई थी और उन्होंने अतिरिक्त जिलाधिकारी सीलिंग को यह अधिकार, जांच का दिया था ?

श्री झाम लाल अहिरवार—

मान्यवर, अब तक जो जांच की गई है, वह कुछ हुई या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, ६ फरवरी, १९७५ को माननीय सदस्य को सूचना दी गई थी। माननीय सदस्य उस तारीख पर उपलब्ध नहीं थे, देहरादून गये हुये थे, फिर १० तारीख लगाई गई। १० तारीख को माननीय सदस्य ने १३ तारीख मांगी। १३ फरवरी लगायी गयी। माननीय सदस्य ने यह लिखकर दिया कि मैं साक्ष्य नहीं देना चाहता। २ बार माननीय सदस्य को बुलाया गया लेकिन नहीं आये।

श्री झाम लाल अहिरवार—

जो मैंने लिखकर दिया है, वह मन्त्री जी के पास मौजूद है। मने ऐसा कुछ नहीं दिया है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

दिसम्बर का मामला है। ४ महीने हो गये और अब उत्तर में बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी को जांच हेतु आदेश दिये गये। क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस स्टेज पर पहुंची है? जनता की ओर से शिकायत थी, केवल माननीय सदस्य की ही शिकायत नहीं है। वहां तो उसके साथ फोटोग्राफ भी दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी जांच हुई है। यह बताने की कृपा करें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैंने यह बताया कि माननीय सदस्य को बारबार खोजने की कोशिश की गयी और माननीय सदस्य अतिरिक्त जिलाधिकारी (सीलिंग) से मिले भी और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते, यह उहोंने लिखकर दे दिया। दिनांक १० फरवरी, १९७५ को श्री अहिरवार अतिरिक्त जिलाधिकारी (सीलिंग) से मिले और उन्होंने दिनांक १३ फरवरी, १९७५ को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी जो उन्हें दे दी गयी, परन्तु उक्त तिथि को भी वह उपस्थित नहीं हुये और न कोई सूचना भेजी। कुछ दिन पूर्व श्री अहिरवार अतिरिक्त जिलाधिकारी सीलिंग से फिर मिले उन्होंने अवगत कराया कि अब कोई साक्ष्य वह प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। वह चाहते थे कि तहसीलदार का वहां से तबादला कर दिया जाये।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, उन्होंने लिखित नहीं दिया। अपनी तरफ से बनाया है।

श्री अध्यक्ष--

हो गया। मैंने इनको दे दिया।

देवरिया जिले के विकास खंड पडरौना तथा विशुनपुरा के अन्तर्गत उपल वृष्टि से क्षति

*२४--श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) तथा श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

विधान सभा की द्वितीय सत्र १९७४ के पांचवे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि पडरौना तथा विशुनपुरा विकास खंड के गांवों में २५ मार्च, १९७४ तथा ४ अप्रैल, १९७४ को हुयी उपल वृष्टि के कारण ३०,७२३ एकड़ फसल को ५० प्रतिशत या उससे अधिक क्षति हुयी फिर भी मालगुजारी तथा विकास कर में बिना छूट दिये वसूलियां जबरन की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बांके लाल--

यह सूचना कब तक आ जायेगी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, प्रश्न दिया ७ मार्च को और ३ अप्रैल को विभाग में पहुंचा। इसलिये जल्दी से जल्दी एकत्रित कराने की कोशिश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

बहुत समय नहीं लगा है। आ जायेगा।

बाराबंकी जिले के ग्राम चकसार की भूमि का गोमती नदी से कटाव और उक्त भूमि के आबंटन की मांग

*२५—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन १९६२ में गोमती नदी की बाढ़ से जिला बाराबंकी, तहसील नवाबगंज के किसानों की भूमि नदी के कटाव के कारण ग्राम सभा सलेमपुर, ब्लाक गोसाईगंज, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में आ गयी है? यदि हां, तो उस भूमि पर किन व्यक्तियों का कब्जा है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं। लखनऊ तथा बाराबंकी जिलों के बीच की सभा स्थाई है और गोमती नदी की धारा बदलने से दोनों जिलों या उनके सीमावर्ती ग्रामों का क्षेत्राधिकार नहीं बदलता। यह ठीक है कि सन् १९६२ में गोमती नदी की धारा बदलने के फलस्वरूप जिला बाराबंकी, तहसील नवाबगंज में स्थित ग्राम चकसार की लगभग २० बीघा जमीन नदी की दूसरी ओर चली गई थी लेकिन इससे क्षेत्राधिकार नहीं बदला और यह कुल क्षेत्रफल नदी के कटाव बहाव का रुख पुन: बदल जाने के कारण १९७३-७४ में अपने पुराने स्थान पर बरकरार हो गया। यह भूमि उन्हीं खातेदारों के अधिकार में है जिनके खातों में यह धारा परिवर्तन के पूर्व सम्मिलित थी।

*२६—श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मई, जून, १९७० में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तथा भूमिहीन किसानों ने सत्याग्रह भी किया था कि उक्त ग्राम सभा में जो भूमि नदी के कटाव द्वारा मिली है उसे भूमिहीन खेत मजदूरों को दी जाय? यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। मई, १९७० में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उल्लिखित भूमि को भूमिहीनों, खेत मजदूरों को आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ में प्रदर्शन किया था। किन्तु वह भूमि लखनऊ जिले की राजस्व सीमा में स्थित नहीं थी और चूंकि उसके मौलिक काश्तकारों के स्वत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, अत: उसके आबंटन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

*२७—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

*२८—श्री रामपति, श्री बाबू लाल वर्मा, श्री श्रीनारायण तथा श्री दशरथ सिंह—

[८वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या १४ पर स्थानान्तरित।]

हल्द्वानी तथा तराई भावर वन प्रभागों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*२९—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

विधान सभा की बैठक दिनांक ३ जनवरी, १९७५ के अतारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के क्रम में क्या वन मन्त्री हल्द्वानी तथा तराई भावर वन प्रभागों में १ अप्रैल, १९७४ के बाद जिन ८५ व्यक्तियों के वन भूमि पर अनधिकृत कब्जे कर लिये जाने की सूचना दी है इन व्यक्तियों के नामो की पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखते हुये वन विभाग के उस रेंज व कम्पार्ट तथा स्थानों का विवरण बताने का कष्ट करेंगे ? इन लोगों को वन भूमि से हटाने सम्बन्धी क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

हल्द्वानी तथा तराई भावर वन प्रभागों में १ अप्रैल, १९७४ के बाद के अतिक्रमणकारियों के बारे में पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त ८५ व्यक्तियों के स्थान पर ८२ व्यक्तियों का ही अनधिकृत कब्जा पाया गया जिनकी सूची संलग्न है ।

हल्द्वानी वन प्रभाग के अतिक्रमणकारियों को वन भूमि से हटाने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

तराई भावर वन प्रभाग के समस्त अतिक्रमणकारियों को वन भूमि से हटा दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७१—३७२ पर।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह जो भूमि जिस पर अनधिकृत कब्जा है, उसका रकबा क्या होगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, प्रश्न संख्या २५ बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष—

पहले क्यों नहीं खड़े हुये ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इसकी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

जितने वहां पर कब्जे हैं, उन में से सबसे पुराने कब्जे कितने वर्ष से चले आ रहे हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, दिनांक १ अप्रैल, १९७४ के बाद ३५ हरिजनों के परिवारों ने २० हैक्टेयर भूमि पर कब्जा किया था। इसके अतिरिक्त और कोई सूचना नहीं है कि कब-कब किन-किन लोगों ने वहां पर कब्जे किये ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या २९ श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा पूछा गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मन्त्री जी उन हरिजनों को वहां के निकालने के बजाय उस भूमि को उन्हें एलाट करने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इसके बा में कैबिनेट की एक सब-कमेटी बनी हुई है जिसकी मीटिंग २० या २१ अप्रैल को होने जा रही है। ये सा मसले नाजायज कब्जे वगैरह के, उसके सामने रखे जायेंगे। उसमें विचार होगा कि किस-किस को हटाना है और किस-किस को कब्जा दिलाना है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री फजलु हमान अन्सारी—

[७वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १३ पर स्थानान्तरित।]

२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[७वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न पर स्थानान्तरित]।

जिला देवरिया के तहसील हाटा के मुख्यालय के स्थानान्तरण की मांग

३—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिकेवल—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के तहसील हाटा के मुख्यालय को कप्तानगंज में स्थित करने के लिये स्थानीय निवासियों द्वारा शासन का ध्यान हाल में आकर्षित किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला देवरिया की तहसील हाटा के मुख्यालय को हाटा से कप्तानगंज स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को शासन द्वारा विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया गया है।

४—श्री रामरति बिन्द—

[७वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न १४ पर स्थानान्तरित।]

५—श्री जंगबहादुर वर्मा तथा श्री शिवकैलाश—

[३-१-७५ को तारांकित प्रश्न संख्या १९ पर उत्तरित।]

६-७—श्री रामरति बिन्द—

[७वें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न १५-१६ पर स्थानान्तरित।]

बाराबंकी जिले में क्षेत्रीय उप-संचालक, चकबन्दी द्वारा मुकदमों की सुनवाई

८—श्री अनवार जमील—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद बाराबंकी में कितने समय से कोई डिप्टी डायरेक्टर कन्सालीडेशन मुकदमे सुनने नहीं गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? कितने मुकदमे डी० डी० सी० क कोर्ट में इस समय पेन्डिंग में पड़े हैं और उनको निर्णित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद बाराबंकी में क्षेत्रीय उप संचालक चकबन्दी ने अन्तिम बार निगरानियों की सुनवाई व निस्तारण दिनांक ७–३–७५ को किया। इस जनपद में केवल २७२ निगरानियां निस्तारण हेतु शेष हैं। इन निगरानियों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु निर्देश देखिये गए हैं।

९—डाक्टर मलखान सिंह—

[७वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न १७ पर स्थानान्तरित।]

१०—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

गाजीपुर जिले की तहसील सैदपुर में ओले से क्षति

११—श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक १० मार्च, १९७५ को गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के कितने ग्राम भयंकर उपल वृष्टि से गम्भीर रूप से प्रभावित हैं उनमें फसलों की क्षति कितने प्रतिशत हुयी है सरकार उन क्षेत्रों में क्या राहत कार्य कर रही है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

तहसील सैदपुर के ३७१ ग्रामों में उपलवृष्टि से रबी की फसल को ५० से १०० प्रतिशत तक की क्षति हुई। प्रभावित लोगों की सहायता के लिये १,००,००० रु० आपदा तकावी के लिये तथा २०,००० रु० निःशुल्क सहायता के लिये आवंटित कर दिया गया। ओलापीड़ित क्षेत्र में वसूली स्थगित कर दी गई है। मालगुजारी तथा भूमि विकास कर में छूट के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

बहराइच तहसील के भवन की मरम्मत

१२—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को जानकारी है कि बहराइच जिले की तहसील बहराइच का भवन पुराने खपरैल का होने के कारण बरसात में काफी टपकता है जिससे वर्ष १९७३–७४ में मोहाफिज खाना में रखे तमाम सरकारी कागजात काफी सावधानी बरतने के बाद भी भीग कर बेकार हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार क्षति से बचाने के लिये नया तहसील भवन निर्माण हेतु चालू वर्ष में विशेष अनुदान देगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह सही है तहसील बहराइच के भवन की छतें खपरैल से निर्मित है, किन्तु प्रश्नगत वर्ष की वर्षा ऋतु में मुहाफिज खाने में रखे सरकारी कागजातों को क्षति नहीं पहुंची। इस वर्ष तहसील की वार्षिक मरम्मत करा दी गयी है।

अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता है।

१३—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[१६–४–७५ को वक्तव्य हो जाने से निरस्त।]

१४—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

फर्रुखाबाद जिले की तहसील कन्नौज में दायर किये गये सी० तथा० डी० के मुकदमे

१५—श्री झाम लाल अहिरवार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज में १ जनवरी, १९७४ से ३१ दिसम्बर, १९७४ में ११५ सी0 डी0 के कितने मुकदमें दायर हुये तथा कितना जुर्माना वसूल हुआ तथा कितने मुकदमें पड़े हुये हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला फर्रुखाबाद की तहसील कन्नौज में १ जनवरी, १९७४ से ३१ दिसम्बर, १९७४ तक ११५ सी० तथा डी० के १९४ मुकदमें दायर हुए। इनमें ५९२९.०० रु० जुर्माना वसूल किया गया तथा २२ मुकदमें शेष हैं।

गोरखपुर जिले के ग्राम भवरही, विशुन भटरिया और रायगंज की ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

१६—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

विधान सभा के तृतीय सत्र १९७४ के प्रथम शुक्रवार, दिनांक २७ दिसम्बर, १९७४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सम्बन्धित गांवों की ग्राम समाज की भूमि से सम्बन्धित विवरण क्या है तथा अवैध रूप से कौन—कौन लोग कब्जा किये हुये हैं ? उनके प्रति शासन ने क्या कदम उठाये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्रामवार सूचना निम्न प्रकार है—

(१) भवरही—इस ग्राम में ग्राम सभा की कुल भूमि २३.०० एकड़ है। श्री श्याम नारायण पुत्र महावीर ने आ० न० १४३२ रकबा ७५ डि० पर अवैध कब्जा किया था, उसे बेदखल किया जा चुका है तथा ७१२.५० रुपये जुर्माना हो चुका है। उन्होंने पुनः इस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। उनके विरुद्ध, दोबारा बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(२) विशुनपुर मटियरा—इस ग्राम में ग्राम सभा की कुल भूमि ४२.६२ एकड़ है। जो लोग अनधिकार कब्जा किये हुए थे उनकी बेदखली की जा चुकी है। अब कोई व्यक्ति गांव सभा भूमि पर काबिज नहीं है।

(३) मुड़ेरा ठकुराई—इस ग्राम में ग्राम सभा की कुल भूमि २७.६४ एकड़ है। अनधिकार कब्जा करने वालों को बेदखल किया जा चुका है। कोई अनधिकार कब्जा नहीं पाया गया है।

(४) रायगंज—इस ग्राम में ग्राम सभा की कुल भूमि ९५.८६ एकड़ है। जो लोग अनधिकार कब्जा किये हुए थे उन्हें बेदखल किया जा चुका है। इस समय आराजी नम्बर ६६६, रकबा ७५ डि0 पर सर्व श्री शंकर, सीताराम, लालसा, बटोही, मगरू, तिरबेनी, भुखई, राम प्यारे, शिवपूजन, धनई ने अवैध कब्जा कर लिया है तथा इन पर बेदखली की कार्यवाई धारा १२२-बी के अन्तर्गत आरम्भ कर दी गई है।

'भारत' समाचार-पत्र तथा समाचार एजेंसी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय सत्य प्रकाश मालवीय ने सूचना दी है कि १६ अप्रैल को, "भारत" दैनिक समाचार-पत्र के पृष्ठ ७ पर "श्री वरुण के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव" शीर्षक समाचार के अनुच्छेद ३ में काशी नाथ मिश्र को संगठन कांग्रेस से सम्बद्ध बताया गया है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि यदि श्री काशी नाथ मिश्र ने संगठन कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार कर ली है तो उसकी विधिवत् घोषणा आज ही माननीय सदन में की जानी चाहिये अन्यथा ऐसी कोई व्यवस्था आज सदन में दी जावे जिससे "भारत" दैनिक में प्रकाशित माननीय काशी नाथ मिश्र की पार्टी सम्बद्धता के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण हो जावे।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं कांग्रेस संगठन में कभी जा सकता हूं ? यह तो गदम्बड़ों की जमात है।

श्री अध्यक्ष--

दैनिक "भारत" के जो संवाददाता हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसका सुधार कर दें कि माननीय काशी नाथ मिश्र कांग्रेस (सत्ता) में हैं।

उपविद्यालय निरीक्षक श्री शिव शंकर तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष के निर्णय के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक माननीय झामलाल अहिरवार तथा माननीय ओम प्रकाश सिंह ने नियम ३०१ में एक सूचना दी है कि कल उनके द्वारा उप विद्यालय, निरीक्षक फतेहगढ़ श्री शिव शंकर लाल तिवारी के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर मैंने जो निर्णय दिया था उस पर पुनर्विचार किया जाय। जिस तरह से इस उप विद्यालय निरीक्षक ने खेद प्रकाश किया था आज तक मेरे समक्ष कोई नहीं आया। उन्होंने ईश्वर को साक्षी करते हुए खेद प्रकाश किया है वह पर्याप्त है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मान्यवर, उनके कहने को सही न मान कर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दें ?

श्री अध्यक्ष--

यह नियम ३०१ में है। ऐसा नहीं करना चाहिये था। जब किसी ने खेद प्रकाश कर लिया है तो फिर मीन-मेख निकालना उचित नहीं है।

एस० डी० एम०, सदर व उप पुलिस अधीक्षक, श्री सी० एन० पाण्डेय, गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक माननीय अब्दुल रऊफ लारी और माननीय मुहम्मद असरार अहमद ने सूचना दी है कि २० मार्च, १९७५ की कार्य-सूची की नत्थी "ख" के तारांकित प्रश्न के उत्तर के बाद के ११

[श्री अध्यक्ष]

अप्रैल, १९७५ को माननीय मुख्य मंत्री से मिले थे और उनसे ८०० एकड़ भूमि ग्राम भक्सा, थाना सहजनवां, जिला गोरखपुर की, जिसमें फसल खड़ी थी, उसे पुलिस द्वारा रोक कर बरबाद करने के बारे में कहा था। माननीय मुख्य मंत्री ने जिलाधिकारी, गोरखपुर को इसका निपटारा करने के आदेश दिए और इसी विषय पर सदन में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा भी स्वीकृत हो चुकी थी। सूचना देने वाले माननीय सदस्यों का कहना है कि एस० डी० एम०, सदर, श्री अब्दुल हई अंसारी व उप पुलिस अधीक्षक, श्री सी० एन० पांडेय भक्सा ग्राम गये और पूरे गांव में आतंक किया तथा बुरी तरह भद्दी गालियां दीं और किसान जो सीमांकन के बाद फसल काट रहे थे उसे रुकवा दिया और कहा कि "अब यह फसल विधान सभा में प्रश्न करने व विधायक द्वारा आकर कटवाने पर ही कटेगी।"

सूचना में ऐसे कोई आधार या तथ्य नहीं दिए गये हैं जिनसे यह सिद्ध हो कि वास्तव में वे शब्द कहे गये हों।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, जिनके सामने उन्होंने ये शब्द कहे, उन सब गवाहों के नाम दिए हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह नोटिस में तो नहीं दिए हैं। आप फिर दे दें, देख लूंगा। तो फिर आप इसको दीजिये तब हम फैसला करेंगे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

यह नोटिस ही तो है।

श्री अध्यक्ष--

यह जो आप कह रहे हैं अतिरिक्त सबूत, यह दे दीजियेगा तो कल देखेंगे। अभी इस पर निर्णय थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री नजीर अहमद द्वारा भारतीय लोक दल की सदस्यता त्याग कर सत्तारूढ़ कांग्रेस दल की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक और सूचना देनी है। श्री नजीर अहमद, सदस्य, जिला मेरठ ने सूचित किया है कि उन्होंने भारतीय लोक दल की सदस्यता को त्याग दिया है और कांग्रेस (शासक) दल में सम्मिलित हो गये हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

यह तो हमारे यहां से तीन महीने पहले ही निकाल दिये गये हैं। अब इसकी सूचना का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

कुछ भी हो, जो उनकी सूचना है वही हम पढ़ते हैं। वह निकाले गये होंगे, ठीक है।

सहकारी स्पिनिंग मिल, इटावा में तथा कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब सहकारी स्पिनिंग मिल, इटावा में तथाकथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दी गयी सूचना पर लघु उद्योग मंत्री का केवल वक्तव्य होगा।

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसेन)—

उत्तर प्रदेश सहकारी स्पिनिंग मिल्स, इटावा वर्ष १९५८ में स्थापित की गयी थी। राज्य की हथ करघा इकाइयों द्वारा वांछित सूत की पूर्ति करने की दृष्टि से यह प्रथम सहकारी कताई मिल थी। मिल को हानि मुख्यतया बुनकर सोसायटीज को डिस्काउन्ट दर पर सूत सप्लाई किये जाने से एवं विद्युत की कमी, श्रमिकों के वेतन में वृद्धि तथा सूत के बाजार भाव में असाधारण गिरावट के कारण हुई। मिल द्वारा पिछले वर्ष १९७३–७४ में रु० १,९७,३१,६४२.१२ की रुई खरीदी गयी। वर्तमान उत्पादन प्रबन्धक की आख्या से ज्ञात हुआ कि क ीब १४.३० लाख रु० के लागत की रुई घटिया किस्म की स्टाक में उपलब्ध है। इसका प्रयोग निर्णय होने तक ोक दिया गया है। इस घटिया किस्म की रुई के निस्तारण के लिये कार्यकारिणी उपसमिति ने एक जांच समिति का गठन किया है। समिति ने कुछ रुई के बिक्रेताओं का अन्य सौदों का शेष भुगतान रोक दिया है और उनको नोटिस दिये गये हैं कि घटिया किस्म की रुई सप्लाई करने का स्पष्टीकरण दें जिससे क्षति-पूर्ति की जा सके। समिति ने रुई बिक्रेताओं के विरुद्ध सभी सम्भव कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

मिल के विस्तार के लिये केन्द्र सरकार ने नहीं वरन् उत्तर प्रदेश शासन ने मिल के ६० लाख रुपये के अंश क्रय किये हैं ताकि मिल में २५,००० अतिरिक्त तकुवे लगाये जा सकें। इस धनराशि में से ४,४७,९७० रुपये मशीनों के क्रय के लिये आर्डर देते समय अग्रिम दिये जा चुके हैं। मिल विस्तार के लिये मार्च, ७४ में ५७ रिंग फ्रेम तथा २ डबलिंग मशीनों को क्रय करने के लिये आर्डर नेशनल मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लि०, थाना, बम्बई को दिये गये हैं। इन मशीनों का अनुमानित मूल्य लगभग ९४ लाख रुपये होगा।

फरवरी, १९७५ के प्रथम सप्ताह में केवल १३,१४,०७७ रुपये की रुई ख ीदी गयी। यह रुई प्रचलित बाजार भाव से खरीदी गई थी।

जैसा कि निवेदन किया जा चुका है कि मिल को विभिन्न कारणों से घाटा हुआ है। परन्तु वर्ष १९७३–७४ में मिल को १०,९१,२६९.१८ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

जुलाई व अगस्त, १९७४ में भी मिल लाभ पर चली। सितम्बर, १९७४ से फरवरी, १९७५ तक मिल में अवश्य घाटा हुआ है। यह घाटा मुख्यत: श्रमिकों की वेतन वृद्धि, विद्युत् की कमी तथा सूत के बाजार के निरन्तर गिरने के कारण से हुआ है।

मिल के प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं। मिल के उत्पादन प्रबन्धक, अतिरिक्त महाप्रबन्धक का कार्य भी करते थे, को हटाकर उनके स्थान पर एक अन्य अनुभवी उत्पादन प्रबन्धक को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने २०–१–१९७५ को कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा एक प्रशासकीय सेवा के अधिकारी को महाप्रबन्धक नियुक्त किया गया है। संचालक मण्डल द्वारा मिल के कार्यप्रणाली के सुधार के लिए तथा खर्चे में कमी व आय को बढ़ाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने के विषय में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

मंत्री जी ने बताया कि फरवरी, १९७५ के प्रथम सप्ताह में, १३,१४,०७७ रुपये की रुई ख ीदी गयी यह बिलकुल असत्य है। मेरी निश्चित जानकारी है कि जनवरी-फरवरी, १९७५ में एक करोड़ रुपये से भी अधिक की रूई खरीदी गयी है, क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री इस्तफा हुसेन—

जो जानकारी मेरे पास है उसके आधार पर मैंने कहा है कि १३ लाख कुछ रुपये की रुई खरीदी गयी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

एक करोड़ से अधिक की रुई खरीदी गयी है जिसमें १५ लाख की घटिया किस्म की रुई है, तो क्या इसकी मंत्री जी सी० बी० आई० से जांच करवायेंगे ?

श्री इस्तफा हुसेन—

प्रश्न में फरवरी के प्रथम सप्ताह में कितनी रुई खरीदी गयी, यह पूछा गया था और उसी का उत्तर दिया गया है। १-२-७५ से ६-२-७५ तक १३,१४,०७७ रुपये की रुई खरीदी गयी है ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, इस तरह की जो खरीद-बिक्री होती है उसमें खरीदने वालों का भी हाथ होता है, तो जिस अधिकारी ने यह खरीद की उसके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की ?

श्री इस्तफा हुसेन—

जो खराब किस्म की रुई खरीदी गयी थी उसका ज्ञान जनवरी के महीने में हुआ, पहले नहीं हुआ। प्रोडक्शन मैनेजर की गलती से ऐसा हुआ और एक सप्ताह के ही अन्दर उनको हटा दिया गया ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

इस कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल के चेयरमैन कौन हैं ?

श्री इस्तफा हुसेन—

मार्च, १९७४ से गैरसरकारी चैयरमैन, श्री हबीबुर्रहान नोमानी नियुक्त हुये हैं।

चौधरी चरण सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके पहले वर्ष में कितनी रुई खरीदी गयी थी ?

श्री इस्तफा हुसेन—

इसके पहले गैर सरकारी चेयरमैन नहीं होते थे ।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

चेयरमैन साहब की सेवा की अवधि अभी ३१ मार्च को खतम होने वाली थी या ३१ मार्च को खतम हो चुकी है। सेवा समाप्ति के चन्द दिन पहले या उसी साल २ करोड़ रुपये की रुई खरीद ली, तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले साल कितनी खरीदी गयी थी ?

श्री इस्तफा हुसेन—

आप प्रश्न को फिर दोहरा दें ।

चौधरी चरण सिंह—

प्रिसीडिंग ईयर ७२-७३ में कितनी खरीदी है

श्री इस्तफा हुसेन---

७२-७३ में १४ लाख ८२ हजार का फायदा हुआ और ७३-७४ में ३ लाख ९५ हजार का फायदा हुआ। उसी साल गैर सरकारी चेयरमैन श्री हबीबुर्रहमान नोमानी मुकर्रर हुए थे।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, आप ही सुन लीजिये और हम लोगों को कम्युनिकेट कर दीजिये। हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैंने भी नहीं सुना उसे।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को सुनाई नहीं पड़ता है और सरकार भी उन्हीं की तरह से गूंगी, लूली और लंगड़ी है।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

इटावा जिले की जो स्पिनिंग मिल है.....

चौधरी चरण सिंह---

मेरे सवाल का जवाब तो अभी तक आया नहीं और आपने दूसरे सवाल का मौका दे दिया। ७२-७३ में कितनी रुई खरीदी गयी? इसका जवाब तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष---

मुझे सुनाई नहीं पड़ा।

चौधरी चरण सिंह---

तो फिर मैंने कैसे सुन लिया?

(व्यवधान)

फिर दिलवा दें जवाब।

श्री अध्यक्ष---

७२-७३ में कितनी रुई खरीदी है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

(श्री इस्तफा हुसेन से) चौधरी साहब आपसे पूछ रहे हैं कि ७२-७३ में कितनी रुई खरीदी है?

श्री इस्तफा हुसेन---

७२-७३ में कितनी रुई खरीदी गयी, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

तो अब मैं इस बयान को आगे के लिये टालता हूं। इसकी सूचना आपको होनी चाहिये क्योंकि इन लोगों के इतना कहने का मलतब है कि इसमें कुछ गोल माल है और इसीलिये यह प्रश्न किया गया है।

चौधरी चरण सिंह—

जो इनक्वायरी आप करा रहे हैं कि रुई घटिया क्यों खरीदी गयी, तो क्या चेयरमैन के खिलाफ भी इनक्वायरी हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं स्थगित कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

इसीलिये इधर से छोड़ कर उधर चले जाते हैं गद्दी पाने की लालच में। वह उधर ही है, इधर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे एक सूचना देनी है ।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप इसको स्थगित तो कर रहे हैं लेकिन इस तरह के घपले सारे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। २५ हजार तकुवे लगाने की बात थी लेकिन इटावा जिले में एक भी तकुवा नहीं लगाया गया है और सरकार को ५० हजार रुपया व्याज देना पड़ रहा है और माननीय मंत्री जी उसे दे नहीं रहे हैं और पूर्वी जिले के सारे बुनकर खाने बिना मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब यह दूसरे दिन आयेगा।

श्री सत्यवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे आपको सूचना देनी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/११६/१५१ के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलाधिकारी ने लिखा है कि "मैंने यह निर्देश दिया है कि श्री सत्यवीर सिंह यादव, एम० एल० ए०, बुलन्दशहर को बंदी कर लिया जाय ।"

श्री सत्यवीर सिंह यादव, एम० एल० ए०, बुलन्दशहर, १८-४-७५ को ११ बजे लगभग बन्द कर लिये गये हैं और वह लखनऊ जिला जेल में रखे गये हैं ।

यह सूचना मैं आपको दे रहा हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री बाबू लाल वर्मा एवं श्री मुलायम सिंह यादव, श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री राम अधार, श्री राम प्रकाश यादव, श्री शतरुद्ध प्रकाश, श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री मधुकर दिघे ने सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के बारे में . . . . .

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

हां दिया है।

श्री अध्यक्ष—

अभी मैं आपको सुना रहा हूं, आप बैठें।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह दलीय मामला है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

चीफ मिनिस्टर दिल्ली को.....

(कई सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

यह दलीय मामला नहीं है।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप भी गंभीरता से इसको कह रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, आप जो कह रहे हैं वह सही है कि यह दलीय मामला है। लेकिन मान्यवर, जब दलीय मामला अखबारों में छप जाय तो वह सबको हतोत्साहित कर सकता है। इससे फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। मान्यवर, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन पंगु है। मान्यवर, मैं भी कहता हूं कि यह दलीय मामला है लेकिन दलीय मामला हो और अखबारों में छपे। यहां मंत्रि-मंडल और माननीय सदस्यों के मध्य कांट्राडिक्शन, विचार भिन्नता है। यह दलीय मामला नहीं है, मान्यवर, इसके बड़े गम्भीर परिणाम होंगे।

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने पर)

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप इस तरह से कहेंगे तो कैसे चलेगा, एक-एक कहें। २ नोटिसें हैं, सबको इस पर कैसे सुन लें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, अखबारों में फोटो भी छप गयी है। उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफा दे रहे हैं तो ३ मंत्रियों ने कहा कि हम भी दे रहे हैं और इस तरीके से तमाम शासन बिगड़ चुका है। इसका चाहे जिससे संबंध हो। चाहे कांग्रेस पार्टी से हो। हम तो नहीं कहते। कांग्रेस पार्टी से हो या इंदिरा जी से या किसी से। हमारा कहना है कि अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ बात जरूर है। वरना यह बात नहीं थी तो फोटो कहां से आ गयी।

कारागार मंत्री (श्री लोक पति)—

अध्यक्ष महोदय, न किसी मंत्री ने त्यागपत्र को दिया और न कोई दलीय झगड़ा है। यह कारण हों तो श्रीमन् हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। उस दल में ऐसी बात हो तो वह इसकी चर्चा, वह कर रहे हैं।

(व्यापक शोर)

श्री अध्यक्ष—

अभी मैंने, कार्य मंत्रणा समिति में कहा कि हमारे दल के जो सदस्य हैं .....

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

मान्यवर, मतभेद इतने हैं .....

श्री अध्यक्ष—

नहीं अब समय नहीं है।

(कई सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

आपके दल का विषय हो या किसी के दल का विषय हो, किसी दल के बारे में यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं हो सकता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोर) (कई सदस्य बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन सभी अस्वीकृत हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लड़ाई विरोधी दल के अन्दर है। आप इस बारे में व्यवस्था दें कि यह झगड़ा कांग्रेस के अन्दर है या ..... (व्यवधान) जो प्रस्ताव आपको दिया गया, मंत्रि-परिषद् की जिम्मेदारी होती है, इस मामले पर। मंत्रि-परिषद् में इतना बड़ा व्यापक असंतोष है।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती .....

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायगा, इजाजत नहीं है।

श्री राम अधार—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

नहीं, अब वित्तीय वर्ष १९७५–७६ के आय-व्ययक पर मतदान .....

नियम २०० (१) के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव नियम २०० (१) के अन्तर्गत था .....।

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपकी सूचना को ग्राह्य किया है। आपने ग्राह्यता के संबंध में जो प्रस्ताव दिया है उसको मैंने स्वीकार किया है। श्री मलखान सिंह जी का भी यही है। नाम आपका भी जोड़ दिया जायेगा, लेकिन देखने के बाद। इस संबंध में कल कार्य-मंत्रणा समिति में बात करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव---

यह कोई मेरा प्रश्न नहीं है। आप स्वयं जानते हैं।

श्री अध्यक्ष---

ग्राह्य तो कर लिया है। समय के लिये बड़ी कठिनाई है। माननीय नेता और विरोधी दल के नेता से कहूंगा कि कार्य-स्थगन और ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव, यदि नेताओं की तरफ से आ जायं तो ठीक है, लेकिन यदि आपका स्वीकार करें तो उस पर समय नहीं है। जितने स्वीकार किये हैं वह ४ तारीख तक लिये जा सकते हैं। मैंने सबेरे निवेदन किया है कि जो कहना चाहते हैं वह बजट पर बोलने का कष्ट करें। इसलिये यदि कोई खास बात है तो चौधरी साहब या माननीय नेता जनसंघ दे देंगे तो उस पर विचार करेंगे, वैसे कष्ट न करें।

भारत सोवियत सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित कार्य-क्रम में राष्ट्रीय झंडे के प्रयोग हेतु बने कोड के उल्लघंन के विषय पर चर्चा की मांग

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मुझे एक महत्वपूर्ण मामले को रखने की आपने अनुमति दी है। ११ अप्रैल से १३ अप्रैल तक लखनऊ में भारत सोवियत संघ के सांस्कृतिक कार्यक्रम किये गये। उसमें रूस और भारत के झन्डे को एक बिल्ले में छापा गया है। यह प्रश्न उठाया गया था लेकिन इस पर मुख्य मंत्री जी ने सफाई से जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया था। यह मुझे याद है, लेकिन किस बिन्दु पर आप कहना चाहते हैं?

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मान्यवर, इसमें राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया गया है और उसको लेकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप अपनी कोई व्यवस्था दें। बनारस, लखनऊ या पूरे सूबे के अन्दर यदि कोई ऐसा काम होता है जो संविधान के खिलाफ होता है तो मैं समझता हूं.....

श्री अध्यक्ष---

आपका यह आया था, तो मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अपमान नहीं हुआ है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मान्यवर, जो जवाब दिया है वह प्लेट फार्म नं० १ पर रूस और भारत के झंडे लगे थे, उसके संबंध में था। लेकिन मैं जो सवाल उठा रहा हूं वह यह कि जो बिल्ला छापा गया उसमें रूस और भारत के झंडे को एक में दिखाया गया है। ऐसा लग रहा था कि रूस और भारत का एक झन्डा है।

श्री अध्यक्ष—

नियमानुकूल दोनों देशों के अलग-अलग झन्डे हैं। आप समझें तो दूसरी बात।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, राष्ट्रीय झंडे के सम्बन्ध में आपको भी बहुत जानकारी है। एक नेशनल कोड है, कहां पर किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग होना चाहिये इस के लिये कानून बना हुआ है। आपको यह भी मालूम है कि यू० एन० ओ० के झन्डे का जब दुरुपयोग होने लगा तो वहां पर भी निर्णय लिया गया और अन्तर्राष्ट्रीय कानून बना है। इसलिये एक कानून बना है उसके विपरीत उसको तोड़ कर, राष्ट्रीय झंडे का अपमान हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि अगर अनजाने में ही कोई गलती हो गई है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यह बाद में घातक होगा। इसलिये जरूरी यह है कि जो नेशनल फ्लैग का कोड बना हुआ है, राष्ट्रीय झन्डे के बारे में, मैं तो रूस के झंण्डे के बारे में भी कहना चाहता हूं, कि जो नियम बने हुये हैं, जो कानून बने हुये हैं, उनका इस्तेमाल होना चाहिये कि यह शरीर पर धारण नहीं होना चाहिये, आदि और यदि जो व्यवस्था है उसका हनन होता है और जब कानून के विपरीत कार्य होता है तो उस पर विचार होना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस पर गवर्नमेंट की तरफ से और माननीय तिवारी जी को भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये कि इस पर विचार हो।

श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

तो क्या राष्ट्रीय झंडा अमेरिका के झंडे के साथ लगाया जाना चाहिये था ?

एक सदस्य—

मान्यवर, चोर की दाढी में तिनका।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल तथा हमारे युवा सदस्य बनारस के उनसे मेरा यह आग्रह है.....

चौधरी चरण सिंह—

हमारे श्री दिघे जी भी तो पुरुषार्थी हैं, उनका नाम नहीं लिया आपने.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिघे जी का नाम मैं इसके बाद लेता। मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध है मैत्री का, तो अगर इस पर इस तरह से बराबर चर्चा होगी तो यह उचित न होगा। यह कोई प्रश्न आन्तरिक नहीं है। भारत और सोवियत रूस की मैत्री का सम्बन्ध है और सभी इस बात को मानते हैं कि यह मैत्री मजबूत रहनी चाहिये, इसमें दो झंडे का नहीं वरन बैज.....

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जो भारतीय झण्डा संहिता है कि उसकी धारा ५ में लिखा हुआ है कि इस झंडे को वर्दी या पोषाक के रूप में काम में नहीं लाया जा सकता। इसके अतिरिक्त अन्य जो नियम इस संहिता में दिये गये हैं और उनकी निश्चित और निर्धारित व्याख्या दी गई है उसके अनुसार चाहे वह रूस का झंडा हो चाहे अमेरिका का झंडा हो या किसी अन्य देश का झंडा

हो किसी भी देश के झंडे के साथ इस तरह से प्रयोग नहीं होना चाहिये। इसमें एक ही झंडे के दो भाग दिखाये गये हैं और जो प्राविधान दिये हैं संहिता में उसके सर्वथा प्रतिकूल हैं। अध्यक्ष महोदय, सन् १९३१ में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर जब प्रीवेन्टिव. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं, न तो आपने लिखकर दिया और न आपने पहले मुझको बताया है तो इस तरह से कैसे काम चलेगा।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर भारत और रूस की मैत्री हम नहीं चाहते ऐसी बात नहीं है। हम भी चाहते हैं कि मैत्री सुदृढ़ रहे, लेकिन मैत्री का मतलब गुलामी नहीं हुआ करती, मैत्री बराबरी की हुआ करती है। यह कोई व्यक्ति, स्त्री और पुरुष जैसा सम्बन्ध नहीं है। यह राष्ट्रों का सम्बन्ध है। आप मंत्री जी, बगलें मत झांकिये . . . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं तो केवल यह निवेदन कर रहा था कि यह झंडे का प्रश्न नहीं है यह बैज का प्रश्न है। वह एक पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेशन आफ ए नेशनल फ्लेग है, वह नेशनल फ्लेग नहीं है। भूगोल की किताब में हर विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है इन झंडों के बारे में। १३२ राष्ट्र हैं और उनके झंडे होते हैं और हर देश का झंडा इसमें छापा जाता है। जो अल्फाबेटिकली लिस्ट बनी हुई है उसमें भारत का स्थान ५२वां है और उसी स्थान पर वह छापा जाता है। यूनाइटेड नेशन्स में भी झंडे लगते हैं और उसमें हमारे देश का भी झंडा लगता है। तो यह तो पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेशन आफ नेशनल फ्लैग है न कि नेशलन फ्लैग। बैज में भारत और सोवियत रूस का झंडा है और वह सोवियत रूस के झंडे के साथ मिला हुआ है। बैज के सम्बन्ध में कोई कोड नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

भारत का झंडा बाद में है और रूस का पहले।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, जो प्रस्ताव आया था वह चर्चा के लिये आया है न कि अभी चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास कोई नोटिस तो नहीं आई है। मैंने तो संक्षेप में जब कोई बात उठाई जाती है तो कहने के लिये कह दिया था. . . . . .

चौधरी चरण सिंह--

तो अब आप चर्चा के लिये समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

यह कैसे हो सकता है जब तक कि आप नोटिस न दें और तब कोई बात उठाते हैं तो ठीक है। न तो मेरे पास ५१ की नोटिस है और न ५६ की। नोटिस आप हमको भेज दें।

चौधरी चरण सिंह--

मैं नोटिस भिजवाये देता हूं।

विविध विषय

श्री अब्दुल रऊफ ला ी (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैंने एक नोटिस नियम ५६ मे दिया था. . . . . .

श्री अध्यक्ष---

वह ५१ में देखा जायेगा ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

मान्यवर, २० हजार मजदूर बेकार हैं। स्वदेशी काटन मिल्स में ८ हजार मजदूर बेकार हैं, एलगिन मिल नं० २ में ६ हजार आदमी बेकार हैं और इसी तरह से दूसरी मिलों में भी लोग बेकार हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है और कई मजदूर जख्मी हो गये हैं। म्योर मिल भी बन्द है, मजदूर परेशान हैं। ला एण्ड आर्डर का खतरा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि या तो इस पर चर्चा का समय दें ताकि जो टैक्सटाइल उद्योग की हालत है उस पर पूरी तस्वीर सरकार के सामने आ सके और सरकार उसमें हस्तक्षेप करके इस मामले को हल करने की कोशिश करे। मजदूरों को उठाकर बन्द कर दिया जाता है और मिल-मालिकों के लिये कोई कायदा कानून नहीं है। वह चाहे जो करें मिल मालिक मजदूरों के खिलाफ वारन्ट निकलवाते हैं, यह हालत है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन के सामने यह बात आनी चाहिये कि सरकार उनके मामले मे क्या कर रही है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

नियम ३११ में मैंने और नेता जनसंघ ने एक नोटिस दी थी. . . . . .

श्री अध्यक्ष---

वह अभी-अभी ११ बजकर २५ मिनट पर प्राप्त हुई है। इसको आप कल उठाइये।

चौधरी चरण सिंह---

मान्यवर, यह दे ी का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

२२ तारीख को इस पर बयान है और जो कुछ आपको कहना है उस समय आप कह सकते हैं और सरकार से आश्वासन ले सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, हम तीनों नेताओं ने समझ-बूझ कर यह नोटिस दिया है क्योंकि वि ोध पक्ष की साख गिर रही है। इसलिये गिर रही है कि सुजाता काण्ड में उस लड़की के प्रति अपनी लड़की की सहानुभूति रखते हुये भी, उससे जो नतीजे निकले हैं उसमें बड़े-बड़े आफीसर्स हैं, बड़े-बड़े जजेज शामिल हैं। इसमें मान्यवर, लेजिस्लेचर्स शामिल हैं, इसमें मंत्री लोग शामिल हैं और इसमें और भी ऊंचे-ऊंचे लोग हैं जिन्होंने बहुत-सी हमारी कन्याओं की इज्जत बरबाद की है और समाज को गन्दा कर दिया है। आज तक इतना बड़ा स्केन्डल किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ है। और इंक्वायरी इसलिये इसमें नहीं हुई क्योंकि पुलिस अफसर भी इसमें शामिल हैं। अतः यह प्रस्ताव इसलिये आवश्यक है कि सी० आई० डी० की इंक्वारी बेकार है, सी० बी० आई० की इंक्वारी होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

चौधरी साहब तो मान गये. . . . . .

चौधरी चरण सिंह--

आप चर्चा की बात कह रहे थे इसलिये मैं बैठ गया। हमारा एक पोजीटिव रैजोलूशन है कि यह मामला सी० बी० आई० के सुपुर्द कर दे। यह रैजोलूशन उस दिन कैसे आयेगा।

श्री अध्यक्ष--

अभी-अभी वह आया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आप उसको पढ़ लें। समाज के लिये दो मिनट खर्च कर दें।

चौधरी चरण सिंह--

पढ़ने के बाद समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

सुजाता काण्ड पर विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल उठा था और श्री वरुण को विशेषाधिकार समिति.....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

वह हरिजन कल्याण विभाग के सचिव हैं।

श्री अध्यक्ष--

ऐसे नहीं। आपने माधव प्रसाद त्रिपाठी को पकड़ लिया और दस्तखत करवा लिये। कम से कम हमको समय तो दें।

चौधरी चरण सिंह--

हम घंटे भर का समय आपको देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अगर यह मान भी लें तो फिर इस तरह से पचासों सवाल आयेंगे और एक परम्परा सी पड़ जायगी। मैंने अभी नियम ५६ के बारे में भी कहा। उसमें कितने सवाल उठाये गये हैं, अगर कोई देखेगा तो हंसेगा।

चौधरी चरण सिंह--

यह तो हमेशा होगा। आपको अपने विवेक से इसमें लाइन खींचनी होगी। अगर बहुत हो जायंगे इसलिये किसी को इजाजत न दें तो यह कैसे हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष--

नियमानुसार कितने भी हो सकते हैं। लेकिन इस तरह से रोज इतने सवाल उठाये जायं। बहुमत उधर भी है।

चौधरी चरण सिंह--

इसको कल ले लें। सबसे पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष--

सवाल नहीं होंगे। सबसे पहले तो होगा ही। हम देखेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

चौधरी साहब ने आपकी आज्ञा मान ली। वह हमारे अगुआ हैं इसलिये हम भी मान रहे हैं। आपने कहा कि अगर अवसर दे दें तो परम्परा पड़ जायगी.....

श्री अध्यक्ष---

नियम विरुद्ध.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

कम से कम इस सत्र में, जबसे ७४ का चुनाव समाप्त होकर विधान सभा का गठन हुआ है तब से ऐसा महत्वपर्ण प्रश्न नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---

इतना महत्वपूर्ण सवाल है तो समय के अन्दर क्यों नहीं दिया ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अगर मुझसे गलती हो गयी तो आपसे क्यों हो।

चौधरी चरण सिंह---

समय बीतने के साथ इसकी गम्भीरता बढ़ती जा रही है।

श्री अध्यक्ष---

मैं उसकी गम्भीरता और महत्व के बारे में जब सोचता हूं तो उसको मानता हूं, लेकिन....

चौधरी चरण सिंह---

बस, मान्यवर, हम लोग यही चाहते हैं, उसकी गम्भीरता को आप मानें।

१९७५-७६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ५३-उद्योग, अनुदान संख्या ५५-खानें तथा खनिज, अनुदान संख्या २३-लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या ७४-विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९० ऋण और अग्रिम-उद्योग

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३--उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,४१,८१,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं, मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५५--खानें तथा खनिज के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४६,४६,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं, मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २३--लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,९३,५२,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं, मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७४--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २१,२३,००,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं, मान्यवर श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९०–ऋण और अग्रिम–उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,४२,१२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, यह जो अनुदान मुझे प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह भारी उद्योग से संबंधित है, प्रदेश में जो खान और खनिज का काम चल रहा है, उससे संबंधित है। आज की पृष्ठभूमि में भारी उद्योग के बारे में क्या नीति हो, इसका अपना महत्व है। एक तरफ तो बिजली की कमी है और खेती को बिजली देने के लिये समय–समय पर जो उद्योग पहले से चल रहे हैं, उनमें बिजली की कटौती हो रही है। इसलिये इस बिजली की कमी की वास्तविकता को देखते हुये हमारी भारी उद्योग की नीति २–३ बातों पर आधारित है। पहला तो यह कि ऐसे उद्योग प्रदेश में लगाये जायं जो पावर इनटेन्सिव न हों, जिनमें बिजली कम खर्च होती हो और रोजगार ज्यादा मिलता हो और जो इम्प्लायमेंट ओरियेन्टेड हों। तो पावर इनटेन्सिव न हो, लेस पावर इनटेन्सिव हों और रोजगार अधिक मिलता हो, एक तो ऐसे भारी उद्योग लगें। दूसरे ऐसे लगें जिनसे हमारी खेती की पैदावार से संबंध हो। ये जो छोटे उद्योग हैं, या गृह उद्योगों की बात करते हैं, इन दोनों की जो मुख्यनीति है, भारी उद्योग के संबंध में उस नीति का केन्द्र बिन्दु ये दोनों बिन्दु हैं। इसी दृष्टिकोण से हमने एक तरफ तो पिछले २ वर्षों में खेती पर आधारित यानी गन्ने पर आधारित चीनी मिलों को बढ़ाने का प्रयास शुरू किया। पहले १९७०–७१ तक हमने ५ नयी चीनी मिलें लगायीं। लेकिन ज्यादातर चीनी मिलें महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत में लगीं। हमने यह प्रयास किया कि इससे एक तरफ हजारों किसान मजदूरों को रोजगार मिलेगा, गन्ने विकास के अन्तर्गत और फिर जो चीनी मिलेगी, उससे १० तरह के रोजगार मिलेंगे, जो उसके प्रभाव से उत्पन्न होते हैं और इससे बेकारी कम होगी। हमने २५ नयीं मिलों के लिये लायसेंस प्राप्त किये--२१ कोआपरेटिव सेक्टर में और ४ पब्लिक सेक्टर में। ये मिलें ऐसी जगहों पर लगायी जा रही हैं, जहां गन्ना बहुतायत से पैदा होता है और जहां पहले कोई उद्योग नहीं थे। इससे एक तरफ भारी उद्योग लगेंगे और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा।

इसी तरह से हमने बुनकरों के लिये सूत उपलब्ध कराने के लिये लाइसेंस प्राप्त किये टैक्सटाइल के लिये। इसके अन्तर्गत हमने करीब २० कताई मिलों के लिये लाइसेंस प्राप्त किये। इससे प्रदेश में कपास की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा एक तरफ, और दूसरी तरफ लाखों बुनकरों का जो यह बड़ा उद्योग है, उस उद्योग में उनको पूरा कार्य देने के लिये यह भारी उद्योग पूरक होगा, सप्लीमेंटल होगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इन सूत मिलों पर लगभग १०० करोड़ रुपये आने वाले ५, ६ सालों में लगेंगे क्योंकि ये २० मिलें होंगी और उनसे हमारे यहां जो सूत की कमी है बुनकरों को जिसके लिये दूसरे प्रदेशों पर आधारित रहना पड़ता है वह कमी पूरी हो जायगी और यह असंतुलन समाप्त हो जायगा। दूसरे इलेक्टोरानिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है और उसके लिये यू० पी० इलेक्टोरानिक्स कारपोरेशन का निर्माण हुआ है। इलाहाबाद में टेलीफोन फैक्टरी की स्वीकृति हो चुकी है और कानपुर में इलेक्टोरानिक्स टेस्ट प्रयोगशाला का निर्माण शुरू हो गया है और गाजियाबाद से सारे प्रदेश के अंचलों को जो पिछड़े हुए थे और जहां इलेक्टोरानिक्स की बहुत कमी थी उस कमी को पूरा किया जा रहा है।

दूसरी ओर जो हमारे यहां खनिज पदार्थ हैं उनसे भी प्रदेश अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके इसके लिये हमारा पूरा प्रयास है। सीमेंट कारपोरेशन के माध्यम से चुनार, खजुराहो में सीमेंट फैक्टरी की व्यवस्था का विचार है और डल्ला फैक्टरी की निर्माण क्षमता बढ़ा कर १६ लाख टन सीमेंट तैयार हो सके इसके लिये कार्य शुरू कर दिया है और इतना सीमेंट बन जाने से प्रदेश में सभी प्रकार के निर्माण कार्य को गति मिल सकेगी। ४८ करोड़ रुपये की लागत इसमें लगेगी। इसके लिये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया से और जितने अन्य स्रोत हैं उनसे रुपया प्राप्त करने का हमारा प्रयास है जिससे सीमेंट का यह कार्य शुरू किया गया है।

केन्द्रीय सरकार से इस बात का प्रयास किया गया है कि सेंट्रल सेक्टर में यहां पर बड़े उद्योग नहीं लगते थे लेकिन अब बड़े पैमाने पर सेंट्रल सेक्टर में सरकार हमारे प्रदेश के अन्दर हैवी इंडस्ट्रीज लगाने को तैयार हो गयी है जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने पिछले दो तीन सालों में उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योग लगाने का फैसला किया जिसके नमूने हम चारों तरफ देखते हैं। एक मथुरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट है जो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी। उसकी रिपोर्ट आ गयी है और अब बड़े पैमाने पर काम भी शुरू हो गया है। ईराक का तेल शुद्ध होगा और बम्बई हाई का तेल शुद्ध होगा और यह एक बड़ी रिफाइनरी होगी जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही है। लोग जब बहुत सी फैक्टरीज में काम शुरू होते नहीं देखते हैं तो यह समझते हैं कि ये फैक्टरीज नहीं बन रही हैं लेकिन वास्तविक बात यह होती है कि उनके डिटेल्ड डिजाइन में बहुत समय लगता है, फैक्टरी बनाने में बहुत कम समय लगता है। हजारों नक्शे बनाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिये फूलपुर की फर्टिलाइजर फैक्टरी है १२० करोड़ रुपया लगेगा। वर्ल्ड बैंक से उसके लिये सहायता मिलेगी। यह एक बहुत बड़ी फैक्टरी होगी जिससे खाद की जो बहुत बड़ी कमी है उसकी पूर्ति हो सकेगी।

इसी तरह से स्कूटर इंडिया तीन लाख स्कूटर वार्षिक बनायेगा और हमारे देश व प्रदेश में उसका आंशिक कार्य प्रारम्भ भी हो गया है। उसी तरह से एच० ए० एल०, लखनऊ की फैक्टरी है, रायबरेली में टेलीफोन एक्सचेंज की फैक्टरी है और गाजियाबाद में इलेक्टोरानिक्स की फैक्टरी है। आप देखेंगे कि पिछले सालों में बहुत भारी उद्योग यहां आये हैं और हमारा यह प्रयास है कि उनको पूरा किया जाय तथा जो कच्चा माल यहां उपलब्ध है उनके ऊपर आधारित उद्योगों को हम लगा सकें। इस बीच हमारा प्रयास यह भी रहा कि बिजली की स्थिति सुधारना आवश्यक है ताकि ज्वाइंट एवं निजी सेक्टर में अधिक उद्योग लग सकें। १९७४-७५ के दौरान हमारे प्रदेश में ८० नये लाइसेन्स दिये गये जिनमें २५० करोड़

रुपये का कैपिटल इंवेस्टमेंट होगा और उनमें २९ लाइसेन्सेज में ३५ करोड़ के इंवेस्टमेंट से कार्यान्वित हो चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को राष्ट्रीय उद्योग नीति के अनुरूप कार्य करना है।

जो इन्डस्ट्रियल पालिसी है उसमें निश्चित है कि पब्लिक सेक्टर में कौन से उद्योग लगेंगे और कोआपरेटिव सेक्टर में कहां पर छूट है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश को लाइसेन्स मिले और विभिन्न क्षेत्रीय इम्बैलेन्सेज को दूर करते हुये हमारे प्रदेश में ये उद्योग लग सकें। इसके लिये एक बुनियादी ढांचा बनाया गया है और एक नये कन्सेल्टेंसी कारपोरेशन की स्थापना की गई है। बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है और वे उद्योगों में पैसा लगाना चाहते हैं। चूंकि वे टेक्निकल लोग नहीं हैं, यह नहीं जानते कि कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी जाय इसलिये वे इसे जानने के लिये कलकत्ता, बम्बई आदि स्थानों पर जाकर कन्सेल्टेंसी सर्विस प्राप्त करते हैं। इसी दृष्टिकोण से हमने कानपुर में इस कन्सेल्टेंसी कारपोरेशन स्थापित करने का विचार किया है ताकि इन लोगों को छोटी-बड़ी कन्सेल्टेंसी सर्विस प्राप्त हो सके जिसमें पांच–दस–बीस–पचास लाख करोड़–दो करोड़ की कोई भी योजना किसी भी जिले में कोई लगाना चाहे तो उसे आसानी से बिना किसी लाभहानि के वहां से कन्सेल्टेंसी सर्विस मिल सकती है।

हमारी पिकप नाम की संस्था बड़ा सुन्दर काम कर रही है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में सिकोम नामक संस्था है उसी प्रकार हमने भी उत्तर प्रदेश में एक पिकप नामक संस्था बनाई है जो कि एक आटोनौमस बाडी के रूप में है। यह कन्सेल्टेंसी सर्विस के अतिरिक्त सेल्स टैक्स की छूट भी देती है जैसाकि महाराष्ट्र और गुजरात में है। वहां पर सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है कि जमीन कहां पर है, क्रेडिट गारन्टी कैसे मिलेगी, सेल्सटैक्स की छूट कितनी मिलेगी। तो यह संस्था बहुत सुन्दर काम कर रही है। जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा था पिकप ने पिछले वर्ष १ करोड़ ५८ लाख रुपया ऋण के रूप में वितरित किया था तथा ३६ लाख शेयरों को अन्डर राइटिंग किया था। ऋण गारन्टी योजना के अधीन निगम ने १४ लाख रुपये तक की गारन्टी दी है। निगम ने बिक्री-कर योजना के अन्तर्गत प्रार्थी उद्योगों को ४३ लाख रुपये वितरित किये हैं।

इसी प्रकार वित्त निगम का कार्य बढ़ गया है और वह बड़े पैमाने में छोटे और मझोले उद्योगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार ऋण देता रहा है। इसके अलावा इसी सदन में बहुत बार चर्चा हुई जेनरेटिंग सेट्स लगाने की। इसी चीज को दृष्टि में रखते हुये राज्य सरकार ने ३ करोड़ ४७ लाख रुपया राज सहायता के रूप में वित्त निगम को देने का प्रस्ताव किया है और इससे ९२१ जेनरेटिंग सेट्स लगाने का प्रस्ताव है जिससे ६६ मेगावाट बिजली की वृद्धि हुई है। श्रीमन्, आज जब कि बिजली का उत्पादन स्थिर है लेकिन फिर भी इसके माध्यम से बाजार में चीजें उपलब्ध हो सकें, इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन संतुलित रहे इसलिये वित्त निगम यह कार्यक्रम चला रहा है।

हमारे माननीय सदस्यों ने देखा होगा उद्योगों के विकास के बारे में इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ने बड़े पैमाने में एक तरफ स्माल इन्डस्ट्रीज को सहयोग दिया है वही दूसरी तरफ

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

एन्सिलरी इन्डस्ट्रीज को लगने का प्रयोग भी किया है : इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को १३ लाइसेन्स मिले हैं जिन्हें ज्वाइन्ट सेक्टर में लगाने के प्रयोग चल रहे हैं। ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड्स प्रोजेक्ट्स, नायलान फिपंट यार्न प्रोजेक्ट, सेफ्टीरेजर, ब्लेड्स प्रोजेक्ट, पिर्फेक्ट्रीज (झांसी) राइटिंग एण्ड प्रिंटिंग एण्ड रैपिंग पेपर, कास्टिक सोडा, सिंथेटिक डिटरजेंट, आटोमोबाईल, शाक ब्जारवर, एलेक्ट्रिकल मैगनीज डाई आक्साइड, आटोमोबाइल, ह्वील्स, बस बाडीज आफ इंट्रोगल डिजाइन आदि इस तरह से 13 का ज्वाइन्ट सेक्टर में लाइसेंस हमको मिला है, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को। इसमें पूंजी की कमी के कारण कुछ कठिनाई हुई है यह जो क्रेडिट स्क्वीज मुद्रास्फीति को रोकने के लिये रिजर्व बैंक ने किया है। लेकिन फिर भी प्रयास है कि प्रोयोरिटी सैक्टर में हम इससे ज्वाइन्ट सेक्टर में लगा सकें और उद्योगीकरण की दिशा में हम आगे कदम उठा सकें।

इसी प्रकार भदोई में जहां पर बड़े पैमाने में कारपेट के कारखाने हैं वहां पर ऊनी सूती मिल लगायेंगे और एक्सपोर्ट प्रमोशन कारपोरेशन को जो नया सूत प्राप्त होगा उससे कारपेट इण्डस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा। इस एक्सपोर्ट प्रमोशन कारपोरेशन के जरिये से इनको बढ़ावा मिलेगा और हमारी कालीन इंडस्ट्री पनपेगी। तो इसमें नये-नये डिजाइन होंगे चाहे वह जौनपुर में बनते हों या प्रतापगढ़ में बनते हों। इसी प्रकार बनारस में भी ज्ञानपुर और भदोई की जो इंडस्ट्री है उनको तथा सहारनपुर, बरेली तथा भोटिया जो क्षेत्र है वहां भी कारपेट बनायेंगे। उसके लिये हम यह ऊनी सूती मिल लगा रहे हैं। इस वर्ष मुझे आशा है कि भदोई उनी-सूती मिल में काम चालू हो जायेगा और अपने प्रदेश में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिये एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊंसिल की स्थापना के लिये इण्डियन इन्स्टिट्यूट आफ फारेन ट्रेड से सर्वे करवाया जा रहा है कि किस प्रकार हमारी चीजों का एक्सपोर्ट हो चाहे वह सहारनपुर की लकड़ी का सामान हो, चाहे वह बनारस रेशम का काम हो।

श्री अध्यक्ष--

मुझे एक बात याद आ गई कालीन के बारे में जो जौनपुर में ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर कालीन बनकर जमा होते जा रहे हैं उनको इजाजत नहीं है बेचने की केन्द्र से या आपसे, लेकिन उनका सामान जमा होता जा रहा है। इसको आप देख लीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं आपका अभारी हूं जो आपने यह बताया है मैं देख लूंगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार हमारे प्रदेश में जो चीजें बनती हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ाया जाय चाहे-वह मुरादाबाद के बर्तन हैं या सहारनपुर की लकड़ी का काम है या दूसरी चीजें हैं उनका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाय। इसके लिये इण्डियन इन्स्टिट्यूट आफ फारेन ट्रेड से मदद ले रहे हैं। इसी प्रकार आगरा का लेदर का काम है या दूसरे चर्म उद्योग हैं उनको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इन उद्योगों में वृद्धि हो सके।

श्रीमन्, एक बहुत बड़ी सूची है जिन उद्योगों की स्थापना हो रही है उसके मैं पढ़ने में अधिक समय नहीं लूंगा। मैं इस बात की चेष्टा करूंगा इस सब पर जो आप लोगों के सुझाव आयेंगे उस समय निवेदन करूंगा। मैं यह भी आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्यों के इस विवाद में जो सुझाव आयेंगे और पहले भी प्राप्त होते रहे हैं और भविष्य में भी व्यक्तिगत रूप से मिलने पर वे देते रहे हैं जिससे हमारी मदद होगी। वह इन बातों को देखें कि जो

कच्चा माल वहां पर उपलब्ध है उस पर आधारित उद्योग लग सके उसके लिये वह कृपा करके अपने सुझाव यहां पर रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपने सुझाव देंगे।

श्री अध्यक्ष––

श्री शिव प्रसाद गुप्त आप कटौती का प्रस्ताव रखें। आप आगे चले जायं और बैठकर बोल लें क्योंकि आपकी तबियत खराब है इसलिये आप बैठकर बोलें तो अच्छा है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)––

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७४––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९०––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

अध्यक्ष जी, प्रथम मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बैठकर बोलने की इजाजत दी।

माननीय मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से यह बताया कि आगे वह क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक क्या परफारमेन्स उद्योग विभाग में रही, यह नहीं बताया। क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति इस सूबे में होगा नहीं जो इस बात से दुखी न हो कि उद्योग पनप नहीं रहे हैं अतएव हमारी गरीबी दूर नहीं हो रही है। कहने की आवश्यकता श्रीमन्, बहुत नहीं है कि देश में उत्पादन ही उसका धन है––उत्पादन चाहे खेत से हो, चाहे भूगर्भ से हो और चाहे कल कारखाने से हो। आज की बहस उद्योग से सम्बन्ध रखती है, इसलिये मैं भी यह चेष्टा करूंगा कि अपनी बात को वहीं तक सीमित रखूं। श्रीमन्, उद्योग नारेबाजी से नहीं बढ़ेंगे, न गरीबी नारेबाजी से दूर होगी। वह तो दूर होगी जब उत्पाद न बढ़ेगा। लेकिन क्या आज के युग में कल–कारखाने बिजली के बिना लगते हैं? आपकी जो पुतिस्का यहां बंटी है, उनको जब देखते हैं और हम यह देखते हैं कि कितना नुकसान उनमें हो रहा है, तो तबियत बहुत दुखी होती है। आज तो सभी विरोधी दलों को मिलकर कहना चाहिये था कि माननीय मंत्री जी, आप इतनी धनराशि न मांगिये, कुछ और पैसा मांगिए जिससे इस प्रदेश में उद्योग बढ़े और धन बढ़े। उद्योग धंधों में नारेबाजी के दिन अब लद गये।

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से मन्त्री जी से कुछ सवाल पूछ लूं। क्या उद्योग इसी तरह से बढ़ेंगे, जैसी कार्य-प्रणाली आज चल रही है? आज जो वायुमन्डल इस प्रदेश में व्याप्त है, क्या उसमें उद्योग बढ़ते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि बिजली की कमी

[श्री शिव प्रसाद गुप्त]

है और हम नहीं चाहते कि ऐसे उद्योग इस प्रदेश में आवें, जिनमें बिजली अधिक खर्च हो। सही है, जिसमें बिजली ज्यादा खर्च हो, ऐसे उद्योग से यहां क्या फायदा। लेकिन क्या यह चीज आज ही मन्त्री जी को मालूम हुई? क्या इतने दिन से सरकार को नहीं सूझी? क्या उनके पास कोई प्लानिंग का विभाग नहीं है? क्या उसका कोई टेक्नोक्रेट एडवाइजर नहीं है या क्या वह केवल उद्योग विभाग को आई० ए० एस० अफसरों द्वारा चलाना चाहते हैं? यदि मैं यह कहूं कि उद्योग विभाग में किसी भी उच्च पद पर कोई स्पेशलिस्ट या टेक्नोक्रेट नहीं हैं, तो कुछ अनुचित न होगा। केवल आई० ए० एस० और सीनियर पी०सी० एस० अधिकारी काम करते हैं, चाहे वह सेक्रेटरी इन्डस्ट्रीज हों, चाहे निदेशक हों या अन्य कोई उच्च पद हो।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह भी कहूंगा कि, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन आज उद्योग विभाग के सेक्रेटरी लगभग २५ फैक्टरियों के डाईरेक्टर हैं और करीब आधा दर्जन फैक्टरियों के चेयरमैन हैं। अध्यक्ष महोदय, जरा आप सोचें, इसके बाद वह मन्त्री जी की भी हाजिरी दें। विधायकों की बात सुनें, दूर-दूर का दौरा करें और उसको इसके लिये भी समय मिल जाये कि उद्योगों को किस तरह से बढ़ाया जाये, पनपाया जाये और कैसे धन पैदा हो। क्या टैक्नोक्रेट्स की कमी है? मन्त्री जी ने कहा कि हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहां उद्योगपतियों को नक्शा बनाने की तमीज नहीं है, हम उनको सहायता देना चाहते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यह बात बहुत पहले से मालूम होनी चाहिये थी। इन्डस्ट्रीज विभाग ने विज्ञापन किया है कि हमारे यहां इन्डस्ट्रीज सेल है। मैंने देखा है कि वहां इस नाम की कोई चीज नहीं है। वहां आफिसरों की लड़ाई काम करती है कि किस का प्रभुत्व चले। टैक्नोक्रेट्स और एडवाइजर्स की बात नहीं पूछी जाती है। एडवाइजर्स की पोस्ट जो इस विभाग में रही वह या तो खाली रही या फिर इकोनोमी के नाम पर समाप्त कर दी गई हैं।

आज कोई भी एडवाइजर इस विभाग में नहीं है। मन्त्री जी अपने यहां उद्योग बढ़ाना चाहते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी प्रसन्न नहीं होंगे उस विभाग का काम कैसे चलेगा। आज तक आपको यह जानकर तकलीफ होगी कि इस विभाग में इस समय कोई सर्विस काडर नहीं है और सर्विस रूल्स भी नहीं बने हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन से चुना हुआ आदमी पीछे पड़ा रह जाता है और एडहौक एप्वाइन्टमेंट्स होते हैं। आज का सेक्रेटरी कल का कमिश्नर हो जाता है और वह एक जगह बैठ कर काम नहीं कर पाता है। टेक्नोक्रेट्स को आप विश्वास में लेना नहीं चाहते हैं। उद्योग जब पनपते हैं जब रुपया लगाने की शक्ति होती है। वह शक्ति गवर्नमेन्ट के पास नहीं है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने ऐलान किया था, मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने छिपाया नहीं था, कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि शायद कर्मचारियों को तनख्वाह न दे सकें। वह दिन आया नहीं है, कुछ देर अवश्य हुई है, चेक लौटे हैं, लेकिन वह अलग बात है। वह दुर्भाग्य नहीं आया है। मन्त्री जी कहां से रुपया लायेंगे। बैंक्स के सूद के रेट्स भी १६/१८ प्रतिशत हो गये हैं। यह भी कहा जाता है कि जब तक खर्चा न करें इन शिड्यूल्ड बैंकों से कर्जा नहीं मिलता है।

मन्त्री जी ने कुछ मिनी प्लान्ट्स लगाये है। शायद एक दर्जन मिनी प्लान्ट्स लगाये हैं। एक मिनी प्लान्ट में एक करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। चार ऐसे मिनी प्लान्ट्स हैं जिनको लगे दो साल हो गये हैं। दो उन्नाव में, एक झांसी तथा एक गाजियाबाद में हैं जिनको आज तक बिजली नहीं मिल पाई है। माननीय सदस्य विचार करें कि बाहर वाले इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को यह कह कर फंसा दिया कि हमारे प्रदेश में उद्योग लगाओ, हम तुमको सुविधायें देंगे। उनमें से एक इन्डस्ट्रियलिस्ट तो वह है जो महाराष्ट्र में अपना उद्योग लगा रहा था। उससे कहा गया कि हम तुमको सहायता देंगे। उसने बातों में आकर यहां उद्योग लगाया। दो साल हो गये हैं। हर साल वह दो लाख रुपया ब्याज का दे रहा है और ओवर हेड एक्सपेंसेज उसके हो रहे हैं, कैसे अपने यहां उद्योग पनप सकते हैं। उसका तो सर्वनाश होगा ही।

यहां पर हालत यह है कि उद्योगों को बढ़ावा देंगे लेकिन बिना पैसे के, बिना बिजली के। बार-बार इस बात की आड़ ली जाती है कि वर्षा नहीं हुई इसलिये रिहन्द बांध में पानी नहीं आया। इसलिये बिजली की कमी है। लेकिन यदि मेरी जानकारी सही है तो वह यह है कि रिहन्द बांध इसलिये नहीं बना कि वह बिजली की पूर्ति करेगा बल्कि वह तो एक स्टैंड वाई है। जितनी इसकी क्षमता है उससे दुगना तिगुना काम लिया गया है। मन्त्री जी सोचें कि बिजली कारपोरेशन बना दिया गया। एक शब्द चल गया है कि कारपोरेशन्स बनाते चले जाओ और इस लेजिस्लेचर के दायरे से दूर कर दो। इस लेजिस्लेचर के सदस्य और खासतौर से विरोधी सदस्य सरकार को बहुत तंग करते हैं आये दिन सवाल उठाते हैं, आये दिन टीका-टिप्पणी करते हैं। निगम बना दो टीका टिप्पणी कम हो जायगी। लेकिन मान्यवर उन निगमों की हालत आप देखिये क्या हो रही है?

कानपुर की ओर यदि आपका ध्यान दिलाऊं तो माननीय मन्त्री जी को भी दुःख होगा। यू० पी० एस० आई० सी० में चर्बी जिसको कहते हैं वह अलीगढ़ भेजा गया एक्स सोल्जर कोआपरेटिव सोसायटी के नाम से वहां ऐसी कोई सोसायटी थी ही नहीं लेकिन रवाना कर दिया गया; किसने बेचा? किसने खाया? वह जानें। लेकिन उन्होंने भेजा। डायरेक्टर ने मना किया कि जी० पी० शीट्स और काली शीट्स पड़ी हुई हैं इसको मत भेजिये उन्होंने बिना इस आदेश की परवाह किये और स्पष्ट अवहेलना किया और उसको बेच डाला।

श्रीमन्, ५० हजार की एक मशीन थी उसको ६ हजार में एक पार्टी को दे दिया जिस पार्टी से कुछ लाभ होगा। श्रीमन्, कहां तक अर्ज करूं, एक यू० पी० टेक्सटाइल मिल है, स्पिनिंग मिल इटावा में चल रही है वह करीब १५ साल से चल रही है कितना मुनाफा अब तक कमाया है? ४ स्पिनिंग मिल्स कोआपरेटिव सेक्टर में खोल कर गरीब जनता में लगायेंगे, इन्तजाम आप नहीं करेंगे, कैडर आपने कुछ बनाया नहीं आखिर इनकी बदौलत, आई० ए० एस० के बदौलत आप इन्तजाम उसका करेंगे? मैं खिलाफ नहीं हूं आई० ए० एस० के, उन्हें उन्नति देते रहें, लेकिन यह नहीं कि आज का सेक्रेटरी, कल कमिश्नर बनेगा, आज का डायरेक्टर परसों सेक्रेटरी बनेगा। क्या तजुर्बा होगा, श्रीमन्? कहने की आवश्यकता नहीं है। लाल फीताशाही

[श्री शिव प्रसाद गुप्त]

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

से आप भी परिचित हैं। मैं किसी अफसर के खिलाफ नहीं कहता, लेकिन उसको ट्रेनिंग दीजिये। एक सेलेक्शन बोर्ड बनाइये, जिस निगम में आवश्यकता हो, उस निगम में भेजिये? वहां अपने राजनैतिक दल के आदमी को, जो किसी कारण से एम० एल० ए० नहीं बन सका, उसको आप किसी तरह से प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपने कहा कि उसको चेयरमैन बना दो।

निगम की दशा देखें श्रीमन्, कहां तक बताऊं एक चीनी मिल का निगम है श्रीमन्, १९७०-७१ में ६.५ लाख का नुकसान हुआ था। १९७४-७५ में १८१ लाख का नुकसान हुआ है। अब श्रीमन्, विद्युत् परिषद् को देख लें। बड़ा अच्छा हुआ कि आप अलमूनियम का कारखाना नहीं खोलेंगे यह बहुत बिजली खाता है। मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसा वातावरण नहीं बनाते हैं जिसमें कि उद्योग पनपे। आज हर आदमी हरियाणा की ओर दौड़ता है। यही कारण है कि आपकी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय इन सब प्रदेशों से आधी है। आप सबसे पिछड़े हुए हैं। डा० रामजी लाल सहायक ने कहा था कि यू० पी० आई० एस० आई० जो कानपुर में है इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। नेशनल हेराल्ड ही ने नहीं बल्कि आधे दर्जन अखबारों ने लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं इस भ्रष्टाचार को शीघ्र ही समाप्त करूंगा। राज्य सरकार उद्योग नहीं लगाती है तो बेकारी बढ़ती चली जाती है वह भी समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। तो आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो उद्योग हमारे मन्त्री जी चला रहे हैं उनकी दशा ऐसी बुरी हो गयी है जिसका कोई हल नहीं है।

अब मैं चुर्क सीमेंट फैक्टरी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, इसका १९७२-७३ में ४.३८ लाख मीट्रिक टन उत्पादन था, १९७३-७४ में ३,१५,३२७ मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। डल्ला में १९७२-७३ में ३,७३,२३७ मीट्रिक टन और १९७३-७४ में २.४७ लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। गवर्नमेंट प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी जिसको इतना कच्चा माल जिन्क कूपर आदि मिलता है अगर इतना ही किसी प्राइवेट फैक्ट्री को मिल जाये, तो फायदा ही फायदा हो। मैं बताना चाहता हूं कि १९७३-७४ में ३४४ माइक्रो स्कोप बनाये और ८७ कम्प्रेसर बनाये। अब मैं विभूति ग्लास फैक्टरी, वाराणसी की ओर इशारा करना चाहता हूं कि इसमें २० लाख रुपया लगाया गया था लेकिन आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े मैं दे रहा हूं यह उन्हीं द्वारा वितरित पुस्तिकाओं में हैं। शायद मन्त्री जी को इनको देखने का अवसर न मिला हो। मैं विभूति ग्लास फैक्ट्री के बारें में आंकड़े दे देना चाहता हूं। १९७०-७१ में ४ लाख ९० हजार ४७० रुपये का फायदा हुआ था, १९७३-७४ में ४ लाख ८५ हजार हुआ और यह फायदा १९७४-७५ में नुकसान में बदल गया।

आखिर आप रुपया कहां से लायेंगे इन्डस्ट्रीज आप चला नहीं पाते हैं। प्राइवेट उद्योगों को आप सुविधा नहीं दे पाते हैं। उद्योग नहीं चलायेंगे तो क्या रायबरेली में उद्योग नुमाइश कर के आप उद्योग बढ़ा लेंगे। रायबरेली में नुमाइश हुई लाखों रुपया बरबाद हुआ। यह पया कहां से आया जिला परिषद् के पास पैसा नहीं किसी विभाग की मद में यह

पैसा नहीं तो आखिर यह आया कहां से ? यह तो केवल राजनैतिक था । आप यह चाहते हैं कि केवल खेती से मालदार हो जायं । यद्यपि आज खेती का विषय हमारे सामने नहीं है लेकिन उसकी ओर भी आपका ध्यान नहीं है । खेती से कोई भी देश मालदार नहीं हुआ है । जो भी मालदार हुआ है, वह कल और कारखानों से उत्पादन को बढ़ाकर ही हुआ है । लेकिन उनके प्रति भी आज आपका यह रवैया है ।

विभूति ग्लास वर्क्स को ही ले लीजिये, जिसको इतना कोयला मिलता है, घाटे का कारण बताते हुए यह दिया कि बिजली नहीं मिली, और चीजों के भाव बढ़ गये । क्या प्राइवेट सेक्टर में जो ग्लास के कारखाने हैं, उनके लिये भाव नहीं बढ़ रहे हैं । आगरे के समीप फिरोजाबाद में न जाने कितना काम कांच का होता है, वहां पर कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन सरकारी कारखाने में ४ लाख ७५ हजार रुपये का नुकसान हो रहा है । कोई काम करने की प्रणाली में फर्क होगा ? मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करुंगा कि वे इस वातावरण को सुधारें ? पहले उन कार्यालयों को ठीक कीजिये उनके सर्विस रूल्स बनाइये, कैडर्स बनाइये, और हमारे जो टैक्नोक्रैट्स और स्पैशलिस्ट हैं, उनकी कुछ इज्जत बढ़ाइये ? आफिशियल डम को कम कीजिये ।

आपने एक टैक्सटाइल कारपोरेशन खोला है । उसमें केवल मशीनरी की खरीद में १ करोड़ रुपये का फर्क करा दिया गया है । टेक्सटाइल कारपोरेशन ने टेन्डर्स मांगे, कोटेशन्स मांगे और मशीन खरीदने के आर्डर प्लेस करने के बाद यहां से चुपचाप आदेश कर दिया कि न खरीदो । वैसे तो जब हम कारपोरेशन के बारे में सदन में कोई प्रश्न पूछते हैं तो कह दिया जाता है कि सरकार का कोई अधिकार नहीं लेकिन जब आप दखल देना चाहेंगे, जनता के रुपये का अपनी सत्तारूढ़ पार्टी के फायदे में लगाना चाहेंगे तो टेलीफोन कर दिया जायगा कि आर्डर न दिया जाय । १० दिन बाद पहली पार्टी से वह मशीनरी न लेकर दूसरी पार्टी से खरीदा जाता है । यदि माननीय मन्त्री जी इस लेजिस्लेचर की एक कमेटी बिठा दें और वह जांच करें और अगर मेरी बात झूठी निकले तो समिति जो सजा मुझे दें, उसको मैं भुगतने के लिये तैयार हूं । मेरी प्रार्थना है कि इन कारपोरेशन्स को आप स्वतन्त्र रूप में काम करने दें ? बार-बार यहां से दखल देकर, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, उनके काम में रुकावट न डालें ।

यह भी देखने में आया है कि यहां के सेक्रेटरी को २५-२५ कम्पनियों का डायरेक्टर और ६-६ कम्पनियों का चेयरमैन बनाया जाता है । वह आदमी है या देव ? प्राइवेट कन्सर्न्स में एक ही आदमी रहता है सरकारी अफसरों से उसकी दुगनी तिगुनी तनख्वाह होती है और चार गुनी उसे सहूलियतें होती हैं, वह दिन भर उद्योग की ही बात सोचा करता है लेकिन हमारे सेक्रेटरी यहीं से २५-२५ मिलों का काम चला लेते हैं, मन्त्री लोग भी खुद चला देते हैं । नतीजा क्या होता है कि हर एक में घोटाला । मैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति तो नहीं हूं, उद्योगों का बहुत छोटा सा अनुभव है । उद्योगों में १८-२० प्रतिशत का अगर ब्याज होगा तो २५ सौ सरकारों के बन जाने पर भी बहुत लाभ नहीं होने वाला है ।

[श्री शिव प्रसाद गुप्त]

सोल मोनोपोली की जो चीजें हैं, उनमें भी आप मुनाफा नहीं उठा पाये। रोड-वेज भी आपकी सोल मोनोपोली है, वह भी मुनाफा नहीं उठा पा रही है। आपके विद्युत परिषद् में भी सन् १९५९ से आज तक १९७३-७४ तक ९,८७० लाख रुपये की हानि है। किसी वर्ष में ६२ लाख, किसी में ८१ लाख, किसी में ६७ लाख और आखिरी साल में ३,३०८ लाख रुपये का नुक्सान हुआ है। सफाई में कहते हैं कि हमें सूद देना पड़ता है, इसलिये नुक्सान होता है। सूद का रेट भी देखें, मान्यवर, वह ६ या साढ़े ६ प्रतिशत है। निगम बनाया है तो ६, साढ़े ६ परसेंट में ९,८७० लाख रुपये का नुकसान दे बैठेंगा, एक साल में ३, ३०८ लाख नुकसान दे बैठेगा। और उद्योगपति १८ परसेंट पर रुपया लेगा और मुनाफा कमायेगा। तो इनको ठीक चलाइये। यदि इनको ठीक आप चला नहीं सके तो उद्योगों की दशा कभी ठीक होने वाली नहीं है। मैं कहां तक बताऊं दिल्ली से टेलीफोन खटकता है कि अमुक पार्टी को १०८ बैंगन कोयला दे दीजिये। डायरेक्टर हैरान है, यह जांच नहीं कर पाया कि इसका कोई काम है या नहीं लेकिन आदेश मिलता है मन्त्री जी का कि १०८ बैंगन कोयला दे दो। बाद में इन्क्वायरी होती है तो इस नाम की कोई इन्डस्ट्री नहीं है। लेकिन सत्तारूढ़ दल इसका मैनेजमेन्ट करता है। अच्छा, गाजियाबाद में इन्डस्ट्री न सही तो तुमको मुरादाबाद में कोयला पहुंचा देंगे। वहां १०८ बैंगन कोयला पहुंच जाता है। कायदा यह है कि जब कोयला पहुंचता है तो डी० एस० ओ० मुहर लगाता है। वह ३०-३२ आर० आर्स० पर मुहर लगाता है। तब उसे पता चलता है कि कुछ गलत कर रहा हूं। तो बाद में कहा जाता है कि यह पार्टी भट्ठा चला लेगी। मन्त्री जी इसकी जांच करवा लें और यदि यह बात सही निकले तो वह कुछ तो सोचें कि आखिर उद्योग कैसे चलेंगे। उनके लिये कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग कभी सलाह से नहीं चलता है। नीचे से कोई प्रोग्राम नहीं आता, ऊपर से उद्योग थोपा जाता है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि रूल्स नहीं हैं तो कर्मचारियों में बहुत ही असन्तोष है। आज का सीनियर कल जूनियर, कल का जूनियर आज सीनियर है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कर्मचारियों की छांट कर ली, उनको तो स्थान नहीं मिल रहा है, ऐड हाक अप्वाइन्टमेंट्स हो रहे हैं। बड़े अफसरान का भी ऐड हाकिज्म और छोटे वह नियुक्त करते हैं तो छोटों का भी ऐड हाकिज्म। तो ऐड हाकिज्म का वातावरण है। आप उद्योग का वातावरण पैदा करें। जिसको कहते हैं कैपिटल शाई। कोई रुपया लगाने के लिये तैयार नहीं है। एक आदमी आज एक उद्योग लगाना चाहता है तो उसको १५ जगह दरख्वास्त देनी पड़ती है, कोयले के लिये, रजिस्ट्रेशन के लिये, स्कीम फार्म के लिये और न जाने काहे-काहे के लिये। अलग-अलग अफसरान के पास दौड़े; और एक दिन वह आता है जब वह इन्डस्ट्रियलिस्ट हताश हो कर बैठ जाता है और कहता है कि उसने बड़ी भूल की, क्यों इन्डस्ट्री इस प्रदेश में लगायी। उद्योग इस तरह नहीं बढ़ेंगे। उद्योग बढ़ेंगे सहानुभूति से, जब आप उद्योगपति को समझेंगे कि यह हमारा सहयोगी है। उद्योगपति नौकरी करने नहीं आया है। वह आपकी खुशामद करने नहीं आया है। वह अफसरान के दरवाजे खटखटाने नहीं आया है। वह उद्योग लगाने आया, आप उसको सहयोग दीजिये।

मुझे हरियाणा का एक मसला याद है। हरियाणा में एक आदमी इन्डस्ट्री लगाने गया। उसने मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया कि मैं इन्डस्ट्री लगाना चाहता हूं और

इतना रुपया लगाऊंगा। मुख्य मन्त्री ने कहा कि आप अपना पता मेरे पास छोड़ दीजिये। उसने चिल्ली के एक होटल का अपना पता बता दिया। दूसरे दिन अधिकारी स्वयं वहां पहुंचा और उसने पूंछा कि उनको क्या-क्या चाहिये। उसके बाद दूसरे दिन ही उसके पास आर्डर पहुंच गया कि उसकी अर्जी मंजूर हो गयी है। इस तरह से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। आपके यहां अगर कोई अर्जी देता है तो उसे दर-दर भटकना पड़ता है। जनता की कमाई का आप लोग करोड़ों रुपये का नुकसान करते हैं। नुकसान को पूरा करने के लिये कभी आप सेल्स टैक्स का रेट बढ़ाते हैं कभी कोई टैक्स लगाते हैं। १०८ वैगन कोयला एक आदमी ने ले लिया। एक करोड़ का यह माल था इस कारण कितने ही रुपये की हानि आपको सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की हुई। यह नुकसान कभी दर बढ़ा देने से पूरा होने वाला नहीं है। नुकसान पूरा तभी होगा जब आप कायदे से काम करेंगे।

उद्योग विभाग में एक ज्वाइन्ट डायरेक्टर वही काम करता है जो एक सीनियर पी० सी० एस० आफिसर करता है। ज्वाइन्ट डायरेक्टर को १६०० से अधिक वेतन नहीं मिल सकता लेकिन पी० सी० एस० आफिसर को अधिक वेतन मिलता है। इस तरह से आप उनको मजबूर करते हैं कि वे अच्छी तरह से काम न करें। आपने एक क्लास वार चला दी है। उद्योगों में अफसरी से काम नहीं चलता। राजनीति उद्योगों के बीच में नहीं चलनी चाहिये। राजनैतिक लाभ उठाने के लिये और बहुत से स्थान हैं उद्योगों को तो उससे बचाइये। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होये। आपने तो काम ही ऐसे किये हैं कि उद्योग पनप ही नहीं सकते। ४ साल से आप नारा लगा रहे हैं २-४ साल और इसी तरह के नारे लगाते जाइये मगर उससे उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है नारों से कभी उत्पादन नहीं बढ़ा है। मन्त्री जी तो सोचते होंगे कि हमें तो वही काम करना है जो हमारी पार्टी कहेगी और श्रीमन् मैं यह भी जानता हूं कि हमारे इस कटौती के प्रस्ताव का असर भी वही होगा जैसा कि अन्य का होता है मेरे भाषण का भी कोई असर उन पर नहीं होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपना फर्ज तो निभा रहे हैं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

जी श्रीमन्, उसी नाते यह निवेदन कर रहा हूं। आपका आभारी हूं कि आपने बैठे-बैठे ही बोलने का अवसर दे दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं इतना ही अन्त में मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ऐसा वातावरण बनायें जिससे उद्योग पनपें एक टेक्निकल सेल कायम करें एक टेक्निकल कैडर कायम किया जाये अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति के लिये जिस तरह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में एक ब्यूरो आफ एप्वाइन्टमेन्ट है उसी तरह का वहां पर भी एक ब्यूरो बनाया जाय अच्छे एडवाइजर्स रखे जायें एक प्लानिंग की जाय। यही उपाध्यक्ष महोदय मुझे निवेदन करना था।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

आपकी आज्ञा से सर्वप्रथम मैं कटौती रखने वाले माननीय सदस्य से क्षमा मांगना चाहता हूं कि मेरी किन्हीं बातों से यदि उनको कष्ट हो तो वे मुझे क्षमा करें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मुझे कष्ट नहीं होगा।

श्री रामायण राय—

मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं कटौती के प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन करूं कि उन्हीं के मुख से इसी विभाग की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी थी जब कि वे इस विभाग में पहले मन्त्री थे और आज एक उद्योगपति के रूप में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की जितने अच्छे ढंग से वकालत की है ....

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मैंने यह बतलाया था कि वहां पहले ४ लाख ७१ हजार रुपये का मुनाफा था वहां अब इतना नुकसान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बोलने का फिर मौका मिलेगा।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं पहले भी एक साधारण सदस्य विधान सभा का था और आज भी हूं लेकिन मैं देखता हूं कि इस कुर्सी और उन कुर्सियों में कितना अन्तर पड़ जाता है इसीलिये मैं केवल चर्चा और संकेत कर रहा था कि माननीय सदस्य ने बड़े विद्वतापूर्ण ढंग से प्राइवेट सेक्टर की वकालत की। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि आपके अनुभवों से माननीय मन्त्री जी को लाभ उठाना चाहिये क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है जब से उन्होंने इस विभाग का कार्यभार सम्भाला है उनका निरन्तर यह प्रयास रहा है कि आप जो कुछ कूड़ा-करकट छोड़ गये थे उसको कैसे साफ करें। माननीय मन्त्री जी से चीनी मिलों में घाटे की बात कही जाती है। चीनी मिलें स्क्रैम और जंक थीं जब कि शुगर कारपोरेशन ने उनको सम्भाला। यह प्राइवेट सेक्टर वालों की ही करामात थी। और अब वह अपराध माननीय मन्त्री जी का हो गया और आप कहते हैं कि उसके विकास की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। अब मैं क्या कहूं, मान्यवर, मैं साधारण सदस्य हूं और मेरे डिस्पोजल पर बहुत कम समय है। मैं आपसे केवल यही आग्रह करता हूं कि पिछले ३-४ साल में लखनऊ और कानपुर के भीतर जब कि मान्यवर, इस रास्ते से आप तशरीफ ले जाइये तो आप देखेंगे कि कितनी तीव्र गति से उद्योगों का विकास हुआ है। और केवल बड़े-बड़े उद्योग ही इस वर्ष में नहीं लगे हैं बल्कि स्कूटर्स इन्डिया आदि के साथ हजारों एनसिलियारीज इन्डस्ट्री सहायक इन्डस्ट्री जो सहायक उद्योग लगे हैं। तो यह कहना कि उद्योग के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है मैं समझता हूं कि यह सत्य के ऊपर पर्दा डालना है।

हां एक चीज मैं मानता हूं कि बहुत खामियां और बुराइयां लोग छोड़ गये थे। उसी जमाने में हजारों लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन कराये और उद्योगों के लाइसेंस लिये और रा मेटीरियल लेकर उसे ब्लैक में बेचते थे। क्या आपने कभी समाचारों में यह नहीं पढ़ा है कि ऐसी हजारों फर्जी यूनिटों का मौजूदा मन्त्री जी के ही शासन काल में और मौजूदा इन्डस्ट्रीज सेक्रेटरी और डायरेक्टर के द्वारा ही उनका खातमा किया गया है। और अभी हाल ही में ऐसी सैकड़ों और हजारों यूनिटें समाप्त की गयी हैं। तो बहुत सारी बुराइयां थीं जिनको आप छोड़ गये थे और उन सब के लिये आप मन्त्री जी को कहते हैं कि उद्योग का विकास नहीं हो रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करता हूं और अपनी ओर से एक सुझाव भी देता हूं।

पावर की कमी को दूर करने के लिये जैसा कि सदन में उन्होंने सूचित किया––लगभग ३ करोड़ रुपये सबसिडी के तौर पर दिया है पावर जेनरेटर लगाने के लिये लेकिन मैंने सुना है कि इन्डिया आयल ने ७३ के बाद बिजली पैदा करने के लिये जेनरेटर की मशीन लगाने के लिये डीजल देने के लिये तैयार नहीं है। माननीय मन्त्री जी, आप केन्द्रीय सरकार पर अपने प्रभाव का प्रयोग करके जब कि जेनरेटर लग गया है उसके लिये डीजल उपलब्ध कराइये यह आपका कर्तव्य है। और इसके साथ-साथ मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है केन्द्रीय सरकार की ओर से इन उद्योगों के लिये रा मैटीरियल के बंटवारे में अन्याय किया जा रहा है। आसाम एक छोटा सा राज्य है। उस राज्य को मोमबत्ती बनाने के लिये जो रा मैटीरियल है वैक्स, वह सम्भवत: 4 हजार टन दिया जाता है। और हमारे राज्य को जो इतना बड़ा विशाल राज्य है उसको केवल साढ़े तीन हजार टन दिया। इसी तरह से कुछ और भी रा-मैटीरियल्स है जिनके बारे में भी दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों की तरफ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इसके साथ ही साथ मैं चीनी उद्योग के बारे में भी कुछ निवेदन करूंगा। मान्यवर, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार रहा है अभी प्राइवेट सेक्टर की गुप्ता जी ने बड़ी वकालत की, मैं निश्चित रूप से इस राय का हूं कि चीनी मिलों को शुगर कारपोरेशन ठीक ढंग से नहीं चला सकेगा। बड़ी दृढ़ता के साथ आप निर्णय लें कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। इनका राष्ट्रीयकरण किये बिना इस प्रदेश का उद्धार नहीं होने वाला है।

जब कोई धन्धा पब्लिक सेक्टर में लिया जाता है तो उसका केवल उद्देश्य मुनाफा ही नहीं होता है। उसमें काम करने वालों को सुविधायें मिलती हैं, उनकी नौकरी में स्थायित्व आता है। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के निमित्त मेरा निश्चित विचार है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण आप अवश्य करें। मैं इसकी जोरदार वकालत करता हूं। गुप्ता जी ने और कारखानों की चर्चा की लेकिन पब्लिक सेक्टर के जो कारखाने हैं जहां मुनाफा हो रहा है उनकी चर्चा नहीं किया। मैं उनका ध्यान बंगलौर की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं उनका ध्यान वह आगरा से चलकर हरिद्वार पहुंच जायें। हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है उसकी क्या हालत है, उस कारखाने के मजदूर जो वहां काम करते हैं उनकी क्या हालत है, और मान्यवर प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योग हैं उसमें क्या हालत है, यह वह देखने की कृपा करें। यह जो घाटा होता है इसके कई कारण हैं। महंगाई बढ़ती है तो सरकार द्वारा महंगाई जो काम करते हैं उनको देनी पड़ती है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि और भी जो सुविधायें होती हैं वह देनी पड़ती हैं। पर आपके जो मजदूर हैं, वह मर गया है या कितने घंटे काम किया ? या कितना पैसा बकाया ? इन सब बातों को कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जो कारखाने पब्लिक सेक्टर में हैं उनका स्थापना व्यय बढ़ता है।

मैं उद्योग मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि जो भी कारखाने पब्लिक सेक्टर में चल रहे हैं उनका स्थापना व्यय कितना वांछित है। कितना मुनासिब है उसको देखना चाहिये। क्योंकि मेरी ऐसी जानकारी है कि बहुत सी फैक्टरीज जो सरकार चला रही है इन फैक्टरीज में

[श्री रामायण राय]

अनावश्यक रूप से एक गाड़ी की जगह पर १० गाड़ियां पड़ी हैं। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं जिनका असर पड़ता है और लागत खर्च बढ़ता है। स्थापना व्यय बढ़ता है। इसलिये स्थापना व्यय कम करें। केन्द्रीय सरकार से जो रा-मैटीरियल वांछित है अपने उद्योगों को कायदे से चलाने के लिये उसको मंगाने की कृपा करें; और लाल कपड़े से जैसे लाल कपड़े से सांड़ भड़कता है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर से भड़क रहे हैं उनके भड़कने की बिल्कुल परवाह न करें। और अन्त में मेरा यह जोरदार आग्रह है कि उत्तर प्रदेश का अगर कल्याण करना है तो चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करें।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है तो....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी बैठने की कृपा करें।

श्री रामायण राय—

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन चीनी मिलों का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने एक रिपोर्ट में देखा था, जिसमें श्रीमन्, कहा गया था, समाचार-पत्र, वह चाहे पायनियर हो या कोई नेशनल हेराल्ड को छोड़ कर ऐसा कोई समाचार-पत्र नहीं है जिस पर कि शुगर मैगनेट्स का कब्जा नहीं है। जनमत निर्माण के माध्यमों पर उनका अधिपत्य है और नाना प्रकार से स्वस्थ्य राजनीति को प्रभावित करते रहते हैं। समय कम है इसलिये जितना मैं समझ पाया हूं और जब से हमारे मन्त्री जी पर इसका भार आ पड़ा है चाहे वह प्राइवेट को फाइनेन्स करने का मामला हो, चाहे टेक्निकल नो हाऊ का मामला हो, चाहें वहां उद्योग लगाये जायं इसका मामला हो या चाहे रामैटीरियल का मामला हो, इन सभी दिशाओं में कमियों के बावजूद प्रगति हुई है। इसलिये मन्त्री जी उनको बढ़ायेंगे। इसके साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी उद्योग के बारे में मन्त्री जी ने और माननीय गुप्त जी ने जो प्रदेश में उद्योग की स्थिति है उसके बारे में बताया। पहले तो मैं मन्त्री जी को बाद दिला दूं कि पिछले वर्ष अपने भाषण में आश्वासन दिया था कि प्रदेश के सभी जिलों का पुन: आर्थिक सर्वेक्षण होगा और उसके अनुसार उद्योगों के असंतुलित वातावरण को दूर करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि वह आश्वासन उनके भाषण तक ही सीमित रहा और अभी तक उसके बारे में कोई सर्वेक्षण या कोई रिपोर्ट सामने नहीं आयी है। इसलिये हम देख सकते हैं कि हमारे प्रदेश में जो उद्योग हैं वे कितने असंतुलित हैं। यह देखें तो पता चलेगा कि हमारे जिले जो हैं उनमें हरदोई, हमीरपुर, टिहरी जिलों में केवल एक-एक कारखाना रजिस्टर्ड है। प्रतापगढ़ और जालौन में तीन-तीन कारखाने हैं। सुल्तानपुर, गाजीपुर, बलिया में ४-४ हैं जो कि औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हैं। बुन्देलखंड भी पिछड़ा है। लेकिन इनके विकास के लिये अभी तक कोई योजनायें सामने नहीं आयी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उत्पादन का प्रतिशत देखें तो पर्वतीय क्षेत्र में २.४ प्रतिशत उत्पादन प्राप्त होता है। पूर्वी क्षेत्र से २३.४ प्रतिशत उत्पादन होता है और बुन्देलखंड में ०.६ प्रतिशत ही उत्पादन हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार यह असंतुलन कायम है और इस अवस्था में कोई कहे कि हमारा प्रदेश औद्योगिक प्रगति कर रहा है तो उसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मन्त्री जी यहां आफिसरों के बीच में बैठकर चाहे कितना ही ऊंचे उठ लें, लेकिन उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास पीछे जा रहा है। लगभग ९ कारखाने उत्तर प्रदेश से बाहर चले गये। इसके अलावा जो भी नया उद्योगपति काम करने के लिये आता है तो उसको अधिकारी या दफ्तर सुविधायें प्रदान करने के बजाय उनको तरह-तरह की बाधायें और नई-नई क्वेरीज पैदा करते हैं। बिजली का तो एक बहाना है। हर काम के लिये बिजली नहीं है, यह कहकर निरुत्साहित कर दिया जाता है। मेरा कहना है कि जो छोटे उद्योग हैं उनको १० हार्सपावर तक बिजली मंत्री जी कानून बनाकर दिलवायें। वरना कोई भी इस प्रदेश में काम नहीं कर सकेगा। हमने एक छोटे से उद्योग के लिये कोशिश किया कि बिजली मिल जाय तो मालूम हुआ कि बिजली पर कन्ट्रोल है और वह किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हुई।

इसी प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में वर्तमान वातावरण यह है कि चाहे वह छोटे उद्योग धन्धे हों, चाहे मध्यम हों, चाहे बड़े उद्योग हों सबके अन्दर एक निराशा की स्थिति है और एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो टैक्सटाइल मिलें हैं हमारे प्रदेश में यहां भी केवल एक शिफ्ट काम कर रही है और अत्यन्त बुरा हाल है। हजारों मजदूर बेकार हैं और इस कारण से नये-नये संकट पैदा हो रहे हैं। १० टैक्सटाइल मिल कानपुर में, ३ और ६ हमारे कानपुर से बाहर हैं, इन सबमें २० प्रतिशत पावर सप्लाई हो रही है, परिणाम स्वरूप ४० प्रतिशत कपड़े का उत्पादन गिर गया है, क्यों कि एक शिफ्ट में काम होता है। जिस प्रदेश में मिलों का उपत्पादन ४० प्रतिशत गिर गया हो वहां हमारे मन्त्री जी यह कहें कि हमारे प्रदेश में उद्योग प्रगति में है, तो यह विरोधाभास है।

चीनी मिलों और चीनी के साथ जितना माननीय मन्त्री जी ने खिलवाड़ किया है उतना शायद किसी ने और नहीं किया होगा। पहले तो यह कह दिया कि गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ा है तो क्रशर्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिये और जब उन्होंने अपील की और अपील में जिस प्रकार से सुनवाई हुई उसमें उनको लाइसेंस जो थोड़ों को दे दिया गया, लेकिन ३३ प्रतिशत लेवी लगा दी गई जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ, लाखों मजदूर बेकार हुये और वह सब क्रशर्स बन्द पड़े हुये हैं। आज मजदूरों, किसानों और छोटे उद्योग वालों को बड़ा नुकसान हुआ है। आपकी मिलें चीनी केवल ३३ प्रतिशत बनाती हैं और ६५ प्रतिशत चीनी तो छोटे क्रशर्स वाले बनाते हैं। आपको गन्ने की पैदावार आंख से न सुझाई और जब आप चुनाव के लिये जायेंगे तो पता लगेगा कि क्या स्थिति है।

इसी प्रकार जिस जिले से मैं आता हूं 'वहां विमको' उद्योग है और आज एक महीना हो रहा है कि वहां हड़ताल चल रही है, हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं। लेकिन सरकार की कान में जूं तक न रेंगी जब कि मैंने भी लिखकर दिया कि वह उद्योग संकट में है। आज

[श्री सत्य प्रकाश]

सरकार किसी भी मामले को सुलझाने में असमर्थ है। जब कि इनको केवल एक लाइन केन्द्रीय सरकार को लिखना है कि इस उद्योग के मसले को सुलझाइये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय, उद्योग मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जहां तक कटौती पेश करने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उद्योगों की कतई प्रगति नहीं है, इससे मैं सहमत नहीं हूं लेकिन जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश में और देश में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके कारण उद्योग उतनी तेजी से प्रगति नहीं कर पाये हैं। जहां तक चीनी उद्योग बन्धे का प्रश्न है श्री रामायण राय जी ने इस पर काफी प्रकाश डाला है और मैं उनकी बातों से इत्तिफाक करता हूं। अब प्रश्न आता है छोटे उद्योग-धन्धों के बारें में। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि ३ मदें इसमें खासतौर से सम्बन्ध रखती है—पहला कच्चा माल, दूसरा वितरण की व्यवस्था और तीसरा उसकी चेकिंग। जैसा श्री रामायण राय जी ने कहा हमारे प्रदेश को कच्चा माल जितना दूसरे प्रदेशों को मिलता है उससे बहुत कम मिलता है। कच्चा माल की मदों में मोम, सीरा, कोयला, अल्मूनियम आदि कच्चे माल का कोटा बहुत कम मिलता है। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में केन्द्र को सख्ती के साथ लिखें और बतावें कि हमारा प्रदेश बड़ा है लेकिन फिर भी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले कम कच्चा माल मिलता है।

दूसरी मद वितरण की है। इस सम्बन्ध में हमारे उद्योग निदेशक ने कुछ स्कीम बना रखी है और देखना यह है कि यह कितना इस सम्बन्ध में कदम उठाते हैं किस प्रकार कच्चे माल की वितरण की व्यवस्था करते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में जो तीसरी चीज यह है कि चेकिंग किस प्रकार से हो और वह किस प्रकार से जाना जाय कि चीज सही हाथों पर पहुंची है। इस पर उन्हें और माननीय मन्त्री जी को सख्ती से निगाह रखनी पड़ेगी।

हमारे प्रदेश में ४ सेक्टर्स काम कर रहे हैं—पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा सहकारिता सेक्टर, तीसरा निजी सेक्टर और चौथा ज्वाइन्ट सेक्टर। हमारे कितने ही साथियों ने कहा कि पब्लिक सेक्टर का मुनाफा कम होता है और इस ओर ध्यान दिया जाय। पब्लिक सेक्टर में जो उद्योग चालू होते हैं उनकी मंशा मुनाफा कमाने की नहीं होती है। यह तो इसलिये चालू किये जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो चोरी होती है, जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की चोरी होती है वह रुके और इससे सरकार को पैसे का नुकसान होता है और हमारी प्रगति की गति धीमी होती है। हमारी यह प्रार्थना है कि जो निजी क्षेत्र में उद्योग धंधे हैं उन पर कड़ी निगाह रखी जाय।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि खादी बोर्ड के उद्योग-धंधों को माननीय मन्त्री जी ने सुपरसीड कर अपना ऐडमिनिस्ट्रेशन बैठाया है तो साथ-साथ यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस प्रकार से वह उद्योग पहले चलते थे वह उस तरह से न चलने पायें। यह सही है कि हमारे प्रदेश के अन्दर बिजली की कमी है और कुछ लोगों ने कहा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जबरदस्ती दिखाई जाती है। यह सही है कि कमी है, और इसमें दो रायें भी नहीं हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उद्योग धंधों को बिजली मिलनी चाहिये और जो छोटे हैं उन्हें विशेषकर बिजली मिलनी चाहिये। जैसा कि भाई रामायण राय जी ने कहा, डीजल के जितने जेनरेटर्स हैं उनको डीजल की गारन्टी देनी होगी। इस ओर मन्त्री जी और निदेशक सख्ती से ध्यान दें जिससे जेनरेटर वाले फेल न होने पायें। जब से मन्त्री जी ने इस कार्य भार को संभाला है इस क्षेत्र में प्रगति हुई है।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि पिछले वर्ष जब चीनी के सिलसिले में एक मीटिंग हुई थी आपके दूसरे कक्ष में तब मैंने कुछ सुझाव रखे थे। उस वक्त मन्त्री जी ने यह कहा था कि इस सम्बन्ध में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अफसोस है कि आज तक वह मौका नहीं मिल पाया। जो सुझाव मैंने तब दिये थे उन्हें आज आपके सामने फिर रखना चाहूंगा। जहां तक चीनी उद्योग का सवाल है और जिसमें आपके कई कारखाने सहकारिता के आधार पर लगने जा रहे हैं, मैंने एक सुझाव दिया था कि आपके जो सल्फर प्लान्ट्स चल रहे हैं उन पर और ज्यादा स्ट्रैस दें तो ज्यादा लाभदायक होगा। मैंने उस वक्त कुछ आंकड़े भी आपको दिये थे। आपके एक सल्फर प्लान्ट पर लगभग औसतन छः लाख की लागत रही है जबकि चीनी मिल जो करीब साढ़े १२ सौ टन की है करीब ७-८ करोड़ से कम में नहीं लग पा रही है। इतने ही कैपिटल में आप १०० सल्फर प्लान्ट्स लगा सकते हैं जिनको ओपिन फैक्टरी भी कहते हैं।

जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है उसके बारे में भी मैंने उस वक्त बताया था। सल्फर प्लान्ट का प्रोडक्शन भी चीनी मिल के मुकाबले में ज्यादा होगा। एक सल्फर प्लान्ट में प्रोडक्शन ५० बोरी आता है जबकि साढ़े बारह सौ टन की चीनी मिल में प्रोडक्शन हजार बोरी रोज आता है। जहां तक लेबर का सवाल है वह भी सल्फर प्लान्ट लगने से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। सल्फर प्लान्ट में करीब सौ आदमी काम करते हैं और चीनी मिल में हजार आदमी काम करते हैं। इस तरह से अगर देखें तो १०० सल्फर प्लान्ट्स में दस हजार आदमियों को काम मिलेगा। मतलब यह है कि सल्फर प्लान्ट्स लगाने से १० गुना ज्यादा आदमियों को काम मिलेगा और पांच गुना प्रोडक्शन अधिक होगा। अगर इस तरह से विकेन्द्रीकरण हो जायगा तो इससे और भी फायदे होंगे; जो सड़क की समस्या रही है वह भी बहुत हद तक सुलझ जायगी। इसके अलावा गन्ने को ले जाने के लिये ट्रक्स का सवाल आता है, वैगन्स का सवाल आता है, तो वह सवाल भी हल हो जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि बजाय बड़े पैमाने पर चीनी उद्योग लगाने के छोटे पैमाने पर सल्फर प्लान्ट्स लगायें।

दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट का तरीका है जो अमरीका वगैरह में होता है, जिसमें अपने यहां की लाल शकर होती है, जिसमें शीरा ज्यादा होता है, उसको वे लोग खरीदते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट से सफेद शकर बनाते हैं, अगर अपने यहां यह तरीका चलाया जाय

[श्री धीरेन्द्र सहाय]

तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसमें काश्तकारों का अनहित नहीं होगा। अभी तक जो तरीका है उसमें काश्तकारों का गन्ना बर्बाद होता है रिकवरी का लास होता है। प्रोसेसिंग यूनिट में काश्तकार उस लास से एक तरफ बच जायेंगे, दूसरी तरफ उनके खेत जल्दी खाली हो जायेंगे। उसमें वह एक फसल और ले सकता है। इस सबके लिये अच्छा हो मन्त्री जी एक कमेटी बनवा दें जिसमें इन बातों का अध्ययन किया जाय। यह एक अहम मसला है। पिछली बार भी हमने इसका जिक्र किया लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया।

चीनी के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से मैं पीलीभीत के सम्बन्ध में एक बात रखना चाहूंगा। मैंने कई बार याद भी दिलाया था कि वहां पिछले वर्ष गन्ने की काटिंग के सिलसिले में सवा रुपये कटौती की है। सुना है आपने आदेश भेजे हैं वहां और वह ७५ पैसे कर दी गयी है लेकिन वे अभी तक तैयार नहीं हैं रुपया देने को मैं चाहूंगा कि आप उनसे कहें कि काश्तकार के साथ अन्याय खत्म किया जाय। एक बात यह भी कहना है कि वहां जो मालिक हैं उन्होंने कारखाने को पब्लिक सेक्टर में कनवर्ट कर दिया है। पब्लिक सेक्टर में हो जाने के बाद भी आज वे मनमानी कर रहे हैं। उसमें वे काश्तकार का गन्ना खरीदते हैं सीधे सप्लाई कर देते हैं और कम दाम देते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बैकडोर मेथड को खत्म किया जाय। मन्त्री जी कृपया इस ओर देखें। केन कमिश्नर ने कहा कि हमने लीगल रेमेम्बरेंसर को भेज दिया है, मामले को। साल भर से ज्यादा हो गया। काश्तकारों का बड़ा अहित हो रहा है। मैं जानता हूं मन्त्री जी की अपनी मजबूरी है। आपने अपने क्षेत्र में कारखाने लगाये हैं वह कहते हैं कि तिवारी जी हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। मैं मांग करता हूं कि आप उनके द्वारा गाइड नहीं होंगे। बल्कि अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे और काश्तकारों के साथ हो रही ज्यादती को खत्म करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर प्रकाश नरायण गुप्ता (जिला आगरा) --

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अहम मसले पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इस प्रदेश में २ सालों में इन्डस्ट्री के मामले में काफी प्रगति हुयी है। आज पावर डिपार्टमेंट को क्रिटीसाइज किया जाता है। बात अपनी जगह पर सही है। लेकिन उसका कारण इस वजह से नहीं कि पावर कम बन रहा है बल्कि इस वजह से कि आज इन्डस्ट्रीज पहले के मुकाबले में ज्यादा फ्लूरिश कर रही हैं। मैं कानपुर की इन्डस्ट्रीज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा टुबरकिलोसिस का परसेंटेज कानपुर में ज्यादा है। वहां वाटर भी पाल्यूटेड हो रहा है और एटमासफियर बड़ा गन्दा हो गया है। कानपुर के अन्दर जितने कारखानों का कांसट्रक्शन हो रहा है, प्रदेश में जितनी इन्डस्ट्रीज हैं, उनकी आधी कानपुर में लगी हुई है। जब तक इस तरह की सीलिंग नहीं लगाई जायगी कि कानपुर में किसी तरह की और इन्डस्ट्री परमिट न की जाय तब तक कानपुर के नागरिकों के साथ जबरदस्त अन्याय होगा।

एक बात और इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि कानपुर में इन्डस्ट्री लगाने से कानपुर के ही लोगों को काम मिलता हो। वहां पर काम करने वाले

प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी अंचल से भी आते हैं और इन्डस्ट्री को एक जगह सेन्ट्रलाइज करने से उसका मसला साल्व नहीं होता। फिर जिस तरह दुनिया की हालत है हर मुल्क में डिफेन्स प्वाइन्ट आफ व्यू से यह कोशिश हो रही है कि हम अपनी इन्डस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करें। लिहाजा भविष्य में किसी किस्म की और इन्डस्ट्री कानपुर में परमिट नहीं की जानी चाहिये।

दूसरी बात यह मुझे कहनी है कि चाहे हम इन्डस्ट्री बढ़ाने का कितना ही प्रयास करें वह तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि प्रदेश में पावर शार्टेज पर काबू नहीं पाया जाता है। जब तक पावर की शार्टेज है तब तक किसी इन्डस्ट्री के लिये लोन दे कर उसे प्रोत्साहित करने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता। (व्यवधान) मैं अपने विचार रख रहा हूं। इन्डस्ट्री के लिये मशीनें खरीदना और रुपये एडवान्स करना किसी तरह से हितकर नहीं है जब तक कि पावर की शार्टेज है।

तीसरे इस बात की आवश्यकता है कि इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को यह प्रेस कर सकता है कि पावर कनेक्शन्स देते समय इस बात का वह पूरा ध्यान रखे कि पहले ऐसी इन्डस्ट्रीज को पावर दी जाय जिनमें कि प्रति हार्सपावर ज्यादा एम्पलायमेन्ट के चांसेज हों। यह बात भी निर्विवाद है कि छोटी इन्डस्ट्री जिनमें ५ से १० हार्स पावर का कन्जम्पशन होता है वे प्रति हार्स पावर ज्यादा आदमियों की एम्पलायमेंट देती है। लिहाजा इस तरह का प्रभाव इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट इस्तेमाल करे कि जब तक पावर की शार्टेज पूरी तरह से खत्म न हो जाय तब तक प्रदेश में छोटी ही इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया जाय।

आगरे के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। पहले आगरे में एक हिन्दुस्तान स्टील यार्ड बनना था। कानपुर के बाद अगर आयरन एन्ड स्टील की इन्डस्ट्री कहीं है तो आगरा में है और आगरे में वह हिन्दुस्तान स्टील यार्ड होना चाहिये था लेकिन दुर्भाग्य से वह इलाहाबाद में लग गया। अब स्टील वालों का यह कहना है कि सभी प्रदेश में पहले एक-एक यार्ड लग जायं तब दुबारा किसी प्रदेश का नम्बर आ सकता है। मेरा कहना है कि यह प्रदेश एक नहीं है। यह चार प्रदेशों के बराबर प्रदेश है। यहां चार स्टील यार्ड होने चाहिये और उनमें से एक अविलम्ब आगरा में लगाना चाहिये।

इलेक्ट्रोनिक्स इन्डस्ट्री के लिये इन्डस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिये आगरा सबसे उपयुक्त स्थान था। आगरा में काफी इन्डस्ट्रीज लगी भी हैं। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर्स तथा टेप रिकार्डर्स बनते हैं। तो वहां पर वह नहीं बनायी गई, कानपुर में बनादी गई। इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे आगरे में इलेक्ट्रानिक्स इन्डस्ट्रीज का इन्डस्ट्रियल इस्टेट बनाने की स्वीकृति प्रदान करें। दूसरी बात यह है कि आज इन्डस्ट्रीज का कम्पटीशन एग्रीकल्चर से हो रहा है। यह प्रदेश के हित में नहीं है कि प्रदेश की इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिये एग्रीकल्चर को दी जाने वाली सुविधाओं में कमी की जाय। यह प्रदेश के साथ बड़ा अन्याय होगा। सर्वप्रथम ग्रीकल्चर की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिये क्योंकि इम्प्लायमेंट

[डाक्टर प्रकाश नरायण गुप्ता]

का प्वाइन्ट आफ व्यू, फाइनेन्शियल प्वाइन्ट आफ व्यू, पैसे के रूप में ज्यादा रिटर्न एग्रीकल्चर से ही मिलेगा और फूड मैटीरियल को इन्क्रीज करेगा। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़) --

मुहतरिम उपाध्यक्ष जी, आज जो हमारे उद्योग की हालत है उसमें कुछ अफरा-तफरी नजर पड़ती है सरकार के नजरिये में। इसलिये एक तरफ पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है और प्राइवेट सेक्टर की बहुत मदद की जा रही है और अब १९७३ के बाद एक नया सेक्टर हमारे हिन्दुस्तान के इस प्रान्त में खुला है जिसका मन्त्री जी द्वारा नाम लिया जा रहा है ज्वाइन्ट सेक्टर। पहले पूंजीपति अपने कल-कारखानों में ही काम करते थे लेकिन अब वे सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। इस कदम को उठाकर हम और तबाही की तरफ जा रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में हो रहे हैं। उसकी दशा कौन नहीं जानता है। मनमाने ढंग से मिलों को लूट रहे हैं। चीनी मिल के बारे में आम समझदारी है कि चीनी मिलों ने प्रदेश की राजनीति को गन्दा किया है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इलेक्शन के जमाने में लांछन लगाती है कि फलां मिल ने फलां पार्टी को इतनी मदद की। ये चीनी मिल मालिक खरीदारी करते हैं और राजनीति में दखल देते हैं। एक जमाने से यह मांग चली आ रही है कि इनको ले लिया जाय लेकिन न मालूम कौन सी बात है जो इस ओर कोई तवज्जह सरकार नहीं दे रही है। खुद सरकारी बेंचेज से माननीय रामायण राय जी ने कहा है और मैं उनकी इस मांग की हिमायत करता हूं कि चीनी मिलों को ले लिया जाय। इससे एक तरफ किसान को राहत मिलेगी यानी लगातार उसे अपने गन्ने की कीमत मिलती रहेगी दूसरी तरफ राजनीति में सफाई भी आ जायेगी।

आज आप देखें कि सूती मिलों की क्या हालत है। एक तरफ हमारे वे दोस्त हैं जो बहुत बारीकी तौर पर उनकी हिमायत करते हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात सोचते हैं। हैन्डलूम के मजदूरों की हालत क्या है। सूत की कीमत आसमान पर चली गई, उनको मार दिया गया। बीमार मिलों को सरकार ने कौमी मिलकियत में लिया। इस बारे में सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिये। प्राइवेट सेक्टर जो हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीति खेल रहा है वह है बिरला का हिन्डालको। हिंडालको को किस रेट पर बिजली दे रहे हैं और प्रदेश में दूसरों को किस रेट पर बिजली दे रहे हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के साथ गलत व्यवहार सरकार करती है। तो उनको इसी सरकार ने बिरला को १० पैसे प्रति यूनिट अब बिजली दे रही है उससे पहले तो दो पैसे था दूसरी तरफ किसानों की हालत क्या है जो रात दिन खेत में काम करता है जाड़ों में रात-रात भर जागता है उसको आप बिजली किस रेट पर दे रहे हैं। १५ रुपया पर हार्स पावर चाहे उसे बिजली मिले या न मिले मगर लाजमी तौर पर वह उसे देना पड़ेगा। यह शिकायत मैं समझता हूं कि सदस्यों को देखना चाहिये, यह सरकार लगातार प्राइवेट सेक्टर की हिमायती रही है। आज प्रदेश के अन्दर पुलिस जो है वह मिल मालिकों की हिमायती है और मजदूरों का दमन करती है। हालांकि हमारी सरकार समाजवादी होने का दावा करती है। तो जाहिर है कि ऐसे समय में पुलिस को न्यूट्रल रहना चाहिये मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में। मगर हम देखते हैं कि यहां की पुलिस मिल मालिकों का साथ देती है। आज हिंडालको में बिरला जी के कारखाने में

पुलिस स्टेशन है। एक अजीब बात है कि पुलिस का स्टेशन जो है वह कारखाने के अन्दर है।

जब तक यह नजरिया नहीं होगा कि इन बड़े-बड़े कारखानों को सरकार अपने हाथ में लेगी तो यह बात सही है कि यह शिकायत आती रहेगी। आज यह बात आती है कि इनमें घाटा हो रहा है। तो मेरा सुझाव है कि इस कारखाने में नौकरशाही का राज है। हमारे जो मन्त्री जी हैं इस विभाग के उनके सेक्रेटरी जो हैं बहुत सी कमेटियों के चेयरमैन हैं उनको समय नहीं है इन सब बातों को देखने का। आज प्राइवेट सेक्टर में तोड़-फोड़ जो है यह नौकरशाही के लगातार बढ़ने से हो रही है और यह पब्लिक सेक्टर को बदनाम कर रही है और सरमायेदारों की तरफ इस सरकार को बनाये रखना चाहते हैं।

एक चीज और कहना चाहता हूं यह बात सही है कि आज दो-तीन साल से एक ठहराव प्रदेश के अन्दर इन्डस्ट्रियल अनरेस्ट में आया है, वह अच्छा कदम है। जो चीजें अच्छी हुई हैं उनको कहने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। आज हमारे प्रदेश में सूती मिलों को लगा रहे हैं तो जाहिर है कि सरकार एक बेहतरी का कदम उठा रही है, आगे की तरफ वह बढ़ रही है। इस समय बहुत से कारखाने लग रहे हैं। मगर इसमें मजबूती के साथ पब्लिक सेक्टर में सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

समय समाप्त हो रहा है।

श्री अब्दुल बाकी—

नहीं तो यह सरकार को तबाही की तरफ ले जायेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में जो मिलों द्वारा मोटा कपड़ा बनाया जाता है उसमें उनको ५० पैसे की छूट दी जाती है। यह इसलिये देते हैं ताकि जनता को सस्ता कपड़ा मिले। मैं कहूंगा कि अगर वही चीज प्रदेश के पावरलूम को दिया जाय तो वह मिलों से अच्छा काम कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री अब्दुल रहमान खां 'नश्तर' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इन्डस्ट्रीज के बजट पर मुझे बोलने का और इस बजट का समर्थन करने का मौका दिया।

मान्यवर, हमारे अभी कुछ विरोध पक्ष के साथियों ने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में इन्डस्ट्रीज की तरक्की आजादी के २७सालों के बाद आज तक नहीं हुई है। लेकिन मान्यवर, उनको यह याद नहीं है कि इससे पहले बजट में जनरल डिबेट के समय हमारे विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह जी ने इस बात को कहा था कि आजादी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल रहमान खां 'नश्तर']

के बाद जब से पंचवर्षीय योजनायें लागू हुई हैं एग्रीकल्चर पर सरकार का कम ध्यान गया है और अधिकतर इन्डस्ट्रीज पर ध्यान गया है। जो कि देश के लिये लाभदायक नहीं है। उनकी इस बात से सबूत मिलता है कि उद्योग की तरफ हमारी सरकार ने अच्छे कदम उठाये हैं और इस प्रदेश में उद्योगों में बहुत तरक्की हुई है। इसके साथ-साथ मैं मन्त्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने टेक्निकल जानकारी के लिये एक सेल की स्थापना की है तथा क एक्सपोर्ट कारपोरेशन कायम किया है यह देखने के लिये कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौनसी ऐसी चीजें मिलती हैं, जिनको हम दूसरे प्रदेशों और देशों में भेज कर फारेन एक्सचेंज कमा सकते हैं।

मैं इसी मौके पर इसके साथ मन्त्री जी का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में शुगर इन्डस्ट्री एक बहुत बड़ी इन्डस्ट्री है, जो कि पुरानी मशीनरियों और लापरवाही के कारण खोखली होती जा रही है। उसको यदि फौरी तौर पर नेशनलाइज नहीं किया जाता है तो हमारे प्रदेश में जो बहुत फारेन एक्चेंज प्राप्त हो सकता है, उसको मिलने में बाधा पैदा हो जायेगी, मिलना बिलकुल दुश्वार हो जायेगा। इसलिये, मैं अपने तमाम दोस्तों की तरह मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वह जल्दी से जल्दी ऐसी कार्यवाही करें, नहीं तो आज जो मिल मिल की शक्ल में दिखाई पड़ती है, यह खोखली दीवाल की शक्ल में दिखाई पड़ेगी। इससे प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा।

साथ ही साथ मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं और उन्हें उसके लिये मुबारकबाद भी देता हूं, जो उन्होंने कुछ जिलों में हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये एक इन्डस्ट्रियल स्टेट बनाने का निर्णय लिया है। इसका बजट में उन्होंने प्राविधान भी किया है। इसके साथ ही उनसे गुजारिश करूंगा कि कानपुर एक बड़ा औद्योगिक नगर है, जहां हरिजनों, पिछड़ी जातियों और मुसलमान अबिलयत के लोग बहुत भारी संख्या में रहते हैं, जिनको इन्डस्ट्री विभाग की ओर से बहुत इग्नोर किया गया है, जिनको कोई सहायता नहीं दी गई है। अत: कानपुर जैसे बड़े नगर में इनके लिये एक इन्डस्ट्रीयल स्टेट बनाई जाय। हमारे आगरा के विधायक ने सरकार का ध्यान आगरा की ओर दिलाने के नजरिये से कानपुर में इन्डस्ट्रीज लगाने की मुखालिफत की है, मैं उनकी इस बात की पुरजोर मुखालिफत करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि कानपुर नगर, जहां इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट के बड़े जरायें हैं, लेबर्स भी काफी तादाद में हैं, टेक्निकल लेबर भी हैं, में उसमें से एक इन्डस्ट्रियल स्टेट की अवश्य स्थापना की जाय।

उन्होंने वहां टी० बी० मरीजों की बहुत बड़ी तादाद बताई, उससे मुझे एतराज नहीं है। लेकिन उसके लिये उन्हें एल० एस० जी० ई० डी० के माध्यम से स्लम-क्लेयरेंश की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिये। वहां पर टी० बी० का मर्ज ५०-६० प्रतिशत लोगों तक में है, उसका कारण उनकी गन्दी बस्तियां हैं। अत: उनका सुधार किया जाय और मजदूरों के लिये अच्छे वातावरण में क्वार्टर्स बना दिये जायें, तो मैं समझता हूं कि इस मर्ज को रोका जा सकता है। इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट से कानपुर में कोई तबाही आने वाली नहीं है।

अब जहां मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि करीब १२ हजार ऐसी इकाई, जिनको किसी न किसी तरह से बोगस पाया गया, उनका डिरजिस्ट्रेशन कर

दिया गया। लेकिन उसमें करीब १० प्रतिशत यानी १२ सौ ऐसी इकाइयां भी थीं जिनका कोई वजूद नहीं था, फिर भी उनका रजिस्ट्रेशन किया गया था : मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं और जानकारी देना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें कि इन यूनिटों को सामान देने वाले अधिकारियों तथा डायरेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही की या नहीं ? यदि नहीं, की तो होनी चाहिये। मेरा अन्दाजा यह है कि करीब एक अरब रुपये का नुकसान इन बोगस इकाइयों के जरिये हुआ जो कानपुर के नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों की साजिश के बगैर नहीं हो सकता था।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि कोयला परमिट के जरिये जो देने की व्यवस्था है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। किसी इन्डस्ट्री के कायम होने की दरख्वास्त आती है तब झूठी दिखा दी जाती है और कोयला ले लिया जाता है। यह नहीं देखा जाता है कि यह इन्डस्ट्री कितने दिन चली और कितनी इसकी खपत होती है। इसको कोई नहीं देखता और इनके द्वारा कोयला ब्लैक में बेच दिया जाता है। ऐसी इन्डस्ट्रीज हैं जो कोयले के बिना नहीं चल पाती हैं और नुकसान होता है क्योंकि उनको हम कोयला नहीं दे पाते हैं। मेरी जानकारी में ५०० ऐसी यूनिटस हैं जिनको कोयला दिया जा रहा है और जिनके जरिये कोयले की ब्लैक में बिक्री हो रही है।

कानपुर में टेक्सटाइल और आइरन इन्डस्ट्रीज हैं। टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज की हालत बहुत खराब है। वह नुकसान में चल रही हैं। मिल मालिक ४०-५० साल पुरानी मशीनों को ही चला रहे हैं। उनको बदल नहीं रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी हो रही है और प्रदेश को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी बात यह है कि जो टेक्सटाइल मिल्स नेशनलाइज की गई हैं और कारपोरेशन के जरिये चलाई जा रही हैं, उसमें आई० ए० स० आफिसर काम करते हैं उनकी हालत यह है कि जिस वक्त मर्चेन्ट चैम्बर आफ कामर्स की मीटिंग होती है उसमें यह सोचकर जाते हैं कि हम मिल मालिक हैं। लेबर आफिस में मजदूरों के झगड़े के लिये जाते हैं तो उसी पक्ष में बैठते हैं। नको हमारी समाजवादी सरकार ने रखा है। हमारे मजदूरों के साथ ये लोग उसी तरह का रवैया अपनाते हैं जिससे मालूम होता है कि वह खानदानी मिलमालिक हैं। मैं धर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो नेशनेलाइज ेक्सटाइल मिल्स हैं उनमें मजदूरों को प्राइवेट मिलों से ज्यादा सहूलियतें मिलनी चाहिये और उनको स्वच्छ जीवन बिताने का मौका मिलना चाहिये। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको असलियत मालूम होनी चाहिये और नेशनेलाइजेशन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाये।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, कटौती का जो प्रस्ताव माननीय शिव प्रसाद गुप्त जी ने इस सदन में उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, किसी भी सरकार की कुछ नीतियां होती हैं उन पर सरकार चला करती है। लेकिन मौजूदा सरकार है उसके सम्बन्ध में मुझे ऐसा लगा कि उसकी नीति वन स्टैप फारवर्ड और वन स्टैप बैकवर्ड की है। इसने यह कभी नहीं सोचा कि हमें किस दिशा में जाना है, समाजवाद में जाना है या मिक्स्ड इकोनोमी में जाना है। इसको सरकार ने कभी जानने की कोशिश नहीं की और हमारे देश की जो औद्योगिक प्रगति हुई है, उसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारा प्रदेश औद्योगिक विकास की श्रृंखला है। जो मापदण्ड था उसमें उत्तर प्रदेश अपने स्थान पर था। मान्यवर, जो मौजूदा फीचर है, उसको देखने से पता चलता है कि २१वां, २२वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। जहां रा-मैटेरियल की कमी न रही हो, वह प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ चला जाय। आखिर इसका कोई तो कारण है। अब हम देख रहे हैं कि यह सरकार पूंजीपतियों को संरक्षण दे रही है कि नहीं, बल्कि यह उनके सामने अपने को सरेन्डर कर चुकी है।

मीसा, पी० डी० जितने काले कानून हैं वह सारे का सारा सहारा लेकर, वह मौजूदा आन्दोलन को जो औद्योगिक विकास की रीढ़ है उसको खत्म करने का और उसके मोरेल को डाउन करने का और पूंजीपतियों को संरक्षण देने का काम यह सरकार कर रही है। मान्यवर, मैं थोड़े से समय में चीनी उद्योग की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इससे हमारे क्षेत्र का और हमारे दल का सीधा सम्बन्ध है। चीनी मिल का न जाने कितनी बार आश्वासन दिया कि इसका हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। १९४८ से कांग्रेस छोड़ने के बाद माननीय उद्योग मन्त्री जी और हम लोग एक ही नारा लगाते थे और कितने साल हो गये? २७ साल हो गये, चीनी मिलों की स्थिति क्या है? चीनी मिलों की स्थिति आज ऐसी है, जैसे हम किसी मकान मालिक को कह दें कि तुम्हारे घर पर डाका डालेंगे और जब सब सामान वह घर वाला दूसरे घर में करदे, तब वह सोच रहा है कि हम डाका भी डालें रात को, तो बदनाम भी हों, कुछ मिले भी न। बिल्कुल यही स्थिति चीनी मिलों की है। अब प्रान्तीय सरकार को छूट दे दिया है कि अब वह चाहे तो चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दे।

अभी एक हफ्ता हुआ बयान आया है कि हम उसको अधिग्रहण करने के लिये अधिकार ले रहे हैं। हुगली, गोरखपुर की चीनी मिल पर ८० हजार का बकाया है मजदूरों का, हिन्दुस्तान टाइम्स में उसके मालिक ने उसको बचने के लिये एडवर्टाइज कर दिया है। उसकी तरफ आप कुछ कर नहीं सकते हैं। वह दिल्ली में बैठे हुए हैं सत्ताधारी दल में, वह फाइनेन्सर हैं, इसलिये मन्त्री जी उसकी तरफ नहीं देख सकते हैं। अगर हुगली चीनी मिल से एक किलो चीनी बाहर गई तो वहां का मजदूर बगावत करेगा।

चीनी उद्योग के सम्बन्ध में मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहता हूं देवरिया और गोरखपुर जिले का। आप प्रदेश के जिले की लिस्ट ले लीजिये, इनकम सबसे ज्यादा कहां है? देवरिया में। मान्यवर, १४ चीनी मिलें देवरिया जिले में हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं होगा जहां पर १४ चीनी मिलें हों। आज मान्यवर, उस छोटे से इलाके में १४ चीनी मिलें चल रही हैं और फिर भी समझ में नहीं आता है कि वह इलाका सबसे ज्यादा गरीब क्यों है? मान्यवर, क्रेशर के लिये

प्रतिबन्ध लगा हुआ है, गोरखपुर देवरिया, में हम लोग कोशिश करते हैं, नहीं मिलता है। जहां पर मन्त्री जी इन्टरेस्टेड होते हैं वहां पर तुरन्त मिल जाता है। आज भी चीनी मिलों के सम्बन्ध में यह सरकार अपनी स्पष्ट नीति की घोषणा करे कि हम टेक ओवर करेंगे या नहीं। सचीज को साफ करदे। चीनी मिलें जो जर्जर हो गयी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको अपनी नीति की घोषणा स्पष्ट करनी चाहिये। सरकार चीनी मिलों को लेने के लिये न केवल सिद्धान्त रूप से सहमत है बल्कि उनको कार्य रूप में परिणत करे।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अब समाप्त करें। दूसरे लोगों को भी बोलना है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

अब मैं पूर्वान्चल का उल्लेख करना चाहता हूं। पूर्वान्चल के गरीब आदमी विदेशों में मारे-मारे फिरते हैं और वहां पर जाकर काम करते हैं अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रा मैटीरियल भरा पड़ा है वहां पर कागज की मिलें बन सकती हैं, वहा पर सीमेंट के कारखाने बन सकते हैं। पूर्वान्चल के विकास के लिये कम से कम आपका ध्यान उधर भी जाना चाहिये। ये वे जिले हैं जिन्होंने सरकार को यहां बैठने का यह सौभाग्य दिया है? इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री दीपनारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय तिवारी जी द्वारा जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं। अभी हमारे विरोधी भाइयों ने उद्योग पर अटैक किया है जहां तक नीतियों का प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की मिक्स्ड इकोनामी रही है और उसी आधार पर हमारी सरकार ने उद्योग स्थापित किये हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सरकारी मिलों पर जो अटैक किया जाता है तो मैं एक बात बतला देना चाहता हूं कि सरकारी मिलों में ऐसा होता है जो राष्ट्रीयकृत मिलें हैं जिनमें जो हमारी पूंजी लगी हुई है उन पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि सरकारी मिलों में काफी घाटा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह पूंजीवादी व्यवस्था के कारण होता है। जब तक इस व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक यही हालत रहेगी।

हमारे साथियों ने यह कहा कि राष्ट्रीयकृत मिलें नहीं होनी चाहिए। उद्योग की स्थापना निजी क्षेत्र में होनी चाहिये। मैं उसका विरोध करता हूं। आज हमें समाजवादी समाज की व्यवस्था करनी है। पूंजीपति मजदूरों के विरोधी हैं, वह उनका शोषण कर रहे हैं, वह सारा पैसा अपनी जेब में भरते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। कांग्रेस कमिटेड है समाजवाद लाने के लिये, कांग्रेस कमिटेड है राष्ट्रीयकरण के लिए। मैं कहना चाहता हूं जैसा कि रामायण राय जी ने कहा कि और बहुत से भाइयों ने कहा कि मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीपनारायण पाण्डेय]

मान्यवर, मैं अपने साथियों का जिन्होंने इस सदन में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि पूंजीपति इजारेदारी को हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ते हैं तो इस प्रदेश के लाखों करोड़ों भूखे-नंगों को रोजी, रोटी नहीं दे पायेंगे। यह कार्य आप चाहे आज करें या कल करें। मान्यवर मुझे इस बात का गर्व है कि माननीय तिवारी जी शुरू से ही समाजवादी विचाराधारा के रहे हैं और उनकी आस्था भी समाजवाद में रही है। मान्यवर, उन्हीं के नेतृत्व में चाहे विद्यार्थी जीवन रहा हो या आज का जीवन रहा हो, हम काम कर रहे हैं।

मान्यवर, मेरे जिले की कुछ समस्यायें हैं। हमारे जिले में केवल ३ चीनी मिलें हैं। इस बजट में भी सरकार की ओर से कहा गया है कि वह ऐसे उद्योगों की स्थापना करना चाहती है जिनका किसानों से सम्बन्ध हो। चीनी मिलें, ऐसी मिलें हैं, ऐसा उद्योग है, जिसका किसानों से डायरेक्टली सम्बन्ध है और उसके माध्यम से हमने १ अरब १० करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेन्ज भी प्राप्त किया है। हमारे जिले में केवल ३ चीनी मिलें होने के कारण आज ऐसी हालत है कि १/४ गन्ना सूख जायगा क्योंकि ये चीनी मिलें उन्हें पेर नहीं सकेंगी। गोरखपुर और देवरिया, दोनों में मिलाकर ३१ मिलें हैं जब कि हमारे यहां के किसान अपने गन्ने के लिए बहुत परेशान हैं। हमारे यहां पर एक जरवल शुगर फैक्टटी में ५० लाख पया किसानों का बाकी है। अगर इस मिल को नीलाम भी किया जाय तो मुश्किल से ५-७ लाख रुपया ही मिल पायेगा। मैंने कई बार लिख कर सरकार के पास भेजा कि वे हमारे जिले में गन्ने के उद्योग को बढ़ावें। गोन्डा जिले की आवश्यकता को देखते हुए यदि वहां पर ४-४ गन्ने की मिलें लगा दी जायं तो वे भी पर्याप्त न होंगी। ४ की बात को कौन कहें वहां पर एक भी नहीं लगायी जा रही है, इसकी मुझे शिकायत है। हमें दुख: है कि हमारे जिले का न तो कोई बड़ा नेता है और न कोई मन्त्री है जो वहां पर गन्ने की मिल लगवा सके। आज जिस जिले के मन्त्री जी हों, वहा पर मिल भी लग जाता है। आज गोन्डा जिले की स्थिति ऐसी है कि वहां पर चीनी मिलों की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए।

न शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वहां के किसानों की मांगों को पूरी करने का कष्ट करें।

अन्त में विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का वि ोध करता हूं और माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, हमारे उद्योग के क्षेत्र में, चाहे वह कपड़े का मामला हो, कागज का मामला हो, या और कोई मामला हो, हमारे प्रदेश में गिरावट आई है। खास तौर पर मुझे चीनी के उद्योग के बारे में कुछ कहना है। चीनी उद्योग हमारे प्रदेश का हिन्दुस्तान में १ नम्बर का उद्योग है। २०० चीनी मिलें हिन्दुस्तान भर में होंगी जिसमें से ७४–७५

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीनी मिलें हमारे प्रदेश में हैं और पूरे देश का करीब ५० फीसदी गन्ना हमारे प्रदेश में पैदा होता है। अगर हम गन्ना और चीनी का इतिहास देखें तो सरकार और अफसरों की उपेक्षा पूर्ण नीति के कारण किसानों का शोषण हुआ है और चीनी मिल मालिकों ने नाजायज फायदा किसानों से उठाया है। जैसा कि हमारे ओझा जी ने बताया चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। इस बीच हमारे बहुत से भाई कांग्रेस में चले गये। हमारे माननीय मन्त्री जी समाजवादी विचारधारा से सम्बन्ध रखते थे। लेकिन दल बदलने के साथ-साथ उनकी विचाराधारा भी बदल गयी। अगर वह समाजवादी विचार रखते होते तो इन चीनी मिलों का समाजीकरण हो गया होता। मुझको विश्वास है कि अब हमारे मन्त्री जी समाजवादी नहीं रहे, सिर्फ वह नकली समाजवाद का नारा लगाते हैं।

हमारे प्रदेश में १९६० में पर–कैपिटा शुगर प्रोडक्शन १९.३ किलोग्राम था जो सन् १९७१ में घट कर ९.३ किलोग्राम हो गया और १९७२ में १४.६ किलोग्राम रह गया। उसके बीच चीनी के प्रोडक्शन में और ह्रास हुआ है। इसी तरह से देश के स्तर पर अगर चीनी उत्पादन को देखें तो सन् १९६० में हमारे प्रदेश का चीनी उत्पादन ४९.९ परसेंट था जो १९७१ में घट कर ३४.६ परसेंट रह गया और १९७२ में २४.३ परसेंट रह गया। इसके बाद इसमें और गिरावट आयी है। यह सब क्यों हो रहा है ? इसलिये कि चीनी उद्योग गन्ना किसानों, मजदूरों, पूंजीपतियों और सरकारी अफसरों के सहयोग से चलता है।

गन्ना किसानों को उचित प्रोत्साहन देने से ही चीनी उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन हमारी सरकार ने गन्ना किसानों को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं दिया। हमारे प्रदेश में १३.८ लाख हेक्टेयर एरिया में गन्ना बोया जाता है जिसमें से सिर्फ ८.९२ लाख हेक्टेयर इरीगेटेड है और करीब ५ लाख हेक्टेयर एरिया अनइरीगेटेड है जबकि गन्ने की खेती बगैर सिंचाई के सम्भव नहीं है। तो कैसे सम्भव है कि चीनी उद्योग का विकास हो। हमारे प्रदेश में सिर्फ ४३३ क्विन्टल प्रति हेक्टेयर गन्ने की पैदावार है जबकि अन्य प्रदेशों में इससे कई गुना ज्यादा पैदावार है। हमें जो डायरी दी गयी है इसमें आंकड़े नहीं हैं इससे मैं निश्चित नहीं कह सकता हूं लेकिन जैसे कि गुड़ के आंकड़े दिये गये हैं, गुड़ के सबसे कम आंकड़े हमारे प्रदेश के हैं तो निश्चित ही गन्ने के आंकड़े भी देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारे यहां कम ही होंगे। यह इसलिये कि आप किसानों की निरन्तर उपेक्षा करते चले आये हैं।

आपकी गन्ना मूल्य निर्धारित करने की कोई नीति नहीं है, न ही उसका कोई आधार है। इसके लिये कोई न्याय संगत नीति होना चाहिये। टैरिफ कमीशन ने कई बार रिपोर्ट दी कि जितने रुपये मन चीनी का दाम हो उतने आने मन गन्ने का मूल्य होना चाहिये। लेकिन पता नहीं क्यों, यह मूल्य नहीं निर्धारित करते हैं। सन् १९६७ में जब संविद सरकार थी, जिसकी आप बहुत आलोचना करते हैं, तो १३ रुपये से १९ रुपये क्विन्टल तक गन्ने का मूल्य किसानों को मिला था और आज अपने आपको समाजवादी कहने वाली यह सरकार सिर्फ १३ रुपये क्विन्टल के दाम देती है।

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]

समय कम है इसलिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि गन्ना मूल्य टैरिफ कमीशन के अनुसार जितने रुपये मन चीनी उतने रुपये टन गन्ने का दाम निश्चित किया जाय। दूसरा सुझाव यह है कि गन्ना मिल, बुड़वल का सीजन चालू होने के पहले गन्ना प्रतिनिधियों, जिलाधीश, और मिल रिसीवर की एक बैठक हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि १९७२-७३ का ६ लाख पये का जो बकाया है वह पैसा इस वर्ष दे दिया जायेगा और इस वर्ष का कोई पैसा बकाया नहीं रखा जायेगा, मगर इस वर्ष का भी बकाया रह गया और पिछला भी बकाया पड़ा है? मेरा अनुरोध है कि वह शीघ्र दिलवाया जाय।

तीसरी बात यह कहनी है कि एक चीनी मिल और है मसौदा, जिला फैजाबाद, की, जिसने दो पये मन भाड़े का चार्ज किया है जब कि उसे नियम के अनुसार ३२ पैसे ही चार्ज करने चाहिये थे। इस प्रकार उसने किसानों से १.६८ रुपये अतिरिक्त चार्ज किये। इस मिल से किसानों को यह अतिरिक्त पैसा जो भाड़े के रूप में चार्ज किया है दिलाया जाय। इसने देवीगंज चौराहे पर एक सेन्टर भी खोला था जिसकी कहीं कोई लिखा-पढ़ी नहीं है, इस सेन्टर पर गन्ना अनियमित रूप से खरीदा गया। इससे शुगर की भी चोरी उस मिलने की होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रूपराम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। मैं अधिक समय न लेकर थोड़े समय में ही अपना भाषण खत्म कर दूंगा। मैं मन्त्री जी का ध्यान अपने शाहजहांपुर की एक उस चीनी मिल की ओर दिलाना चाहूंगा जो ८५ वर्ष पुरानी हो गयी है। वहां और कोई चीनी मिल नहीं है। अब एक को आप-रेटिव की चीनी मिल लगायी जा रही है तिलहर में, जहां पर कि गन्ने का उत्पादन नाम मात्र का होता है। हमारे यहां पुवायां में छोटी-छोटी कई इकाइयां हैं। किन्तु जब उन पर सरकार ने लैवी लगायी तो सभी इकाइयां बन्द हो गयीं। इसका मुख्य प्रभाव वहां के गन्ना किसानों पर पड़ा क्योंकि उनका गन्ना पड़ा रह गया। उन इकाइयों वालों ने यह नोटिस दिया कि जिसे अपना गन्ना डालना हो ८ दिन के अन्दर वह ले आये, वरना फिर मिल बन्द हो जायेगी। इस प्रकार किसानों ने मजबूर होकर ४ रुपये क्विन्टल तक पर अपना गन्ना दिया है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ।

एक बात और कहूंगा। जो छोटे-छोटे चीनी मिल वाले हैं। जो अपना क्रेशर आदि लगाते हैं उनके लिये जो आप दूरी के सम्बन्ध में अपनी पालिसी बनाते हैं वह बड़ी दोषपूर्ण है। जैसे आपने १० मील की दूरी की पालिसी बनायी, तो यह जो दूरी नापने का तरीका आपने रखा है वह गलत है। यह देख कर ऐसा लगता है कि जैसे इनके अधिकारी अकल से बेदखल हो गये हैं। रौजा में अगर कैपेसिटी पिरायी की २५ हजार क्वीन्टल की है तो वहां पर भी वही पालिसी नाप की रहेगी और अगर गोला में जहां पर कि कैपेसिटी १ लाख क्वीन्टल की है, वहां पर भी वही पालिसी नाप की रहेगी। ऐसा क्यों है? मेरा सुझाव है कि जहां पर छोटी-छोटी मिलें हैं वहां पर उनकी दूरी का ख्याल किया जाय तथा क्रेशर लगाने वालों को और सलफर प्लान्ट लगाने वालों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। विभिन्न जिलों में पालिसी भिन्न-भिन्न अपनायी जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, कोई भी जब लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र देता है शायद जून म ४५० रु० सिक्योरिटी का जमा होता है और लाइसेंस देते हैं अक्तूबर-नवम्बर में, पता नहीं ४ महीने क्या करते रहते हैं? जब कोई इकाई चलने वाली होती है, उसे एक महीने तक अपने पास हिलगाये रखते हैं और बाद में नोटिस दे देते है कि तुम्हारा लाइसस बनने के काबिल नहीं है क्योंकि वह मिल की दूरी में नहीं आता है। सितम्बर में उसको बतला देते तो इकाई वाला उसके लिये कोई सामान नहीं खरीदता और न उसके लिये इमारत वगैरह बनवाता। न शब्दों के साथ, माननीय मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जहां उत्तर प्रदेश के अन्दर कृषि की उन्नति हुई वहां उसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में हमारा प्रदेश पीछे की ओर जा रहा है। हमारे सरकार के मन्त्रिगण हमेशा ही वक्तव्य देते हैं कि इस तरह हमारी तरक्की हो रही है लेकिन मान्यवर, "उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा--१९७३" जो है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहां सीमेंट सूती कपड़ा, सूत, कागज, चीनी और जूट--सारी की सारी चीजों का उत्पादन कम हुआ। यहां तक कि उत्तर प्रदेश तथा भारत में कतिपय उद्योगों के उत्पादन के सूचकांक--१९६०--१०० से स्पष्ट है कि जहां उत्तर प्रदेश में सीमेन्ट का उत्पादन १९६५ में १७६ था वह १९७० में १४९ और १९७१ में १८० रहा। इसी तरह से सूती कपड़ा जहां उत्तर प्रदेश में १९६५ में ९७ था वहां १९६६ में ८४, १९६७ में ८२ और १९७१ में ७५ रहा। सूत जहां १९६५ में ११६ था वहां १९७० में ११८ और १९७१ में १११ रहा। चीनी का उत्पादन जहां १९६६ में १११ था, वहां १९७० में १३२ और १९७१ में १११ रहा। यानी वहां भी उत्पादन कम हुआ है। उत्पादन कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सही माने में कोई औद्योगिक नीति नहीं है। औद्योगिक नीति न होने के कारण ही कभी तो आप प्राइवेट सेक्टर में उद्योग लगाने की बात कहते हैं और कभी उद्योगपति और पूंजीपति के बिना उद्योग न चलने की बात कहते हैं। और इसलिये आप मिली जुली दोनों की हिस्सेदारी में उद्योग चलाने की बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी कोई औद्योगिक नीति नहीं है जिसकी वजह से हमारा उद्योग पिछड़ता चला जा रहा है।

चीनी का उत्पादन जहां १९६० में ५० प्रतिशत था वहां १९७१ में जाकर ३४.६ प्रतिशत रह गया। क्या कारण है कि हमारें यहां उद्योग इस तरह से घट रहे हैं। इसका कारण यही है कि सरकार की कोई औद्योगिक नीति ही नहीं है। चीनी उद्योग के कम होने का कारण यह है कि पहले तो कह दिया गया कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा। लेकिन उसे आप कर नहीं सके। जिस तरह से आपने १४ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर के शेष बैंकों को लूट करने के लिये छोड़ दिया है इसी तरह से चीनी उद्योग के बारे में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम अधार]—
भी लोग समझते हैं। आप केवल गरीबों का वोट लेने के लिये ही उसे अपना आधार बनाते हैं। दूसरी तरफ पूंजीपतियों से कहते हैं कि हम तुम्हारा माल ले लेंगे और इस तरह से उनसे गन्ना चन्दा चुनाव के लिये लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—
माननीय रामअधार जी, आप कृपा करके बैठें। कोरम का अभाव है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

श्री राम अधार—
तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि २ तरह की नीति है। एक तरफ कहेंगे कि जनता को देखना है और दूसरी तरफ कहेंगे कि राष्ट्रीयकरण करेंगे। राष्ट्रीयकरण के नाम पर उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों से रुपया लेकर, फिर जनता के अन्दर जाकर रुपया बांट करके गरीबों के वोट खरीदते हैं। तो जितने उद्योगपति हैं, चीनी उद्योग के वह भयभीत हैं। डरते हैं कि अगर मशीन लगा लेंगे, नयी मशीन लगायेंगे और सरकार राष्ट्रीयकरण कर देगी तो हमारा पैसा बरबाद जायगा। इसीलिये पुरानी घिसी-पिटी मशीनें हैं। पुरानी मशीनें चीनी उद्योग में काम कर रही हैं। तो हमारा चीनी उद्योग एकदम बरबाद हो रहा है, पिछड़ रहा है। या तो कहना चाहिये कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में खोलेंगे, पब्लिक सेक्टर की परिपाटी पर चलें या तो प्राइवेट सेक्टर में रहने दें। एक तरफ कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में खोलेंगे दूसरी तरफ कहते हैं कि बिड़ला साहब और मोहन साहब के मिले जुले सहयोग से खोलेंगे। मिक्स्ड इकोनामी भर देने से हमारा प्रदेश उद्योगों के मामले में पिछड़ता जा रहा है।

दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों के यहां चाहे वह जयपुरिया हों और चाहे वह रामरतन गुप्ता हों, कानपुर के हों या गाजियाबाद के, जब उनके यहां मन्त्री महोदय दावत खायेंगे और कांग्रेस के सदस्यगण यह कहेंगे, सरकार यह कहेगी कि हम श्रमिकों का उद्धार करेंगे। मान्यवर, वी० आर० मोहन जैसे पूंजीपतियों के यहां दावतें खायेंगे तो साफ है कि उद्योगपति कभी-कभी जनता के लिये अच्छी चीज का उत्पादन नहीं करेंगे। सरकार पर दबाव डाल कर जो डालडा घी सन् १९७१ में पहले साढ़े ६ रुपये किलो बिकता था आज वह साढ़े १३ रुपये, १४ रुपये किलो बिक रहा है। वह सलिये कि सरकार को १९७४ के चुनाव में रुपया चाहिये था। मुख्य मन्त्री जायेंगे, उमाशंकर दीक्षित जायेंगे, वित्त मन्त्री जायेंगे, डालडा फैक्टरी वालों के यहां दावत खायेंगे। सुहागिन मिल का मामला अभी हाउस के अन्दर आ चुका है। तो जब इस तरह से दावत खायेंगे तो मिल वाले सरकार पर दबाव डाल कर काफी के दाम डालडे के दाम बढ़वा लेंगे।

सन् १९७१ में आठ रुपये बोरी सीमेंन्ट मिल रही थी पर आज बढ़कर वह १८ पये हो गयी है। तो आज सरकार पूंजीपतियों की तिजोरी की रक्षा कर रही है। आप पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का गला घोट रहे हैं। मैं मान्यवर, कहता हूं कि आज पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई उद्योग नहीं है।

एक आज आजमगढ़ में खोल रहे हैं। कई बार मैंने वित्त मन्त्री जी से कहा कि आजमगढ़ में छठियांव में खोल रहे हैं तो यह फेल करेगा। आप सड़क बनाने

जा रहे हैं, सड़क बन जाने से बहुत से पिछड़े लोगों का फायदा होगा। मैं कहता हूं कि आपको पता लगेगा कि साल भर के बाद मिल फेल करेगी। मान्यवर, इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर नये लाइसेंस दिये जायें तो कानपुर और गाजियाबाद में न देकर बल्कि जो छोटे-छोटे जिले हैं उनको दिये जायं। ऐसा करने से इन छोटे-छोटे जिलों में उद्योगों का विस्तार होगा।

मान्यवर, आजमगढ़ के अन्दर कुछ छोटे-छोटे उद्योगों को आपने खोल दिया उनके खोलने के लिये सरकार ने कर्ज दिया और यह उद्योग खुल गये हैं। लेकिन उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा है। उनके कारखाने बन्द हैं। कारखाने बन्द हैं, कच्चा माल नदारद। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कब तक यह सरकार पूंजीपतियों के रुपयों पर, नोटों पर बोलने वाली सरकार कब तक कायम रहेगी। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर उद्योगों की प्रगति नहीं हो रही है। अब तो मन्त्रि-मन्डल में झगड़ा है। परेशानी यह है कि बहुगुणा जी रहें या तिवारी जी रहें। तो सरकार, आपस में लड़ने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर ही नहीं सकती है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष जी, मैं उद्योग मन्त्री जी ने जो उद्योग का बजट पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे कुछ साथियों ने बहुत लम्बी चौड़ी बातें कहीं। उनकी बात मैं नहीं कहता लेकिन जो इस तरह से बोले वह सच्चाई पर परदा डालते रहे और दूसरी बातों को सामने लाये। जब चौधरी साहब मुख्य मन्त्री थे, संविद सरकार में ही मोदी मिल के मजदूरों पर गोली चली। मजदूरों को ब्वायलर में झोंका गया। पद्मभूषण की उपाधि चौधरी साहब ने दिलायी। उस समय शराब बनाने वाले मोहन मीकिन को पद्मश्री की उपाधि दिलाई। चौधरी साहब ने क्या नहीं किया। चीनी मिलों के टेक ओवर करने के लिये एक ३ मेम्बरों की कमेटी बिठाई जिसमें बाबू गेंदा सिंह, श्री वीरेन्द्र वर्मा और श्री पृथ्वी नाथ सेठ थे। पश्चिमी जिलों से प्रति मील से डेढ़-डेढ़ लाख रुपया आया। पूर्वी जिलों का पता नहीं कितना आया। इस तरह डेढ़ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ और कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया गया। तो इस तरह की बातें करते हैं जैसे उन्हें कुछ मालूम नहीं है। इस पर एक शेर याद आती है :---

ऐ मौजे बला उनको भी जरा दो-चार थपेड़े हल्के से
कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफां का नजारा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तुरन्त होना चाहिये, चाहे चीनी मिल हो, शराब की मिल हो, लोहे की मिल हो या कपड़े की मिल हो उनका अविलम्ब राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। इन बड़े-बड़े उद्योगों में नुकसान इसलिये हो रहा है चूंकि इनमें आई० ए० एस० अधिकारियों को जो भ्रष्ट हैं, प्रबन्धक रख दिया जाता है। यदि ईमानदार अधिकारियों को रखा जाय तो जो नुकसान हो रहा है वह नहीं होगा। इसलिये पहला कारण नुकसान का अनुभवहीन और भ्रष्ट

[श्री प्यारे लाल]

अधिकारियों का होना तथा दूसरे वह बड़े ठाठ-बाट से रहते हैं। यदि सरकार इनको ध्यान में रखे तो मिलों को जो नुकसान हो रहा है वह नहीं होगा।

मान्यवर, सरकार फैक्टरी को लाइसेन्स तभी दे जबकि लोहा, कोयला और कच्चे माल के मिलने का प्रबन्ध हो जाय। परन्तु होता यह है कि मिल लग जाती है लेकिन उसको कच्चा माल नहीं मिलता है। इसी तरह सरकार को चाहिये कि वह कर्जा तभी दे जबकि बिजली और कच्चे माल का प्रबन्ध हो जाय। इसके साथ ही मैं एक बात और कहूंगा कि भूमि का वितरण पहले किया जाता है और किसान को मुआवजा कम दिया जाता है। बाद में उसी भूमि की कीमत बढ़ा दी जाती है। इन्डस्ट्रियल स्टेट में ६ रुपये प्रति वर्ग गज कीमत थी लेकिन डेढ़ रुपये में ली गयी थी। उसी की कीमत अब २२ रुपये प्रति वर्ग गज कर दी गयी है। तो जो कीमत बढ़ी है उनमें बढ़ा हुआ प्रतिशत किसानों को मिलना चाहिये।

मान्यवर, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है जब वह मन्त्री थे, जो कि उद्योगपति हैं, उस समय भी कितना भ्रष्टाचार था—तब कहते। आज उसको मिटाने की बात करते हैं। कुर्सी पर हों तब कहें। भ्रष्टाचार मिटाने की बात वह करें जिन्होंने अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत किया हो। जब वह कुर्सी पर थे तब आदर्श नहीं प्रस्तुत किया था। इस सम्बन्ध में एक ही बात मैं कह सकता हूं—

किसकी हथेली पर अपना लहू तलाश करूं,
सभी तो पहने हुए हैं दस्ताना।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मन्त्री जी ने यह बताया कि देश के आर्थिक उत्थान में उद्योग का बहुत महत्व है और बेरोजगारी को मिटाने के लिये भी उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये; कानपुर में उद्योग निदेशालय है जो बहुत बड़ा है। जहां तक उद्योगों का सवाल है मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से बोगस उद्योग खुलते हैं और उनको ऋण दिया जाता है। लेकिन उनका वजूद कहीं नहीं होता। उद्योगों के मामले में लोगों को कितनी परेशानी होती है इसका एक उदाहरण मैं मिर्जापुर का देना चाहता हूं। उद्योग अधिकारी ने स्वर्णकारों को उद्योग सम्बन्धी लोन देने का प्रचार किया। दूर-दूर से लोग आये। लेकिन उद्योग अधिकारी ने उनको बताया कि सरकार का आदेश है कि सरकार घाटे पर चल रही है इसलिये पैसा वापस कर दिया जाय। इस प्रकार वह लोग वापस चले गये। यह अभी हाल की बात है, मार्च की बात है।

हमारे जिले में दो फैक्टरियां चुर्क और डल्ला की हैं। यह आपने निगम में दे दी हैं। इन दोनों फैक्टरियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहां भूतपूर्व निदेशक जे० एन० तिवारी थे। उनकी यात्रा पर १३ लाख रुपया खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त इन फैक्टरियों को लगे २० वर्ष हो गये लेकिन यह अपने पूरे प्रोडक्शन में नहीं आयी हैं। १९७२-७३ में चुर्क फैक्टरी का उत्पादन का लक्ष्य ४,८०,००० टन था और डल्ला का ४ लाख टन का लक्ष्य था लेकिन जो उत्पादन हुआ वह चुर्क में ४,३८,४३७ टन और डल्ला में २,५८,३२० टन। इसी तरह से १९७३-७४ में जो लक्ष्य रखा गया था वह चुर्क फैक्टरी के लिये ४ लाख २५ हजार

टन था और डल्ला फैक्टरी के लिये भी ४ लाख २५ हजार टन था लेकिन चुर्क फैक्टरी में ३,१५,३१७ टन और डल्ला में २,३३,१७६ टन उत्पादन हुआ।

मान्यवर, जब कि वहां पर चूना और पत्थर आसानी से मिलता है तो उत्पादन कम होने का क्या कारण है? ये दोनों ही घाटे पर चल रही हैं। जब राजनारायण वहां गये थे तो २०० बोरी सीमेंट चोरी की पकड़ी गयी। बलराम सिंह क्वैरी मैनेजर ने वहां साढ़े सात लाख का घोटाला किया है। वह गुर्मा में थे और अब डल्ला चले गये हैं। हमने शिकायतें की कि वहां घुटाला चल रहा है। वहां के अधिकारी स्टाफ के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वर्क चार्ज वाले तीन साल से ऊपर के हो गये हैं लेकिन उनको परमानेन्ट नहीं किया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि चुर्क और डल्ला दोनों फैक्टरियों की एक आयोग बनाकर जांच करवायें।

इसी तरह से हिंडालको फैक्ट ी की बात है। १३ तारीख को डी० वाई० एस० पी० कुवेर सिंह यादव की निर्मम हत्या कर दी गयी। फैक्ट ी के मैनेजर कोठारी हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि न तो वहां के लोगों को नौक ी मिल पाती है और न कोई सुविधा दी जा रही है। वे जिस यूनियन को चाहते हैं, लड़वा देते हैं। इस प्रकार से हावी होकर उन्होंने सबको त्रस्त कर रखा है।

हमारे यहां कजरहन और चुनार में एक नई फैक्टरी प्रस्तावित है। वहां के लोगों का ख्याल है कि दो परसेंट लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पायेगी जैसा कि दूस ी जगह हो रहा है जबकि उनकी जमीन ली जा रही है। जिस जिले के मैनेजर होते हैं वह अपने यहां के लोगों को ले आते हैं। चुर्क फैक्टरी के बारे में एक बात यह भी है कि दो लाख की बोरियां चोरी चली गयी। वहां जो ठेकेदार है वह सप्लाई नहीं करता और उसको पेमेंन्ट पूरा हो जाता है। इसी तरह से वहां दो करोड़ के टूल्स बेकार पड़े हुये हैं। इसी तरह से जितने मुकदमें फैक्टरी ने किये उनमें एक में भी गवर्नमेंन्ट के पक्ष में फैसला नहीं हुआ। इसलिये आप एक आयोग बैठाकर इन दोनों फैक्टरियों की जांच करवायें।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह एक फैशन सा हो गया है यह कहने का कि सरकार ने कुछ नहीं किया। उद्योग के मामले में हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, यहां कुछ नहीं है। यह सब कहना आम बात हो गयी है जैसा कि विरोधी दल के सदस्यों ने कहा है।

श्री रामअधार—

आप तो ता ीफ करने खड़े हुये हैं।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

आपका जो निजी उद्योग है उसके बारे में भी जानता हूं। वहां भी गड़बड़ी है। हमारे विरोधी पक्ष के भाई भूल जाते हैं कि मिर्जापुर में चुर्क सीमेंट फैक्टरी, हरिद्वार ऋषिकेश में एन्टीबायटिक्स, मथुरा में तेल रिफाइनरीज शुरू होने जा रही हैं,

[श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी]

गोरखपुर में खाद का कारखाना, फूलपुर में प्रस्तावित खाद का कारखाना और बनारस का लोकोमोटिव्ज आदि हैं। क्या यह सब उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्या यह सब प्रगति की निशानी नहीं है कि इतने बड़े-बड़े कारखाने यहां सरकार खोल रही है और चला रही है। मान्यवर, हमारे देश में पहले नम्बर पर कपड़ा उद्योग और दूसरे नम्बर पर चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग में हमारे प्रदेश का विशेष अंशदान रहा है। हमारी समाजवादी सरकार कांग्रेस के आवडी तथा बम्बई के प्रस्ताव और अपने चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये प्रतिबद्ध है। जनता के हित में सरकार को उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। मैं नम्रतापूर्वक उद्योग मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ने हमें आजाद कर दिया कि हम जब चाहें राष्ट्रीयकरण करें तो आज तक वह क्यों नहीं किया गया। जैसे यह शोर होना कि भेड़िया आया, भेड़िया आया या यह कि :

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
चीरा तो एक कतरए खूं न निकला।

मिल मालिक मशीनरी निकालकर बेच रहे हैं। साथ ही जो मिलें चल रही हैं वह भी पूरी क्षमता से नहीं चलाई जातीं। उन मिलों की मरम्मत ठीक से नहीं की जाती। फल यह होता है कि अधिक क्षमता से माल की पेराई नहीं हो पाती। इसलिये, अविलम्ब राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। लेकिन इस बात की बजट के समान गोपनीयता सुरक्षित रहनी चाहिये, उसी तरह जैसे कि इन्दिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण एकदम से किया। शाम तक किसी को पता नहीं और सुबह अखबारों की सुर्खियों में सब ने देखा। उसी तरह से जब भी राष्ट्रीयकरण किया जाय, तत्काल और अचानक होना चाहिये ताकि जो निहित स्वार्थ हैं, उनका स्वार्थ साधन न हो सके।

मैं कुछ बातें अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले बहुत ही पिछड़े जिले हैं। मेरी मांग है कि जो भी हमारा बजट है और योजनायें हैं, उनका वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिये। पूर्वी जिले बहुत पिछड़े हैं, अंग्रेजों के जमाने से ही, पश्चिमी जिलों के मुकाबिले में। पश्चिमी जिलों में चले जायं तो हर जिले में शहर के बाहर इन्डस्ट्रियल इस्टेट्स मिलेंगे, लेकिन बस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर देवरिया, गोंडा, बहराइच, जौनपुर, आदि ऐसे पूर्वी जिले हैं, जहां कोई भी इन्डस्ट्रियल इस्टेट्स नहीं मिलेंगे। क्या सरकार के लिये ये जिले अपने प्रदेश के नहीं। मैं पश्चिमी प्रदेशों का दुश्मन नहीं, लेकिन संतुलित विकास प्रदेश के हर जिले का होना चाहिये। अगर कोई क्षेत्र अन्धकार में पड़ा रहता है, तो उन्नति का सामञ्जस्य नहीं होता। इसलिये, पूर्वी जिलों के औद्योगिक विकास की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये और वहां इन्डस्ट्रियल इस्टेट्स स्थापित होने चाहिये।

मान्यवर, बस्ती जिले में बड़नी में एक चीनी मिल थी, जिसको वहां से हटा दिया गया और वहां पर एक खान्डसारी की फैक्टरी रमुवापुर बरमी में खोली गयी, लेकिन उसमें बाहर के आदमियों को भर्ती किया गया। स्थानीय रोजगार की समस्या को हल करने के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय आदमियों को नौकरी में रखा जाय। सके अलावा और भी फैक्टरियां चीनी मिलों की, खान्डसारी की खोली जायं ताकि किसानों का पूरा गन्ना क्षमता के साथ पेरा जा सके।

मान्यवर, नैपाल के नजदीक के जिलों में, जैसे बस्ती, गोन्डा आदि जिलों में एक लूसर्न घास होती है। जिसे बनफस कहते हैं अगर वहां कागज की फैक्टरी खोल दी जाय तो बड़ा भला होगा न स्थानों का। २ कागज की फैक्टरी उत्तर प्रदेश में खोलने के लिये लाइसेंस भी मिले हैं, जिनमें शायद क नैनीताल में जायेगी। मेरी मांग है कि बस्ती में भी बड़नी के स्थान पर से एक कागज की फैक्टरी खोल दी जाय तो बड़ा उपकार होगा, इस जिले के लिये।

इसी तरह से बस्ती, गोरखपुर आदि जिलों के उत्तरी क्षेत्रों में कपास का अगर एक पेड़ फेंक दिया जाय तो उसमें २, ३, ४ और ५ सेर तक कपास होती है। बहुत बड़ा पेड़ कपास का उगता है वहां। मैं मांग करता हूं कि अगर बस्ती के उत्तरी क्षेत्र में और गोन्डा और गोरखपुर में कताई मिलें लगायी जायं तो वहां की कपास की उपज बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार की समस्या भी हल होगी। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुप्ता जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरे पूर्व वक्ता पुरी जी ने जैसी एक कहावत है दोहरी बात कही है। शुरू में तो अनुदान के लिये मन्त्री जी की तारीफ की और उसका समर्थन किया और बाद में कहना शुरू कर दिया कि जो भी औद्योगिक कार्य हो रहे हैं उनसे वे सन्तुष्ट नहीं हैं। उनको यह भी तकलीफ थी कि क्षेत्रीय मजदूर क्षेत्रीय उद्योगों में नहीं रखे जाते जब कि जमीन उस क्षेत्र की ले ली जाती है। मिर्जापुर की कहानी उन्होंने जिस तरह से सुनाई उसी तरह से गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्टरी लगाते समय जब जमीन ली गयी तो सरकार की ओर से वायदा किया गया था कि वही आदमी रखे जायेंगे, जिनकी जमीनें ली जा रही हैं लेकिन मजदूरों की बात तो अलग रही वहां का किसान खाद तक के लिये तरसता है।

इसी तरह से शुगर मिलें एक मुख्य उद्योग हैं और सरकार ने उनको अपनी आमदनी का जरिया बना रखा है इलेक्शन लड़ने के लिये और इस तरह से उन पर एक तलवार सी लटका रखी है मजदूरों और किसानों को तबाह करने के लिये। इसका परिणाम यह है कि मिलों की हालत रद्दी होती जा रही है, उन पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता और जैसे भी हो उनको दुहने की कोशिश की जाती है। सरकार उनको लेने को तब तैयार होती है जब उनकी कीमत कुछ नहीं रह जाती है। किसानों और मजदूरों का उन पर लाखों रुपया बकाया हो जाता है तब सरकार उनको अपने हाथ में लेती है। मिश्रा जी कह रहे थे कि ७ महीने के अन्दर क्यों राष्ट्रीयकरण नहीं किया? लेकिन आपने तो २७ वर्षों में यह नहीं किया। आज भी यह सरकार इस चीज को नहीं कर पा रही है जब कि केन्द्रीय सरकार ने यह छूट दे दी है राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है। चौधरी चरण सिंह ने तो यह मांग की थी कि भारत सरकार यह लिख कर दे दे कि राज्य सरकार अपनी तरफ से कर सकती है लेकिन उस समय ऐसा नहीं किया गया। मैं सरकार से कहूंगा कि मिलें ठिकाने से नहीं चल रही हैं उनको अपने कब्जे में लेकर ईमानदार तथा अच्छे आदमियों की सरकार वहां रखे।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

आज हमारी बरबादी में सबसे अधिक हिस्सा किसी का है तो भ्रष्ट अधिकारियों का ही है। जिन चीजों का राष्ट्रीयकरण करके राष्ट्र की तरफ से चलाने का प्रयास होता है उनमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारी घुस जाते हैं जो पूंजीपतियों से मिलकर उन मिलों को बरबादी के दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं जैसे सूती मिलों के मामले में लाखों रुपये का नुकसान हुआ, १९ लाख रुपये का बुलन्दशहर को नुकसान हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

शायद आपके दल के माननीय सदस्य आपकी बात को सुनना पसन्द नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

वे रस लेकर मदहोश हो रहे हैं। मैं यह जिक्र कर रहा था कि मिलें जो ज्यादातर सरकारी हैं वे बरबाद हो रही हैं महज भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों। अगर अधिकारी रुचि लें और उनमें अपना काम समझ कर काम करें तो कोई वजह नहीं है कि किसी मिल में घाटा हो। गन्ना मिलें सीजनल हैं। दुर्गम स्थानों से किसान गन्ना उनको नहीं पहुंचा पाता है। फरवरी खत्म होते ही मार्च, अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते रिकवरी कम हो जाती है। मेरा सुझाव है कि खांडसारी यूनिट्स दुर्गम स्थानों पर लगाने का इन्तजाम सरकार कर दे। तो गन्ना, किसान काटकर के राब की शकल तब्दील कर सकता है और चीनी मिल का रूप अख्तियार कर सकता है बशर्ते की सरकार ध्यान दे।

तराई के इलाके में छोटे-छोटे उद्योगों के लिये काफी कच्चा माल पड़ा है। सरकार वायदे करती है लेकिन यह ख्याल नहीं रखती है कि प्रदेश में बेकारी की कितनी समस्या है। नेपाल के बार्डर पर तराई के क्षेत्र में कागज की अच्छी से अच्छी मिलें चल सकती हैं, स्प्रिट की मिल चल सकती है और जो मिलें साल में सिर्फ २-३ महीने ही चल कर बन्द हो जाती हैं और जिसके फलस्वरूप मजदूर बेकार हो जाते हैं उनको इन कागज और स्प्रिट की मिलों में लगाकर उनको रोजगार दिया जा सकता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, जो खांडसारी की यूनिटें सरकार की तरफ के खड़ी हैं उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। हमारे यहां नित्रनील में एक खांडसारी की यूनिट कायम की गई है। वहां पर सरकार ने हथियार डाल दिये हैं और यह मालूम होता है कि वह यूनिट बन्द हो जायेगी। सरकार इन बातों की जांच करवाये कि आखिर यह चीजें क्यों होती हैं? इस सम्बन्ध में जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। यदि कानून में कमी हो तो जो आपका यह मौसा विद्यार्थियों और पोलीटिकल वर्करों पर इस्तेमाल हो रहा है, वह अधिकारियों पर भी इस्तेमाल हो। ये ही लोग देश को बरबाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय सम्पत्ति का ह्रास कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस उद्योग के बजट में आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, १९७१ के बाद जिस तरह से प्रदेश में औद्योगीकरण तीव्रगति से बढ़ा है वह इस बात का सबूत है कि सरकार किस तरह से इच्छुक है यहां की

बेकारी और गरीबी को दूर करने में। इसके साथ ही साथ जहां शासन की तरफ से बहुत सी नीतियों और योजनाओं का प्रतिपादन किया गया है मैं कहना चाहूंगा कि आज अधिकारी या कर्मचारी सरकार की मंशा के अनरूप कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण जिस गति से औद्योगिक क्रांति होनी चाहिये थी, वह नहीं हो पा रही है।

जहां तक शुगर मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कहा गया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अविलम्ब इस कार्य को करके दूसरे प्रदेशों के सम्मुख एक उदाहरण उपस्थित करें कि शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण उत्तर प्रदेश में इसी वित्तीय वर्ष में होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निश्चित कदम शासन की तरफ से उठाया जायेगा। इसके अतिरिक्त मैंने जो देखा है वह यह है कि उद्यमी लोग नये उद्योग को लगाने के लिये परेशान हो जाते हैं। जब कभी कोई कागज विभाग में जाता है तो उसमें दो-दो तीन-तीन बार ओब्जेक्शन लगा देते हैं और अनुचित लाभ उठाते हैं। इस तरह से उनका शोषण होता है। कभी-कभी उसका नतीजा यह होता है कि नये उद्योगपति उद्योग लगाने के लिये विमुख हो जाते हैं। अतः सरकार ऐसे आदेश करे कि जो भी ओब्जेक्शन हो, वह एक ही बार में लगाया जाय। ताकि उसे कोई परेशानी न हो। इस सम्बन्ध में रिस्पोंसिबिलिटी ओरियेंटेड स्कीम का प्रतिपादन किया जाय। चाहे वह रा मैटीरियल रिकमेंड करने वाला अधिका ी हो, चाहे वह लोन रेकमेंड सैंक्शन करने वाले अधिका ी की बात हो यदि वह गलत रिकमेंड करता है तो उसे कठोर दन्ड देना शुरू कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह गलत संस्तुति करें। इसके अतिरिक्त जो ग्रेजुएट निकल कर आते हैं जिनका उद्योग पैत्रिक व्यवसाय नहीं है उनके सामने एप्लीकेशन भरना भी मुश्किल होता है तो उनको मदद के लिये भी पूरा-पूरा सहयोग मिलना चाहिये। इस बात को शासन को देखना चाहिए।

एक समस्या इस विधान सभा में चर्चा के समय आई जो आलू के सम्बन्ध में थी। मैं इसे मुनासिब समझता हूं कि सरकार कोई निर्णय इस तरह का करे कि आलू के सम्बन्ध में कोई कारखाना खोले जिससे आलू उत्पादकों को जो क्षति होती है वह न हो सके। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि धान के पयाल के सम्बन्ध में, उन्नाव में नवाबगंज और बिछिया के आस-पास पयाल बहुत होता है यदि उसके कागज बनाने का कारखाना लगाया जाय तो उससे मैं समझता हूं कि किसानों को भी लाभ होगा और यह जो कागज की कमी की समस्या है वह भी कम हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र में मुनाफा घटने की बात कही गई है मैं समझता हूं कि यह एक नीतिगत प्रश्न है। यदि उसमें श्रमिकों को लाभ में भागीदार बनायें तो यह राष्ट्रीयकरण को लाभप्रद बनाने की तरफ कदम होगा और उससे मुनाफा भी ज्यादा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी उद्योग हैं उनमें श्रमिकों को आधा हिस्सा मुनाफे में मिलना चाहिये। यदि आधा हिस्सा मिलना शुरू हो जायेगा तो श्रमिकों को काम करने का इसेंटिव मिलेगा और कारखाने में बहुत ज्यादा लाभ होने लगेगा और उसके साथ-साथ वह अधिकारियों के ऊपर 'वाच डाग' का भी काम करेंगे।

[श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी]

उन्नाव में औद्योगीकरण के बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं। वहां पर इस बीच प्रगति में कुछ अवरोध आ गया है। उसका कारण यह है कि जो गंगा के इस पार उद्योग हैं उनको बिजली जो है उस प्रकार नहीं मिलती है जैसे कि कानपुर में। वहां पर २४ घंटे बिजली मिलती है लेकिन इस पार चार छै घंटे बिजली मिलती है जिस कारण वहां के औद्योगीकरण में अवरोध हो रहा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहूंगा कि बिजली के सम्बन्ध में उन्नाव को 'ऐट पार' रखें कानपुर के।

उन्नाव के बारे में एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक सोमानी स्टील फैक्टरी है जो मेरे क्षेत्र में है। मैं समझता हूं कि जितनी भूमि उनको डायरेक्टर इन्डस्ट्रीज ने रिकमेंड की है वह काफी अधिक है जिससे किसानों का उत्पीड़न वह कर रहे हैं। तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। सोमानीस्टील को जो जमीन दी गई है उसमें इस तरह की कटौती हो कि जो गरीब किसान हैं उनको या तो वह किनारे की जमीन दे दें या इस तरह की व्यवस्था करें कि किसानों को नुकसान न पहुंचे।

इसके अतिरिक्त मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज इन्स्पेक्टर या आफिसर जो इन्डस्ट्रीज का इन्स्पेक्शन करने जाते हैं वह समय-समय पर उनके बारे में रिकमन्डेशन देते रहें उसके साथ-साथ वह यह भी देखें कि उन फैक्टरीज ने सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स या एक्साइज ड्यूटी उसी हिसाब से दी है जिस हिसाब से उनको रा-मैटीरियल मिल रहा है। यदि वह ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई न कोई सुधार करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बाबू लाल वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पैर में तकलीफ है मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ कर बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है आप बैठ कर बोल लें। आगे आ जायं।

*श्री बाबू लाल वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। उद्योग और कृषि का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। कृषि के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री को छोड़कर जो वस्तुयें पैदा होती हैं उनका उद्योगों में प्रयोग किया जाता है—जैसे गन्ना, जूट, कपास आदि। प्राकृतिक सम्पदा और खनिज पदार्थ इन दो वस्तुओं के आधार पर उद्योग चलाया जाता है। अभी हमारे केन्द्रीय कृषि मन्त्री जी ने उद्योगों के बारे में तीन बातें आवश्यक बताई हैं—धरती, धन और श्रम। लेकिन इस बात को हमारे भारतीय जनसंघ के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने अधूरा बताया है। दीनदयाल जी जो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े पंडित थे जो अर्थशास्त्र के मौलिक विचारक थे और भारतीय अर्थशास्त्र को एक नई दिशा में मोड़ने वाले थे, का कहना था कि किसी उद्योग को चलाने के लिये ७ बातों की आवश्यकता होती है। जिन्हें सात मकार भी कहते हैं अर्थात् हर चीज म अक्षर से शुरू होती है। ये हैं—मैन, मेटेरियल, मनी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मशीन, मोटिव-पावर, मैनेजमेंट और मार्केट। इनमें से अगर एक चीज की भी कमी रहे तो कोई भी उद्योग अच्छी तरह से चल नहीं सकता है। न उत्पादन बढ़ेगा और न मजदूरों का भला होगा। इन्होंने इसके साथ इन चीजों के अलावा एक और बात पर जोर दिया और कहा यह भी होनी चाहिये।

जिस प्रकार से मां को पुत्र से स्नेह होता है उसी प्रकार उद्योग के प्रति किसान या मजदूर का स्नेह होना चाहिये, लगाव होना चाहिए और उसमें उसके प्रति अपनत्व की भावना होनी चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि उस मजदूर और किसान को उस उद्योग का भागीदार बनाया जाए और उसमें उत्पादित वस्तुओं के लाभ में बराबर का लाभ किसान और मजदूर को होना चाहिए। यह करने पर ही उसका लगाव उसके प्रति होगा।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था के अनुसार आज अपने प्रदेश में अपने उद्योगों की जो हालत है वह बहुत गिर गई है। इसका आप नमूना देखें। १९५० में जहां हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा पांचवे नम्बर पर था सन् १९६० में छठे नम्बर पर हो गया और सन् १९७१ में गिरते-गिरते वह १२वे नम्बर पर पहुंच गया। इतना ही नहीं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अपने प्रदेश में आबादी का घनत्व ३ सौ व्यक्ति एक किलोमीटर में है वहीं देश का यह १५५ है। उसी प्रकार जो व्यक्ति उद्योगों में लगे हुए हैं, पूरे देश में वे ४.२ हैं, लेकिन अपने प्रदेश में २.८ हैं। इसी प्रकार अपने प्रदेश में जो उत्पादन है, जो देश में हमारा योगदान है उसे देखें यह पूरे देश में १८ प्रतिशत है और अपने प्रदेश में केवल १० प्रतिशत है। यहां १० हजार व्यक्तियों में ९२ व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं और अपने प्रदेश में केवल १७ व्यक्ति इस काम में लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो देश में पूंजी लगी हुई है, प्रदेश के अनुपात में जो पूंजी लगी हुई है, वह केवल ६ प्रतिशत है। इस तरह अपने प्रदेश में उद्योग निरन्तर ह्रास में जा रहा है।

मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आलू का उत्पादन अधिक हुआ और उससे आज नुकसान हो रहा है, आलू के लिये आप अपने यहां पाउडर के कारखाने लगायें। एक किलो आलू में साढ़े सात सौ ग्राम पाउडर बनता है। आजकल आलू १८-२० रुपये क्विन्टल के भाव बिक रहा है और उससे आलू उत्पादक किसान तबाह हुआ जा रहा है, जबकि पाउडर की कीमत कहीं ज्यादा है। इसी प्रकार जूट के बारे में मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मैंने जिला बहराइच में एक जूट फैक्टरी लगाने का निवेदन किया था। इस समय अपने प्रदेश में केवल ३ मिलें हैं और उसके साथ-साथ ८३५ कुल हैं। लेकिन हमारे यहां जूट के उत्पादन के लिये बहुत बड़ा स्थान है। इसका यदि विकास किया जाये तो कई मिलें खड़ी हो सकती हैं। बहराइच में पयागपुर बघैल ताल है वहां ८५०० एकड़ में जूट की खेती की जा सकती है जबकि पूरे जिले में ८००० एकड़ भूमि में ही जूट का उत्पादन किया जा रहा है जिसका उत्पादन ५० हजार क्विन्टल हो रहा है।

इसी तरह से गन्ने के बारे में मैं कहूंगा कि हमारे यहां गन्ने की पैदावार घटती बढ़ती रहती है जिसका परिणाम यह होता है कि कभी कोई मिल ३ महीने चलती है कभी कोई मिल

[श्री बाबूलाल वर्मा]

६ महीने चलती है, कभी मिल बन्द हो जाती है। इन्डियन शुगर मिल की रिपोर्ट आई। उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी श्री के० एन० पसरीचा की अध्यक्षता में। उनकी रिपोर्ट है कि अपने यहां गन्ने की पैदावार अस्थिर है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि इसको स्थिर बनाने के लिये जो कच्चा माल है उसका प्रोत्साहन मूल्य देना चाहिये। जैसे कि केन्द्र में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है उसी तरह से हमारे यहां एक कमेटी बनाई जाय जिसमें कृषि विशेषज्ञ, खेती करने वाले हों, वह कमेटी गन्ने का तथा कच्चे माल का मूल्य तय करें ताकि हर किसान को उसके कच्चे माल का सही मूल्य मिल सके।

मैं जरवल मिल के बारे में कहूंगा। इन सात चीजों में से एक की भी कमी रह जाये तो व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती है और वह उद्योग पनप नहीं सकता है। जरवल मिल में मैनेजमेंट की व्यवस्था खराब हुई तो दो लाख क्विन्टल गन्ना खड़ा है जिसका मूल्य किसानों के लिये साढ़े सत्ताइस लाख रुपये हुआ, सरकार के लिये १६ लाख रुपये हुआ और मजदूरों के लिये ३ लाख रुपये हुआ यानी इतने रुपये का नुकसान हुआ। गन्ना खड़ा है और मिल बन्द हो गई। रिसीवर जिसके लिये मैंने निवेदन किया था कि वह अनुभवहीन है उसको हटा दिया जाये। लेकिन वह नहीं हटाया गया। पारसाल इस फैक्टरी की रिकवरी ८.२ थी और इस साल ८.६ है। इसका नतीजा यह हुआ कि ३१०० बोरी चीनी ज्यादा बनी। पिछली साल इस मिल पर साढ़े छै लाख बकाया था जो इस साल २० लाख हो गया है और कुल बकाया १,५८,००,००० है रिसीवर के गबन के कारण २० लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामनारायण पाठक (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मन्त्री जी ने जो बजट का प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किसी देश और प्रदेश की कितनी साख है कितनी मजबूती है इस को आंकने के लिये आवश्यक है कि उस देश में कितनी बिजली पैदा होती है कितना लोहा पैदा होता है और कितनी छोटी बड़ी मशीनें तैयार की जाती हैं।

(इस समय ३ बजकर ४८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू का अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि उन्होंने बेसिक इन्डस्ट्री को जो रूप दिया और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कार्य-रूप में परिणित करने का प्रयत्न किया है उससे हमारे देश का सिर ऊंचा हुआ है मान्यवर, प्रदेश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है मैं इस सम्बन्ध में अपने विरोधी दल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाकिस्तान की लड़ाई में अनेकों पैटन टैंक तोड़े गये थे वे हमारे प्रदेश के बने हुए हथियार थे वे हमारे यहां के बने हुए हवाई जहाज के द्वारा भेजे गये थे। इतना ही नहीं बंगला देश की लड़ाई के समय जितनी मुक्तिवाहिनी की आवश्यकता हुई उतनी मुक्तिवाहिनी भेजी गई। इन सब का श्रेय केवल उत्तर प्रदेश को ही था।

इस प्रदेश में कितना डेवलपमेंट हुआ है अगर विरोधी दल के माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं—चाहे गाजियाबाद हो, नैनी हो, कानपुर हो या छोटा सा उन्नाव ही हो आप जाकर देखें कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। मान्यवर, अभी एक माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य ने कहा था कि कानपुर में कल कारखाने ज्यादा लग रहे हैं मैं उन माननीय सदस्य को साफ बताना चाहता हूं कि जो वहां पर डेवलपमेंट का कारखाना लगाना है, वह कारखाना शहर से १०-१२ मील की दूरी पर इन्डस्ट्रियल स्टेट बनाये गये हैं, वहां पर वह कारखाना लगाना है, ताकि वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी न होने पाये।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि छोटे-छोटे कल कारखानों को खोलने के लिये ऋण दिया जाय, उन लोगों को बिजली दी जाय। मान्यवर, बिजली के न मिलने से जो नवजवान ग्रेजुएट इंजीनियर्स सामान बनाते, बिजली नहीं मिली, लोन से वे सब अपना काम कर रहे थे लोन का उन्हें इन्टरेस्ट भी पड़ता है, तो मेरा निवेदन है कि बिजली के न मिलने के कारण जो वे इन्जीनियर्स लोग काम नहीं कर सके हैं, उनका इन्टरेस्ट माफ करने की कृपा करें।

मान्यवर, पावर की कमी है यह सही है, परन्तु पहले की अपेक्षा पावर बढ़ा है। यह इस बात का प्रमाण है कि बिजली की मांग जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, यह साबित करता है कि प्रदेश में डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, इसीलिये लोगों को बिजली की ज्यादा आश्यकता पड़ रही है। बड़े-बड़े उद्योगों की बिजली की कटौती हुई है। उसके लिये मैं माननीय तिवारी जी और माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जो प्रदेश में आज डेवलपमेंट का काम हो रहा है मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वह प्रगति और बढ़ती रहेगी।

प्रदेश में चीनी मिलों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। प्रदेश के जिन जिलों में चीनी मिलें हैं वहां पर कलकत्ते और बम्बई के साहूकारों ने कारखाने बनाये और वहां की आमदनी को वह अपने घर लेते गये। कलकत्ते और बम्बई के उस जिले में उसकी जो आमदनी है, वह वहां के डेवलपमेंट में नहीं लगाया जाता है, यह प्रदेश के बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मान्यवर, सड़कों की तरफ में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश की सड़कें अगर अच्छी हो जाती हैं, तो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रिकल्चरल डेवलपमेंट दोनों पर उसका असर पड़ेगा।

सेल्स टैक्स के बारे में मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जो सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स की बात सोची है। मान्यवर, हमारे यहां जो लाइसेंस दिये जा रहे हैं उन कारखानों के लिये, चाहे छोटे हों या बड़े, उन लाइसेंसीज के लिये रा-मैटेरियल या बिजली या जिन-जिन चीजों की उन्हें आवश्यकता हो, वे सब चीजें उन्हें उपलब्ध होनी चाहियें ताकि वे अपने कारखाने चला कर प्रोडक्शन का काम शुरू कर दें। मैं मान्यवर, यह महसूस करता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट बहुत से कारखाने बहुत से प्रदेशों में खोल रही है। हमारे प्रदेश से इस तरह का सम्बन्ध होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

समाप्त करें।

श्री राम नारायण पाठक---

आशा है कि माननीय मन्त्री जी मेरे इन सुझावों पर अवश्य ही ध्यान देंगे।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मन्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अभी तक आपकी सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि उद्योग किस लिये और किसके द्वारा और कहां हो। मेरा ख्याल है आपने इस बुनियादी बात पर विचार नहीं किया है। उद्योग किसलिये हो, देश में पूंजी निर्माण हो और लोगों को रोजगार मिले। किसके द्वारा हो, आपकी मिक्स्ड इकोनामी है, पूरा राष्ट्रीयकरण हो तो राष्ट्रीयकृत उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया जाये। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर किस के हाथ में रहे और कहां रहे।

क्या यह बात सही नहीं है कि अपने देश में पूंजी की कमी है, और आदमी अधिक है, मजदूर अधिक हैं। क्या कभी इस पर विचार किया गया कि उद्योग किस तरह से चलने चाहिये। मेरा आरोप है कि इस सरकार ने बुनियादी बात पर विचार नहीं किया है। यह हो सकता है माननीय तिवारी जी ने कभी इधर बैठकर विचार किया हो लेकिन उधर जाकर उसको भूल गये। तो मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि बुनियादी बातों पर विचार करें। यह बुनियादी गलती है। मैं आप पर लांछन नहीं लगाता।

कई माननीय सदस्यों ने बताया मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन आप कोई भी उद्योग देख लीजिये। जिन उद्योगों में काम मिले उन उद्योगों को लगाना चाहिये। उनमें एफीसियन्सी होनी चाहिये, लेकिन उनमें एफीसियन्सी है नहीं। उनमें जो क्षमता होनी चाहिये वह नहीं है। अगर आप छोटे-छोटे उद्योग लगा देंगे तो घस और चन्दा नहीं मिलेगा। बड़े पूंजीपतियों से चन्दा मिलता है। यही है आप का रोग। जब तक आपका यह रोग दूर नहीं होगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। इसीलिये मैं कहता हूं कि आप एकबार इस पर विचार करें कि देश में उद्योगों को किस तरह से लगाया जाए। आपने गांधी जी की बात ही मानी होती और उसके साथ ही साथ लोहिया की बात मानी होती तो देश में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के साथ स्माल टेकनीक, नये तरीके से उद्योग स्थापित किए होते।

जापान ने और दूसरे देशों ने जो पद्धतियां अपनायी हैं उनको और भी देशों ने अपनाया है। आपको उन पर विचार करना था अगर आप विचार किये होते तो स्माल टेकनीक मशीन का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ होता। और फिर यह कहते हैं कि हम इतनी चीनी मिलें खोल रहे हैं। आप एक व्यापक नक्शा खींच देते हैं कि इतने लाइसेन्स दिए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप का परफारमेंस क्या है। क्या आपने जितने लाइसेन्स लिये और दिये प्राइवेट उद्योगों को और जिन जिन की पिछले चुनाव के समय हमारी प्रधान मन्त्री जी ने शिलान्यास की, उन सब चीजों का आप परफारमेंस देखेंगे तो आपको अपना चेहरा उस आइने में स्पष्ट दिखाई देगा।

मान्यवर, हमारे जिले गोरखपुर में लगातार कई वर्षों से यह मांग की जाती रही है कि वहां पर एक कागज का कारखाना खुलवा दिया जाय लेकिन आप नहीं खोल सके। आप उस आवश्यकता की पूर्ति कर सकते थे लेकिन कारण क्या है कि आप उसे नहीं कर सके। आपके कई प्रश्न, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इसमें आ जाते हैं। और उसी का कारण है कि आपके प्रदेश का उद्योगीकरण नहीं हो सकता है। किसके द्वारा उद्योगीकरण में आपके समक्ष कई प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। आपने कोआपरेटिव सेक्टर में कुछ

उद्योग खोले। आज उन मिलों की स्थिति क्या है? यही हालत आपके निगमों की है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने सदन में बताया।

मान्यवर, चाहे सीमेंट का उद्योग हो, या कोई उद्योग हो, सब में यही हालत है। मैं डाला गया था। मैंने देखा कि वहां पर एक मशीन कई वर्षों से खरीद कर रखी हुई है। वर्कशाप बनी हुई है लेकिन फिर भी उसका उपयोग न करके बाहर से काम कराया जाता है चूंकि बाहर से आपको पैसा मिल सकता है, चन्दा मिल सकता है और घूस मिल सकती है। वह मशीन खाली पड़ी हुई है। अगर उसमें कोई पुर्जा खराब हो गया तो वर्षों तक उसे ठीक नहीं कराया जाता है। बाहर काम कराया जाता है और उससे फायदा उठाया जाता है। यही हालत आपके परिवहन निगम की है। इसके अलावा और भी जितने आपके निगम हैं, आपका दिमाग उन सारी चीजों की ओर नहीं जाता है या जो यहां पर कहा जाता है, उसको भी आपकी ओर से नजरअन्दाज किया जाता है। विरोधी लोग जो यहां पर आपकी सरकार की कमी की आलोचना करते हैं, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस खामी को दूर करने में भी आपका ज्यादा फायदा है और विरोधियों का कम।

आपने अभी कहा कि लाइसेन्स ऐसे प्राप्त किये हैं कि २५० करोड़ रुपया लगाकर आप उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप हमारे सामने आयेंगे तो कहेंगे कि बिजली नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है। फिर कहेंगे कि हम उन उद्योगों पर ज्यादा बल देंगे जिनमें बिजली कम लगती है लेकिन जब आपको यह सजेशन दिया जायगा तो बहुत से मित्र कहेंगे कि आप छोटे उद्योगों को प्रश्रय देना चाहते हैं क्योंकि हम राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो आप बीच में आ जायेंगे।

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण आप आज तक नहीं कर सके और ऐसा करने की आपमें हिम्मत नहीं है। हिम्मत के साथ-साथ आपकी स्थिति भी नहीं है कि आप राष्ट्रीयकरण कर सकें क्योंकि जब आप चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे तो सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने यह आयेगा कि सरकार के द्वारा इनको कैसे चलाया जाय। एक ही चीनी मिल को जब आप लेते हैं तो आपकी परेशानी खड़ी हो जाती है और चूंकि आपका मन साफ नहीं है इसलिये स्थिति भी साफ नहीं है।

इन्डस्ट्रियल सेक्टर जहां आपके कायम होते हैं, वहां पर आपको छोटे-छोटे उद्योगों को भी स्थान देना है। मैं चाहता हूं कि इसका विस्तार गांवों में होना चाहिये। जो बहुत ही छोटे उद्योग हैं, उनको किसी एक ही स्थान पर न लगाया जाना चाहिये। किसी औद्योगिक बस्ती में न लगा कर छोटे-छोटे स्थानों पर लगा कर और उनकी बनी हुई वस्तुयें बड़े कारखानों में लाकर उनको असेम्बिल करें। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं जिससे आपको फायदा हो सकता है। आपके बहुत से उद्योग बिजली न होने के कारण ठप्प हो गये हैं। जैसे कानपुर में आर्क फर्नेस न जाने कितने दिनों से बन्द हैं और उससे सम्बन्धित न जाने कितने और उद्योग बन्द हो गये हैं। तो अगर एक उद्योग को बिजली न देने के कारण कई और उद्योग बन्द होने वाले हों तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ संगठन कांग्रेस के नेता ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री मुहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भारी उद्योग के अनुदान पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मान्यवर, जो अनुदान माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा इस सरकार को, खासतौर से माननीय भारी उद्योग मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने १९७५-७६ के बजट में जो नयी चीनी मिलों को खोलने की घोषणा की है तो जल्द से जल्द वह फैक्टरियां खोली जायं ताकि आज जो किसान परेशान हैं कशरों के वजह से जहां से उसको गन्ने का सही मूल्य नहीं मिलता मिलों से तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की एक ऐसी फैक्टरी की ओर ले जाना चाहता हूं जिसे सरकार ने ८ अक्तूबर, १९६९ को टेक-ओवर किया था। उस समय उस फैक्टरी पर ६६ लाख ६१ हजार रुपये बकाया थे। लेकिन ७ वर्ष गुजरने के बाद जब हमने पता किया तो मालूम हुआ कि २ करोड़ ४० लाख रुपया अब उस फैक्टरी पर बकाया है। जब उस फैक्टरी को सरकार ने टेक-ओवर किया था तो १८ लाख १२ हजार रुपया किसानों को गन्ने का मूल्य बाकी था। लेकिन आज ७ वर्ष बीत जाने के बाद भी १० लाख ४३ हजार रुपया किसानों का गन्ने के मूल्य का बकाया है। इस फैक्टरी में जो कुन्दन शुगर फैक्टरी के नाम से कहलाती है, कुछ अनियमिततायें हैं जिनकी वजह से यह फैक्टरी नुकसान में जाती रही है। चूंकि फैक्टरी में जो टैक्निकल लोग हैं वे सब एक ही परिवार के हैं या फिर एक ही जगह के रहने वाले हैं, वह चाहे चीफ इन्जीनियर हों या इन्जीनियर हों या दुसरे टेक्निकल लोग हों। वह लोग चूंकि बाहर के रहने वाले हैं इसलिये फैक्टरी को लूट कर जितना फायदा वह उठा सकते हैं वह उठा रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बातें आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं। फैक्टरी में जो काम करने वाले लोग हैं वे बिना काम किये हुए ही हर साल लाखों रुपया ओवर टाइम का वसूल कर लेते हैं जिसके कारण फैक्टरी को घाटा होता है। इसके अलावा फैक्टरी में मरम्मत के नाम पर चीफ इन्जीनियर के माध्यम से जो माल खरीदा जाता है उसमें उनका कमीशन बंधा रहता है। पिछले दो वर्षों में मरम्मत के लिये लगभग १० लाख रुपये का यह सामान आया है। इसमें कुछ सामान कुछ दिनों के बाद कन्डेम कह कर नीलाम कर दिया गया, और फिर उसी नीलाम किये हुये सामान को भी अपने आदमियों के द्वारा खरीद लिया जाता है और उसी सामान को दूसरे दूकानदारों द्वारा खरीद लिया जाता है। इस प्रकार की गड़बड़ी इन मिलों में चला करती है। इसी मिल में चीफ इन्जीनियर महोदय ने अपने दामाद को इन्जीनियर बनाकर रख लिया और उस समय के मौजूदा इन्जीनियर को निकाल दिया। उस इन्जीनियर ने अदालत में मुकदमा दायर किया, अदालत से मिल पर ५० हजार की डिग्री कर दी थी जिसकी फैक्टरी ने अपील कर दी है, मगर मेरा ऐसा अनुमान है कि और ज्यादा रुपये की डिग्री फैक्टरी पर हो जाएगी। इस कारण भी इस मिल में घाटा उठाना पड़ेगा। कारण और भी हैं परन्तु समय न होने की वजह से इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त––

अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि उद्योग अनुदान में कटौती रखने का प्रस्ताव कोई प्रसन्नता की बात नहीं है, लेकिन मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आखिर क्या उत्तर मैं दे पाऊंगा जब उधर से कुछ दलीलें आयेंगी। कुछ भाषण आपके भी सामने हुये हैं, सभी में, मेरे कहने में और उधर के कहने में कोई खास अन्तर नहीं था। उधर से भी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिये कहा गया, यही बात इधर से भी कही गयी। एक माननीय सदस्य ने उस मिल पर बताया कि पहले ६६ लाख रुपया बकाया था, वह अब बढ़कर २ करोड़ हो गया, मैं समझता हूं उसमें सूद अगर जोड़ दिया जाये आजकल के रेट से तो वह करीब ६–७ करोड़ हो जायेगा।

एक सदस्य––

मैं माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––

आप उनसे स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, कृपया बैठें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त––

मेरे मित्र, माननीय रामायण राय जी ने कहा था, उस समय आप यहां उपस्थित नहीं थे माननीय उपाध्यक्ष जी थे, कि यह तो पुराना कूड़ा है जिसे हम साफ कर रहे हैं और कुछ मेरे लिये खासतौर से कहा कि जब मैं मन्त्री था तो मैंने यह कहा, मैं आपके द्वारा उनको केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि यदि मैंने कोई पाप किया है तो उसके भागीदार आज के मन्त्री भी हैं। वैसे मैं नहीं समझता कि मैंने कोई पाप किया था और न यही समझता हूं कि इस समय किया जा रहा है। केवल नीति का फर्क है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह सकता हूं और माननीय मंत्री जी की मंशा में भी मुझे कोई शक नहीं। मैं समझता हूं कि औद्योगिक विभाग की कोई नीति नहीं बन पायी है। न तो आप प्राईवेट सेक्टर की मदद करते हैं, न पब्लिक सेक्टर की मदद करते हैं और न ज्वाइन्ट सेक्टर की मदद करते हैं। हैफ जार्ड वे में––बिना सोचे समझे जो चीज सामने आयेगी उसे कर डाला। और उसी का नतीजा आज वे भुगत रहे हैं।

मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को क्या आबादी के हिसाब से, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से भारत सरकार से कच्चा माल उपलब्ध होता है? माननीय मन्त्री जी का उत्तर मुझे लगता है कि नहीं। यही उत्तर अक्सर दिया जाता है। उद्योग के मामले में बिजली प्राप्त करने के सिलसिले में भी यही उत्तर मिलता है कि नहीं। अभी ७ तारीख को एक सवाल के उत्तर में माननीय वित्त मन्त्री जी ने उत्तर दिया था कि ५ चीनी मिलें जो सरकार द्वारा ली गयीं हैं या जो चीनी मिल इनके अलावा आफिसरों द्वारा चलायी जा रही हैं, एकाध को छोड़ कर उनमें लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान टोटल हो चुका है।

[श्री शिव प्रसाद गुप्त]

हमारे माननीय रामायण राय जी ने कहा कि यह पुराना कूड़ा ही चला आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने बार-बार वादा नहीं किया था, आपके बड़े-बड़े नेताओं ने वादा नहीं किया था कि इस देश से गरीबी को मिटा देंगे ? क्या गरीबी हट गयी ? केवल नारे लगाने से गरीबी नहीं मिटेगी और न उत्पादन बढ़ेगा। आपने बेरोजगारी मिटाने की बात कही थी, लेकिन बेरोजगारी नहीं मिट सकी। आप जब उत्पादन बढ़ायेंगे तभी बेरोजगारी मिटेगी। एक मोटा अन्दाजा है कि हैवी इन्डस्ट्रीज में करीब ५० हजार रुपया लगता है, तब एक आदमी को रोजगार मिलता है। यह सरकार के ही आंकड़े हैं कि साढ़े १४ करोड़ रुपया जिस उद्योग में लगा है उसमें ३,१०० मजदूर लगाने की ही क्षमता है। तो हैवी इन्डस्ट्रीज से बेरोजगारी मिटेगी नहीं।

बेरोजगारी मिटाने के लिये आपको लघु उद्योगों को बढ़ाना होगा। माननीय मन्त्री जी को चाहिये कि वे लघु उद्योगों को बढ़ा कर बेरोजगारी को कम करें। अगर आप यही कहते हैं कि यह पुराना कूड़ा है जिसे साफ करने की आप में हिम्मत नहीं है तो फिर वे यह स्थान खाली कर दें किसी दूसरे के लिये। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यहां की एक इन्जीनियरिंग फर्म को ५ साल के अन्दर ८० लाख रुपये के लाइसेंस दिये गये जिसको पोलिटिकल संरक्षण प्राप्त है। . . . . .

की काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

उन्होंने जो लाइन दी थी उसी लाइन पर चले जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

अगर आप उसी लाइन पर चले जा रहे हैं तो गलत चले जा रहे हैं। उस लाइन पर चल कर आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको चाहिये कि उस स्थान को दूसरे के लिये खाली कर दें। मैं तो कहता हूं कि इसकी जांच सी० बी० आई० करे कि किसने उस फर्म को क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दे दिया जिससे उस फर्म को इतने रुपये का लाइसेंस मिल गया। सरकार को चाहिये कि इसकी जांच करके उस व्यक्ति पर मुकदमा चलावे।

मान्यवर, कुछ दिन पहले, सरकार ने ऐलान किया था कि हम हाफ मिलियन जाब्स देंगे। मैं पूछता हूं कि कितने इन्जीनियर्स को रुपये मिले, कितने इन्जीनियर्स को बिजली मिली और कहां से बिजली मिली ? अगर बैंक से १६, १८ परसेंट रेट पर रुपया लेकर कोई उद्योग चलाना चाहे तो मेरा निवेदन है कि वह उद्योग कभी चल नहीं सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

अशोका मेटल वर्क्स को उन्होंने लाइसेंस दिया था जो कि इक्जिस्टेंस में ही नहीं थी।

श्री अध्यक्ष---

वह जवाब देंगे, आप तो जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब तो मन्त्री महोदय देंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं कह रहा था कि वही लाइन चल रही है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त––

जरा दिल थाम के बैठिये क्यों तकलीफ हो रही है ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)––

अशोका मेटल वर्क्स जो है, यह वह कारखाना है जिसको कि स्टेनलेस स्टील का कोटा दिया गया। औजार बनाना था, मशीन भी आगरे में नहीं थी। कोटा ब्लैक में बाम्बे में बिका।

श्री शिव प्रसाद गुप्त––

यह आपकी कारगुजारी है मेरी नहीं।

श्री अध्यक्ष––

यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। माननीय दौनेरिया जी आप सदन का अपमान करते हैं। यह नहीं, नहीं तो मैं विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दूंगा। ऐसे सवाल आपको नहीं उठाने चाहिये। वह जवाब दे रहे हैं, उन सवालों का जो सदन में उठे हैं। इनका जवाब, मन्त्री महोदय जवाब दे सकते हैं। आप इस लायक भी नहीं है कि आप उनकी मदद करें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)––

यही लोग तो गड़बड़ किया करते हैं।

(हंसी)

श्री शिव प्रसाद गुप्त––

यहां बहुत सारी बातें कही गयीं कि सरकार ने हजारों यूनिटों जिनको बोगस कोटा मिल रहा था, बन्द कर दिया। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डेवलपमेंट कमिश्नर ने, गवर्नमेंट आफ इन्डिया के पत्र की ओर। सन् १९७२ में डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को लिखा कि आपके यहां बहुत बोगस यूनिटें हैं। मैं दोबारा समस्त की जांच करना चाहता हूं। इसकी जांच कराइये तब आपको रा-मटीरियल का मैं एलाटमेंट करूंगा। यह जांच किस आधार पर हुयी ? कितनों पर मुकदमे चलाये ? क्या किसी ने रोका था, आपको बताना चाहिये था, आप चाहते तो चलाते ? मैंने पहले भी निवेदन कर दिया था, मैं नहीं कहता कि मन्त्री जी इन्डस्ट्रीज चलाना नहीं चाहते हैं, मन्त्री जी चलाना चाहते हैं, मन्त्री जी चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े। लेकिन श्रीमन्, यह कारपोरेशन बने हैं। १३–१४ की लिस्ट मेरे सामने हैं। २–४ और बन गये होंगे। कारपोरेशन बनाये हैं कि उत्पादन बढ़ेगा। देश की गरीबी घटेगी। इनको कर्जे लेने का आपने अख्तियार दिया है। एक दिन वह आयेगा, मैं मान्यवर, आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हिन्दी की एक छोटी कहावत है :––

केरा तबहि न चेतिया जब ढिग लागी बेर,
अबके चेते का भयो जब कांटन लीनो घेर।

तो जिस तरह से केला बेर के पेड़ के पास अगर होता है और जब हवा चलती है तो उसके पत्ते फटते हैं। तब वह कहता है कि मैं यहां क्यों लगा। इसी तरह से

[श्री शिव प्रसाद गुप्त]

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि निगमों में अफसर, चेयरमैन का पद पोलीटिकल परसनल को न देकर उनको योग्य आदमी दें। योग्य तरीके से उनको चलायें, उनको अनाथालय मत बनायें। आपने एक आदमी को ६-६ कम्पनियां दे दी हैं। कैसे वह चलायेगा। आप एक कारपोरेशन में एक आदमी रखें। उनकी तनज्जुली और तरक्की के लिये एक आदमी को एक दें। इसी आधार पर लीजिये तब तो कुछ उत्पादन हो सकता है, तरक्की हो सकती है, केवल कारपोरेशन बना देने से तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की होगी उसका काम ठीक चलाने से।

अभी माननीय सदस्यों ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूं कि बनस्पति के लगभग २०० कारखानों में से लगभग १०० बन्द पड़े हैं। क्या कारण है कि उत्पादन नहीं हो रहा है आपने भाव ६ रुपये से साढ़े बारह रुपये कर दिया बड़ी भारी तरक्की कर दी। आप कहते हैं कि हमने बड़ी भारी तरक्की की है। मैं कहता हूं कि तरक्की जो २५ सालों में हुयी है उसको आप रोकना चाहते तो भी वह रुक नहीं सकती थी, आपकी हिम्मत नहीं थी रोकने की। पब्लिक सेक्टर की बात की, बतायें किस पब्लिक सेक्टर की इन्डस्ट्रीज में आपने तरक्की की है। कितने उद्योग लगाये हैं। श्री तिवारी जी का भाषण इसी सदन में हुआ था कि लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। यदि नुकसान हो रहा है तो आप उस पद्धति को क्यों नहीं बदलते हैं। श्रीमन्, यह सर्किल बना लिया है कि बिजली होगी नहीं और उद्योग लगेंगे नहीं। पहले उत्साह देंगे कि हमारे यहां कारखाने लगाओ और हम रुपया देंगे। अब इस सरकार के पास न बिजली है और न पैसा है। इसलिये मन्त्री जी को कहना पड़ेगा कि साल-दो साल ठहरें जब कहीं हिस्सा मिलेगा। भारत सरकार से कच्चा माल मांगते हैं लेकिन वह भी पूरा नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता है। तो वहां भी कांग्रेस की सरकार है, आपकी सरकार है तो अब क्यों पूरा कच्चा माल और पैसा नहीं मिलता है।

मान्यवर, मैं आगरा जिले से आता हूं। वहां ढलाई का एक कारखाना है, टेस्टिंग मशीन लगाने का कारखाना है, लेकिन टेस्टिंग मशीन अभी तक वहां नहीं लगा पाये है। इलेक्ट्रानिक्स का इन्डस्ट्रियल स्टेट बनाने की बात थी लेकिन वह भी नहीं हुआ। मैं मन्त्री जी से एक बात सुझाव के तौर पर कहूंगा कि उन्होंने जो धन देने का यह माप दन्ड बना रखा है कि अमुक जिला पिछड़ा है उसको इतना देंगे और अमुक जिला पिछड़ा नहीं है उसको इतना देंगे। तो यह कहना गलत है। १०-५ जिलों को छोड़कर जो पिछड़े हैं, बाकी हर जिले का कुछ न कुछ ऐसा हिस्सा होता है जिसको तरक्की करने की जरूरत होती है। इसलिये यह कहना कि यह पिछड़ा है इतना देंगे और यह नहीं पिछड़ा है उसको नहीं देंगे, यह गलत है। आगरा जिले में फतिहाबाद और खेरागढ़, जो कि दक्षिणी भाग है, वह डाकुओं का क्षेत्र है। इसलिये यदि वहां कोई बड़ी इन्डस्ट्री लग जाय तो बड़ी तरक्की हो सकती है। आगरा का बहुत सा भाग पिछड़ा है और वहां सड़कें नहीं हैं। शहर में ही उद्योग लगवायें यह गलत है। इसलिये निवेदन है कि औद्योगिक नीति एरिया और क्षेत्र के अनुसार बनायें और उसी के अनुसार सहायता दें। इसके लिये आप दुबारा सर्वे करवायें कि कौन जिला पिछड़ा है, उसका कौन सा हिस्सा पीछे है जिसको साधन देना है जिससे जिले का विकास हो और देश खुशहाल हो।

मान्यवर, आज लाखों ग्रेजुएट बेकार घूम रहे हैं। बड़े-बड़े इन्जीनियर बाहर चले जाते हैं और वह लौटने का नाम नहीं लेते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है। इसलिये कोई न कोई दोष है। इसलिये सरकार की ऐसी औद्योगिक नीति होनी चाहिये कि जिससे काम मिले और बेरोजगारी मिटे।

मान्यवर, मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इक्सपोर्ट कारपोरेशन बनाया है, ट्यूबवेल कारपोरेशन बनाया है जिससे आप औद्योगिक उन्नति करना चाहते हैं। तो मेरा कहना है कि इससे उन्नति नहीं हो सकती है। १९७३-७४ में ५० हजार रुपये का एक्सपोर्ट किया गया। लेकिन ८० हजार रुपये उस कारपोरेशन के इन्तजाम में शायद खर्च किया गया होगा। तो आपने क्या एक्सपोर्ट कारपोरेशन बनाया है। मैं कहता हूं कि कोई भी कारपोरेशन आप बनाते हैं, उसको ठीक से चलाइये, उन्नति दिखाइये, एक्सपोर्ट कीजिये। हम सभी लोग सहयोग देने को तैयार हैं। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, अनुदानों में विवाद का स्तर विषय के महत्व के लगभग अनुकूल ही रहा। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। चाहे हमारे पक्ष के हों, या विरोधी पक्ष के हों, कि उन्होंने बहुत रचनात्मक सुझाव विषय के जो बुनियादी तत्व थे, उनके विषय में दिये। यह अवश्य है कि बहुत सी बातें जो विरोधी पक्ष के लोगों ने अपने पक्ष के प्रसंग में करनी चाहीं, उनको विशेष तीव्रता के साथ प्रस्तुत किया। लेकिन मुझे उसके लिये विशेष शिकायत नहीं। फिर भी जो माननीय सदस्य, गोरखपुर, श्री दिघे जी ने उद्योगों के बारे में बात कही, उसके बारें में कहना चाहूंगा कि 'उद्योग क्यों', यह बड़ा पुराना प्रश्न रहा है। सर्वप्रथम मानव ने भी यही प्रश्न किया। बहुत से विरोधी पक्ष के नेताओं ने राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया और प्राइवेट सेक्टरों की आलोचना की। जनसंघ के माननीय सदस्यों का और भारतीय लोकदल के माननीय सदस्यों का जो समाजवादी विचाराधारा के पोषक रहे हैं, ऐसा कहना स्वाभाविक ही है। मुझे विश्वास है कि कितने बल पूर्वक वे यहां बातें करते हैं अगर अपनी पार्टी की नीति को बदलने में वही प्रयास करें, तो देश और प्रदेश का अधिक कल्याण होगा। हमारी जो औद्योगिक नीति है, उसके बारे में क्या चर्चा करूं, लेकिन जो आपकी औद्योगिक नीति है--भारी उद्योग के बारे में क्या है, राष्ट्रीयकरण के बारे में क्या है? अगर उसको देखें, तो स्पष्ट होगा कि उसको बदलने की जरूरत है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

आप अपनी औद्योगिक नीति के बारे में कहें, हम लोग क्या करेंगे, उसकी चिन्ता न करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, भारी उद्योग का अपने से ही कोई अस्तित्व नहीं। गृह उद्योग कुटीर उद्योग, इन सबसे उसका सम्बन्ध जुड़ा है। बिना भारी उद्योगों के लघु उद्योग नहीं चल सकते। नेता, संगठन कांग्रेस दल ने अपने भाषण में यह बात कही। श्रीमन, हमारे यहां जितनी सीमेंट और फौलाद पैदा होती है, हमारे यहां जितने भारी उद्योग और रिफाइनरीज हैं, वह भी हमारे लिये कम पड़ रही हैं। सारे संसार में जो बड़े-बड़े देश हैं, वहां भी भारी उद्योग आज कम पड़ रहे हैं। रोजाना रिसर्च हो रही है। नयी-नयी औद्योगिक समितियां निकल रही हैं। आज जिस इन्डियन टेकनिकल को हम नयी समझते हैं, कल वही पुरानी हो जाती है। आज यह विचार हो रहा है कि रेलवे लाइन बिना पटरियों के हों। और हो सकता है कि २० साल बाद पटरियां नहीं रहेंगी और ३०० मील की रफ्तार से रेलगाड़ी चलेगी। आज यह भी सोच रहे हैं कि २० साल के अन्दर गांवों में छोटे-छोटे किलोवाट के ट्रान्सफारमर घरों की छतों में लगा दिये जायेंगे, और उससे काम चलेगा। हम कोई भी आधुनिक चीज साधनों के बाहर तो नहीं कर सकते, लेकिन आधुनिकता न रहे, तो पुरानी और घिसी-पिटी बातों से लाभ नहीं हो सकता। एक तरफ हमें व्यवहारिक साधनों का ध्यान रखना होगा, और दूसरी तरफ जो गवेषणा, रिसर्च, नयी-नयी टेकनोलोजी के बारे में साइंस में हो रही है, उसके बारे में भी सावधान रहना पड़ेगा।

मैं इस प्रसंग में जो कुछ सुझाव यहां आये हैं उनका स्वागत करता हूं। हमको रिसर्च करना चाहिये ताकि चीनी उद्योग के सीजन को बढ़ा सकें और राब का हम उद्योगों में इस्तेमाल कर सकें। यह सुझाव हम नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट को भेज देंगे और हम उनसे आग्रह करेंगे कि वह इस पर रिपोर्ट दें कि किस तरह के हम शुगर मिल्स के सीजन को बढ़ा सकते हैं। चुकन्दर की खेती की बात कही गयी ताकि शुगर मिलों को गन्ने के बाद भी हम चला सकें। इस पर हम भारत सरकार से परामर्श कर रहे हैं।

यह प्रश्न आया कि कारपोरेशन्स क्यों बनाये जा रहे हैं? बड़ा दुःख वह आश्चर्य इसमें हुआ कि यह बात उन माननीय सदस्य ने कही जो स्वयं शासन में रह चुके हैं। यू० पी० फायनेन्शियल कारपोरेशन तथा यू० पी० इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन आज का नहीं बना है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

मैंने यह नहीं कहा कि कारपोरेशन्स क्यों बनाये गये? मैं जानता हूं कि कारपोरेशन्स बनाने में पैसा मिलने की सुविधा उद्योगों को हो जाती है, लेकिन मेरा कहना है कि उनमें टेक्नोक्रेटस रखिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यू० पी० स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशंस, यू० पी० इण्डस्ट्रियल फायनेन्स कारपोरेशन, यू० पी० इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन ये तीन चार कारपोरेशन्स पहले से बने हुये हैं। यह फायनेन्शियल कारपोरेशन इसलिये बना है कि चूंकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया से इसको रिफायनेन्स मिलता है। अगर दो करोड़ रुपया मान लीजिये किसी योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के ऋण के लिये चाहिये तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया वह रुपया मिनिमम सूद पर रिफायनेन्स कर देता है। सरकार पर उस का बोझा नहीं पड़ता। इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन अपना ऋण जारी कर सकता है, डिबेन्चर्स जारी कर सकता है।

इससे प्रदेश पर टैक्स का मनों बोझा कम पड़ेगा और वह कारपोरेशन इस प्रकार से दूसरे बैंक्स से, एल० आई० सी० से अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से रुपया ले सकता है। इसलिये कारपोरेशन्स बनाये जाते हैं। कारपोरेशन अपने में साध्य नहीं होते। ये साधन हैं साध्य तक पहुंचने के लिये। मैं यह नहीं कहता कि हर जगह कारपोरेशन्स बना दिये जायं।

मैनेजेरियल कैडर बनाने की बात कही गयी। यह बड़ा मुश्किल प्रश्न है। आई० ए० एस० इसलिये नहीं रखे गये चूंकि आई० ए० एस० रखने हैं। माननीय सदस्य, आगरा जानते होंगे कि लेदर कारपोरेशन बना तो उसके लिये टेक्नोक्रेट रखा गया। उसके लिये तामिलनाडु में ४–६ साल काम का अनुभव यादव जी को था, उसके वह एक्सपर्ट थे उनको रखा गया। इसी तरह से इलेक्ट्रोनिक्स के एक्सपर्ट श्री राय थे जो जापान से आये थे उनको हमने ढूंढ़ा और उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। इसी तरह से यू० पी० टेक्सटाइल कारपोरेशन का चेयरमैन, श्री शर्मा को बनाया था जो टेक्सटाइल की जानकारी रखने वालों में इने-गिने लोगों में हैं और टेक्सटाइल के एक्सपर्ट हैं। इस तरह से जहां-जहां एक्सपर्ट्स हमको मिलते हैं किसी भी फील्ड में उनको हम मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा चेयरमैन बनाते हैं।

कारपोरेशन्स की ऐसी बुरी हालत नहीं है कि उनको घाटा ही घाटा हो रहा है। १९७३-७४ के आंकड़ों से माननीय सदस्यों को ज्ञात हो सकेगा कि टेक्सटाइल कारपोरेशन को ७८ लाख ६८ हजार रुपये का लाभ हुआ। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को ४८ लाख ८१ हजार रुपये का, फायनेन्शियल कारपोरेशन को ५२ लाख २४ हजार तथा पिकअप को १४ लाख ५२ हजार का नुकसान हुआ तथा इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन को ६० लाख २० हजार का लाभ हुआ। माननीय सदस्यों के पास १९७३–७४ के ये आंकड़े पुस्तिका में देख सकते हैं जो उनके पास हैं।

श्री मधुकर दिघे—

फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशंस का लाभ, लाभ नहीं कहलाता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपके लिये नहीं कह रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों ने कहा है, उनके लिये कह रहा हूं। हमारा दृष्टिकोण यह नहीं होना चाहिये कि पब्लिक सेक्टर कारपोरेशन्स केवल लाभ हानि के लिये, या कमर्शियल बेसिस पर या महाजनी के तौर पर काम करें। हमारा उद्देश्य यह है कि अगर फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स में थोड़ा घाटा भी होता है और उससे देवरिया, बस्ती या गोरखपुर में कोई उद्योग खुल जाते हैं तो उसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये। अपने लक्ष्यों के अनुसार हमको काम करना है।

आज पिछड़े हुये क्षेत्रों को सब्सिडी देनी पड़ती है। स्माल स्केल कारपोरेशन लाखों की सब्सिडी देती है और उसने घाटा उठाया है जिससे हमारे विद्यार्थियों को कापियां मिल रही हैं। माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन कारपोरेशन का उल्लेख किया और कहा कि इस कारपोरेशन ने केवल ५० हजार का एक्सपोर्ट किया है। मैं आंकड़ों पर नहीं जाता लेकिन इससे ज्यादा उसने एक्सपोर्ट किया है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

एक्सपोर्ट प्रमोशन कारपोरेशन का काम केवल स्वयं एक्सपोर्ट करना नहीं है। वह एक्सपोर्ट कारपोरेशन नहीं है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कारपोरेशन है। हर साल भारत सरकार को एक्सपोर्ट पालिसी बनानी पड़ती है। मैंने देखा है कि अच्छे से अच्छे लोग एक्सपोर्ट पालिसी को नहीं जानते हैं। साधारण कार्पेट बनाने वाले लोग एक्सपोर्ट करना नहीं जानते हैं, कि कैसे वह अपने माल को एक्सपोर्ट करें, उसके लिये क्या-क्या सहूलियतें हैं, कैसे बन्दरगाह तक सामान जायेगा और कैसे यह सब होगा। उसको यह अन्दाज नहीं है कि कहां पर क्या-क्या ड्रा-बैक्स हैं। हमारा विचार है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कारपोरेशन जो हम चाहते हैं कि वह इन सब चीजों की हमें सहूलियत, जिनके पास नो-हाऊ नहीं है, जिनको इतनी जानकारी नहीं है कि इन्डोनेशिया और सऊदी अरबिया में किस चीज की डिमान्ड है, इसलिये जरूरी है कि हमारे पास एक गाइडेन्स बाडी हो जो यह बताये कि हमें क्या करना चाहिए।

कुछ तो बने बनाये ट्रेडिशनल लोग हैं जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, आदि जगहों पर, वे जानते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। मैन्युफैक्चरर उनके हाथ में खेलता है। हमारा इस एक्सपोर्ट प्रमोशन कारपोरेशन का काम छोटे-छोटे इन्टरप्रेन्योर्स के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ना है। उसका काम है कि वह यह देखें कि जो बड़े-बड़े लोग हैं वे सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। हमें खुशी है और हमारा विचार है कि हम डाइरेक्ट एक्सपोर्ट करें। इस वर्ष एक करोड़ का एक्सपोर्ट करना है। इसको एक्सपोर्ट हाउस के रूप में मान लिया गया है। मुझे आशा है कि भविष्य में इस मामले में हम आगे बढ़ सकेंगे।

माननीय सदस्य ने प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी का उल्लेख किया। यह सही है और मैं मानता हूं कि वह उत्पादन में कमी आ रही है। इसलिये जैसा कि मैंने पहले भी संकेत किया था, इस फैक्टरी का सम्बन्ध स्कूटर इंडिया लिमिटेड से जोड़ा गया है। इसका नाम यू० पी० इन्स्ट्रूमेंट कम्पनी लिमिटेड रखा गया है। यह स्कूटर की एन्सीलरीज बनायेगी। इस दृष्टिकोण से इसका गठन किया गया है। यू० पी० इन्स्ट्रूमेंट कम्पनी के रूप में यह ज्यादा अच्छा काम करेगी।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि हमारा एक ही अफसर बहुत सी कम्पनियों में डाइरेक्टर न हो। मैं इससे सहमत हूं। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले महीनों में एक ही अफसर कई जगह डाइरेक्टर न हो। कभी-कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है इसलिये क्योंकि वह अनुभवी होता है, उसको कोआर्डिनेशन करना होता है और सरकार का इन्टरेस्ट देखना होता है। गवर्नमेंट के उच्चाधिकारियों को ऐसी जगह पर रखना ज्यादा लाभदायक होता है। इस समय आज भी कोई बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है। जब सदन चल रहा है सरकारी व्यक्ति उसमें नहीं जा सकते हैं इसलिए मजबूरी है सरकारी अधिकारियों को डायरेक्टर रखना पड़ता है। लेकिन यह बात सही है कि एक ही सेक्रेटरी या एक ही डायरेक्टर १० जगह मेम्बर न हो। यह हमारा भविष्य में प्रयास रहेगा और अधिक से अधिक अधिकारी फैसला कर कार्य कर सकें।

दूसरी बात जो कही गई कोयले के बटवारे के बारे में, तो श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में करीब १० हजार वैगन प्रतिमाह की जरूरत है, अगर सारे उद्योग धन्धों को कोयला दिया जाय। तो हमें पिछले साल १९७३ में ५ हजार वैगन मिला फिर वह बढ़ कर ६,२०० वैगन हुआ और अब हाल में हमें ६५०० वैगन एलाट हुआ है डायरेक्टर, कोलमूवमेंट की ओर से। फिर भी यह कम है जो करीब ३० फीसदी कम पड़ता है, इसलिए निशालय ने कैपेसिटी कन्जम्पशन और परफामेन्स के आधार पर मांगा है। एक मास्टर लिस्ट बनाई है। नई यूनिट्स को जरूर कठिनाई हो रही है उसके लिये वैगन दिये जाने के लिये हम रेलवे से आग्रह कर रहे हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। विधान सभा में एक अलग से बैठक हो रही है, सामने एक बैठक चल रही है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, उधर सरकार टूट रही है, वह विरोध में आ रहे हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय रामायण राय जी और प्रभाकर जी ने अच्छा सुझाव दिया है कि हमें रा-मैटीरियल के बारे में केन्द्र से ज्यादा मांग करनी चाहिये। मैं उनसे सहमत हूं कि रा-मैटीरियल के आवंटन में हमें अधिक न्याय मिलना चाहिये। इसकी हम चेष्टा भी करते हैं। पैराफीनवैक्स के बारे में बताया गया तो उसमें कुछ सुधार है। रा-मैटीरियल के आवंटन में हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें मिलना चाहिये। मैंने विभाग से कहा है कि इम्पोर्टरों को जो कठिनाई होती है उसके लिये जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन कारपोरेशन है वह एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कारपोरेशन हो जाय तो अच्छा है। ऐसे छोटे लोग जो खुद इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं इम्पोर्ट पालिसी का ज्ञान न होने के कारण उनको यह मदद कर सके। इसलिये यह एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम करे, यह सुझाव हम दे रहे हैं।

श्रीमन्, इसके अलावा जो कुछ सुझाव आये हैं नान-एक्जिस्टिंग यूनिट्स के बारे में तो उसके लिये हमने नेशनल सर्वे वालों से अनुरोध किया है। हमने प्रदेश में जो ड्राइव चलाया है उसमें ९ हजार यूनिट्स को डि-रजिस्टर किया और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर श्री रजतकुमार घायल हुए। तो आज सारे देश में अभियान चल रहा है और इस प्रकार से डि-रजिस्टर किया जा रहा है। गम्भीरता से इस पर कार्यवाही की जा रही है। जो भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी होंगे उनको भी दन्ड देंगे। (व्यवधान)।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मैंने कहा कि कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। मैंने गाजियाबाद की एक फर्म की बात कही कि उसको १०८ वैगन मिला।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

आप लिख कर दें मैं उसकी जांच करवा लूंगा। रामायण राय जी ने सुझाव बहुत अच्छा दिया कि नये जेनरेटिंग सेटों के लिए डीजेल आयल मिलना चाहिए। इसका हमने प्रयास किया है, जितने भी नये जेनरेटिंग सेट्स लगाये हैं, उनके लिये डीजेल आयल प्राप्त करने की चेष्टा हो रही है। सत्य प्रकाश जी, माननीय सदस्य, बरेली ने सुझाव दिया कि प्रत्येक जिले का टेक्नो-एकोनामिक सर्वे होना चाहिए। इस बारे में हमने पिछले बार भी कहा था। इस सम्बन्ध में एक सर्वे था किन्तु वह १० साल पुराना था, अत: उसको फिर से कराया जा रहा है। हर जिले में यह सर्वे चल रहा है। इसके अलावा हर एक जिले में इन्डस्ट्रीज बढ़ाने के लिये और एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट-प्लान होनी चाहिए, यह सोच रहा हूं। मैंने हर जिले में बैंकों से यह आग्रह किया है कि क्रेडिट-प्लान बनाया जाय।

श्री मधुकर दिघे---

गोरखपुर मिल वाला एक्सपोर्ट खोला जाए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

उसमें तो, पिपराइच में ९५ लाख रुपया हमने खर्च किया है।

श्री बाबू लाल वर्मा---

चीनी मिलों के बारे में जो उन पर साढ़े १६ करोड़ का बकाया है और इस साल जो ५ करोड़ हो गया है इसके बारे में आपने कोई बात नहीं की, जबकि विदेशों में १० हजार रुपया टन इसका दाम हो गया है, आपने यह नहीं बताया कि यह सब पैसा कहां जा रहा है?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में लगभग एक मत से इस सदन में विचार व्यक्त किये गये हैं और इस सदन की जो भावनाएं हैं, उनका मैं आदर करता हूं। श्रीमन्, यह प्रश्न दो साल से, इस सदन में जब से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ था, केन्द्रीय सरकार के सामने विचाराधीन है। भार्गव कमीशन बना और भार्गव कमीशन की जो संस्तुतियां हैं, जैसा कि श्रीमन्, आपको मालूम है आधे आदमियों ने कहा कि इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और आधे ने कहा कि नहीं होना चाहिए। तो केन्द्रीय सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

एक सदस्य ने यह कहा कि केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने पार्लियामेंट में यह कहा कि हमने प्रदेशीय सरकारों को छूट दे दी है, वह चाहें तो चीनी मिलों को ले सकते हैं। यह मेरे पास भी बात आई, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में हमने भी पढ़ा था। हमने उसी दिन शाहनवाज खां जी को टेलीफोन मिलाया और उनसे बात की, उनसे उक्त आश्वासन के बारे में पूछा और बाद में उन्हें पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा यह गलत छप गया है, मैंने ऐसा नहीं कहा है, यह कहा है कि यदि किसी चीनी मिल पर काफी बकाया हो जाता है तो हमारी इजाजत से उसका टेक-ओवर हो सकता है, जैसा यू० पी० कर सकता है। तो यू० पी० में १७ मिलों को हमने पहले ही ले लिया है। इस वर्ष भी हमने पिपराइच मिल को नीलाम किया था, बरेली मिल में रिसीवर बैठाया, जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। तो तमाम मामले यहां चल रहे हैं। यह राष्ट्रीयकरण का विषय भी केन्द्र सरकार के निर्णयाधीन है। जैसे ही निर्णय होगा, उस पर उचित कदम उठाया जायगा। जो सदस्यों ने कहा कि यह अचानक होना चाहिए, यह चीज एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय हो मुझे विश्वास है सब ठीक ही होगा।

क्रेशरों के लाइसेंस के बारे में जो सुझाव आए मैं उनसे सहमत हूं। इसकी समय से घोषणा होना चाहिए। जो इस वर्ष नीति होगी, वह उसी के अनुरूप होगी। यह नहीं कि तीन महीने के अन्दर कारखाने खड़े कर दें। जो सुझाव हमारे माननीय सदस्य, शाहजहांपुर आदि ने दिये हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं फिर एक बार श्रीमन्, माननीय सदस्य, श्री गुप्त जी से आग्रह करूंगा कि वह कृपया कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और माननीय सदन मेरे अनुदान स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५३ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३–उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,४१,८१,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५५–खान तथा खनिज के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४६,४६,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २३ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २३–लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,९३,५२,२०० पये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ७४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७४--विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २१,२३,००,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ९० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९०--ऋण और अग्रिम-उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,४२,१२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत सब से महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमाओं के विषय में न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय के बारे में श्री मोहन लाल कपूर का वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। शेष अस्वीकृत हैं।

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१८ अप्रैल, १९७५।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७२ पर]

सांख्यकीय सेवा से लिये निर्धारित अर्हतायें व उन पदों पर जो नियुक्ति व पदोन्नति होती है, उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

राजपत्रित अधिकारी

१—संयुक्त निदेशक (वन सांख्यकीय)

नियुक्ति:—यह पद सितम्बर, १९७४ में स्वीकृत किया गया तथा इस पद पर नियुक्ति विभाग के मुख्य सांख्यकीय अधिकारी की, जो कि इस पद हेतु वांछित अर्हता रखते थे, तदर्थ आधार पर पदोन्नति करके, कर दी गयी है।

अर्हता—इस पद हेतु वांछित अर्हता निम्न हैं :—

(१) सांख्यकीय अथवा गणित सांख्यकीय में अच्छी स्नातकोत्तर डिग्री।

(२) आई० वी० ए० आर०, नई दिल्ली अथवा आई०एस०आई०, कलकत्ता में उच्च सांख्यकीय सिद्धान्तों (Advanced Statistical Theory) में कम से कम एक साल का प्रशिक्षण।

(३) फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऐन्ड कालेजेज, देहरादून अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वन प्रबन्ध तथा सिल्वीकल्चर में सांख्यकीय के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष ट्रेनिंग।

(४) सांख्यकीय सर्वे तथा फील्ड एक्सपेरिमेन्ट्स (Field Experiments) की रूप रेखा निश्चित करने में सांख्यकीय विधि के प्रयोग के सम्बन्ध में व्यवहारिक अनुभव (इस कार्य में कम से कम १० वर्ष के अनुभव को वरियता दी जायगी।)

२—सहायक निदेशक (वन सांख्यकीय)

नियुक्ति—यह पद सितम्बर, १९७४ में स्वीकृत किया गया तथा सांख्यकीय अधिकारियों में से सबको ज्येष्ठ सांख्यकीय अधिकारी की, जो कि इस पद हेतु वांछित अर्हता रखते थे, इस पद पर नियुक्ति कर दी गई है।

अर्हता—इस पद हेतु वांछित अर्हता निम्न है:—

(१) सांख्यकीय अथवा गणित सांख्यकीय में अच्छी स्नातकोत्तर डिग्री।

(२) सांख्यकीय सर्वे तथा फील्ड एक्सपेरीमेन्ट्स की रूपरेखा निश्चित करने में सांख्यकीय विधि के प्रयोग के सम्बन्ध में व्यवहारिक अनुभव (इस कार्य में कम से कम १० वर्ष के अनुभव को वरीयता दी जायगी।)

३—मुख्य सांख्यकीय अधिकारी

यह पद सितम्बर, १९७४ में समाप्त कर दिया गया है।

४—सांख्यकीय अधिकारी

नियुक्ति—लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। कभी-कभी कार्य चलाने हेतु सांख्यकीय सहायकों में से सुयोग्य एवं ज्येष्ठ सांख्यकीय सहायक की, जो कि वांछित अर्हता रखते हों, पदोन्नति तदर्थ आधार पर करके की जाती है।

अर्हता—इस पद के लिये वांछित अर्हता निम्न है:—

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यकीय में स्नातकोत्तर उपाधि (Master's Degree) आधुनिक सांख्यकीय प्रविधि (Modern Statistical Technique) में कम से कम दो वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के साथ-साथ आई० एस० आई० अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उच्च सांख्यकीय में ट्रेनिंग अथवा डिप्लोमा। साथ ही आधुनिक सांख्यकीय प्रविधि के प्रयोग में कम के कम पांच वर्ष का अनुभव।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि तथा वन संशोधन, वन सर्वे तथा वन सांख्यकीय में कम से कम १० वर्ष का अनुभव।

अराजपत्रित कर्मचारी

१—सांख्यकीय सहायक

नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होनी चाहिये, किन्तु इस विभाग के स्टेटिस्टिकल कम्प्यूटरों तथा स्टेटिस्टिकल कम्पाइलरों ने इस पद पर नियुक्ति केवल विभागीय स्टेटिस्टिकल कम्प्यूटरों तथा कम्पाइलरों की पदोन्नति के आधार पर करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन (Representation) कर रखा है। यह प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है।

इस समय कार्य चलाने हेतु स्टेटिस्टिकल सहायकों के समस्त पदों पर विभागीय स्टेटिस्टिकल कम्प्यूटरों तथा कम्पाइलरों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति करके नियुक्ति कर दी गई है—

अर्हता—इस पद हेतु निम्न अर्हता निर्धारित की गई है:—

(१) गणित या सांख्यकीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा गणित सांख्यकीय में स्नातकोत्तर, बी० ए० के विषयों में अर्थशास्त्र भी एक विषय रखने वालों को अधिमान दिया जायगा।

या

(२) अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि जिनका बी० ए० या बी० एस० सी० में गणित, सांख्यकीय या गणित सांख्यकीय एक विषय रहा हो।

या

(३) सांख्यकीय स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्था से द्विवर्षीय सांख्यकीय डिप्लोमा (Diploma)। बी० ए० के विषयों में अर्थशास्त्र रखने वाले को अधिमान दिया जावेगा।

२—स्टेटिस्टिकल कम्प्यूटर

नियुक्ति—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से की जाती है तथा सांख्यकीय सेवा के सुयोग्य तथा ज्येष्ठ स्टेटिस्टिकल कम्पाइलरों की पदोन्नति करके तदर्थ आधार पर भी की जाती है।

अर्हता—गणित अथवा सांख्यकीय के साथ बी० ए० या बी० एस-सी०। संकलन एंव संगणक कार्य के अनुभव वाले को वरीयता दी जायगी।

३—स्टेटिस्टिकल कम्पाइलर,

नियुक्ति—वन विभाग के इस श्रेणी के और पदों के समान सेवा योजन कार्यालयों के माध्यम से की जाती है।

अर्हता—

(१) गणित या सांख्यकीय के साथ स्नातक।

या

(२) अर्थशास्त्र का स्नातक जिसका इन्टरमीडिएट में गणित एक विषय रहा हो।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर]

सूची

क्रमांक	नाम वन पंचायत	क्षेत्रफल एकड़ में	क्रमांक	नाम वन पंचायत	क्षेत्रफल एकड़ में
१	गड़गड़ी ..	१३९	३१	आम क्वैराला ..	३४०
२	धानाचूली ..	१५३८-६४७	३२	ल्वाड ..	२५५९
३	सुन्दर खाल ..	३२२	३३	डाककन्या ..	११६४
४	परवड़ा ..	७१२	३४	रिखाकोट ..	३३५
५	लेटबूगा ..	१४५	३५	पूटगांव ..	४२७
६	मंजूली ..	१९८	३६	पोखरी ..	४७८
७	सेलालेख ..	२७४	३७	बबयाड ..	९५४
८	नीलपहाड़ी ..	२९३	३८	च्यूडीगाड ..	९७४
९	अनूठी ..	२००	३९	बूरौसी ..	१०३
१०	गहना ..	४७९-५५	४०	चौखुटा ..	३४०-९७२
११	सोनगांव ..	१३२	४१	सूपी ..	१३८
१२	साबूडी गांव ..	८०	४२	सतखौल ..	१५७
१३	गोडियाहल्सू ..	७१३३-५	४३	कुन्डल ..	३९४
१४	बडैत ..	२३१-१६	४४	सरना ..	१२१५
१५	बड़ौन ..	१६९५	४५	बजटिया ..	३०
१६	सुनकिया ..	२९९	४६	ग्वेटी ..	३२
१७	लोहाली ..	४२१	४७	पयाखीली ..	२५
१८	कुजोली ..	६६-१५	४८	सात बूंगा ..	२५८
१९	मझेडा ..	१३६	४९	लूगडाबडौन ..	१७५९
२०	बुडोवना ..	२०८	५०	मैतोली ..	५२७
२१	नथुवाखान ..	१६४	५१	अनरपा ..	३४०
२२	न्योडा ..	४९	५२	सुरग ..	६९६
२३	कोटली ..	१४३	५३	सुरियागांव ..	८५२
२४	कोटली (शिजला) ..	४७	५४	धानाचूली ..	३०
२५	जमराडी ..	६२	५५	सपडी ..	४६
२६	रकुश ..	२१	५६	पिनरौ ..	९१२
२७	मटैला ..	२५२	५७	पस्तोला ..	५२१
२८	चमोलीगांजा ..	७४०	५८	पवाना ..	२५८
२९	कक्कोड ..	४३	५९	पाडेगांव ..	१९५
३०	कक्कोड (कालाआगार)	३६१	६०	अमिया ..	९५०

क्रमांक	नाम वन पंचायत	क्षेत्रफल एकड़ में	क्रमांक	नाम वन पंचायत	क्षेत्रफल एकड़ में
६१	अमृतपुर ..	३८०	९५	पश्या ..	१२८
६२	दौनी ..	६३४	९६	पुटपुडी ..	४४
६३	कुलौरी ..	९९२	९७	रहेली ..	५०
६४	सलियाकोट ..	११५	९८	धारी ..	४२१
६५	चमोली ..	४०	९९	आटासुयाल ..	४३९
६६	डहरा ..	७७६	१००	सितौली ..	१२०
६७	नगरियागांव ..	१७	१०१	जंगलिया गांव ..	४५७
६८	गलनी ..	८४	१०२	लउफोडा ..	५०
६९	उदुवा ..	१२९२	१०३	तोलधारी ..	३४५
७०	उदियारी ..	२४	१०४	रोलजंगल ..	१४५६
७१	दरमाना ..	५१२	१०५	क्वदल ..	३२२
७२	मैतोलियागांव ..	२९६	१०६	सलियाकोट ..	७५
७३	खैरना ..	३५७	१०७	खेतीखाल (विश्यूला)	४६४
७४	भौरसा ..	८१४	१०८	मल्लाहडा खान ..	१२०
७५	अमजड़ ..	२२३	१०९	बारगाल ..	२३६
७६	अवैड़ा ..	१२३०	११०	सूरस्यारी ..	५०
७७	किलोर ..	२९८	१११	पदमपुर ..	१४१
७८	ओखलदूगा ..	२८५	११२	कटौलिया (चौगड़)	१०२
७९	किलोर (कुरालगांव)	४१	११३	स्यातमल्ला ..	२३९
८०	कनियां ..	२१४	११४	लौसग्यानी ..	२९५
८१	डोगराडोलमार ..	२२५	११५	करतौला (कालाआगार)	९५
८२	ओखलकांडा ..	९७	११६	जोशोखौता ..	१२५
८३	थली ..	३०९	११७	टलकमा (नथुवाखान)	३०
८४	हरिनगर ..	१६१	११८	कुलौन ..	२५०
८५	लिगूरानी ..	४३३	११९	ढोलीगांव ..	२१५
८६	नरतौला ..	३३१	१२०	डनसोली ..	२३०
८७	थापली ..	१२०	१२१	पैटना (विश्यूला)	५०
८८	आटाखस ..	१६०	१२२	मलवाताल (प०छ: खाता)	१३८
८९	ऊमागढ़ ..	५०	१२३	जैतवालगांव ..	६१५
९०	जडगांवभल्ला ..	४०	१२४	सिरसा (तल्लाकुटोली)	५७९
९१	जडगांवतल्ला ..	४०	१२५	तल्ली पोखरी ..	५०
९२	भैंमपोखरा ..	६०	१२६	दियौली ..	५४
९३	पोखरी भल्ली ..	६०	१२७	ऊचाकोट ..	५५०
९४	कोडार ..	३५	१२८	बूंगा ..	१९५

क्रमांक	नाम वन पंचायत	क्षेत्रफल एकड़ में	क्रमांक	नाम वन पंचायत	क्षेत्रफल एकड़ में
१२९	बुढ़लाकोट ..	११०	१५७	सूनकोट ..	५५
१३०	रानी बाग ..	२९	१५८	केडगांव ..	२८२
१३१	अमगड़ी ..	२४५	१५९	सिलाखेट ..	२१
१३२	गटगड ..	२१	१६०	बरौली ..	९०
१३३	नैकना ..	५९२	१६१	कटना ..	३०
१३४	बैना ..	३२०	१६२	बोहराकोट ..	५
१३५	तिलवान ..	६२	१६३	सोनखुमारी ..	११२
१३६	खेती ..	९५	१६४	भूमका	४६
१३७	बनतोली ..	१८२	१६५	पवैना ..	७४
१३८	रमलगांव ..	५	१६६	बारी ..	४८
१३९	बरमबार ..	७०	१६७	कोटला ..	१२५
१४०	मजूड़ी (चमौड़ी)	८३	१६८	पोखरी (चौगढ़)	१००
१४१	मौनागांव ..	१५	१६९	अमोठा ..	१२५
१४२	बलना ..	१३५	१७०	नाइसैला ..	२८
१४३	काडातल्ला ..	५९२	१७१	कोल ..	५९
१४४	समायतकन्या ..	१४२	१७२	भड़कोट ..	१४५
१४५	खेतीदिवारखोली	१०२	१७३	उदियारी ..	१५५
१४६	तलाकोट ..	४८	१७४	मोहना गांव ..	३२१
१४७	खनस्यू	५०	१७५	दाडिमा ..	९६५
१४८	दुगरी ..	१८०	१७६	सिमायल ..	१६४
१४९	खलाड ..	१७०	१७७	डगरी ..	४९
१५०	फलस्यानी (धनियाकोट)	१०५	१७८	ल्यूसाल ..	५३, १/२
१५१	रौखड ..	४२	१७९	केवरुवा ..	२८, १/२
१५२	चौपड़ा ..	८५	१८०	दियगूरानी ..	५४
१५३	मौनरा ..	६२	१८१	पतलिया ..	११५
१५४	डालौन ..	४२	१८२	सिमसीला ..	३५
१५५	सूनी ..	१५०	१८३	मल्लाकांडा ..	५४
१५६	पेटा ..	७१			

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९१ पर)

हल्द्वानी वन प्रभाग के डौली रेन्ज के

किशनपुर कम्पार्टमेंट नम्बर १ के अतिक्रमणकारियों की सूची

क्रम-सं०	नाम	पिता का नाम	क्रम-सं०	नाम	पिता का नाम
१	२	३	१	२	३
	सर्वश्री—		१८	वाकीराम	अनीराम
१	फकीरराम	लच्छीराम	१९	हरराम	अनीराम
२	गुसाईराम	लच्छीराम	२०	धरमादेवी	विधवा
३	नारायण राम	नरराम	२१	गोविन्दराम	किशनराम
४	मोहनराम	नरराम	२२	बुद्धराम	हरराम
५	भवानी देवी	विधवा	२३	मोहनराम	शेरराम
६	लालूराम	लछराम	२४	प्रतापराम	नरीराम
७	कमलराम	सोमराम	२५	मधनराम	भवानराम
८	शेरराम	कुवरराम	२६	कैचनराम	मोहनराम
९	बहादुरराम	कुवरराम	२७	बलवन्तराम	मोहनराम
१०	बहादुरराम	खीमराम	२८	कैशीराम	डुंगरराम
११	भवानीराम	मोहनराम	२९	दिवानराम	नरराम
१२	मनीराम	मोहनराम	३०	खीमराम	कमलराम
१३	लच्छीराम	मोहनराम	३१	कुशलराम	जोगाराम
१४	बहादुरराम	देवराम	३२	हरराम	नैनराम
१५	शेरराम	फकीरराम	३३	देवराम	खीमराम
१६	किशनराम	मोहनराम	३४	फकीरराम	टिकराम
१७	उत्तमराम	विशनराम	३५	किशनराम	कुशराम

अमर उजाला प्रकाशन

तराई भावर वन प्रभाग के रामनगर रेंज आमपोखरा ब्लाक आरक्षित वन (ए) जो कि ढेला बैराज के निकट है, में अतिक्रमण का प्रयास करने वालों की सूची

क्रम-सं०	नाम	पिता का नाम	क्रम-सं०	नाम	पिता का नाम
१	२	३	१	२	३
	सर्वश्री—		२४	बिजली	देव
१	हरीश चन्द्र	कतता राया	२५	रामाशंकर	रामभजन
२	सुदामा	शिवचरण	२६	वीरा	राजवलीराम
३	बन्दा	जग अप शाह	२७	राम लाल	मेहरचन्द्र
४	चन्द्रका राम	नाहके राम	२८	ईश्वरदास	निक्कू
५	पुन्नी लाल	शम जम	२९	नारायणदास	पितूराम
६	द्वारिका राम	शिव रतन	३०	ओम प्रकाश	वलाराम
७	खनरे	नर्तनी	३१	भगवान सिंह	गंदा सिंह
८	राम प्यारे	गनपत	३२	रामधन	कल्लू
९	गुलाब	लोचन	३३	रामस्वरूप	शिवरतन
१०	कमल	सीता	३४	राजमंगल	नाजर
११	गुलाब	लग्न	३५	रामनरेश	झकरी
१२	हरवंश	सुमना	३६	पल्लूराम	चम्बूराम
१३	सुदामा	शिवचरन	३७	धरी छापा	हुलास
१४	श्यामवली	शिवाला	३८	मोरी राम	दीवान चन्द्र
१५	रामा	तुफानी	३९	फीज धर	वावराम
१६	परशुराम	रामअवध	४०	जोधा सिंह	सुबीर सिंह
१७	विक्रम	गोपाल	४१	जगन्नाथ	गुसाईराम
१८	हीरा	मगल राम	४२	हरी	कल्लू
१९	दुखन	शिब्बू	४३	सुबेदार	दक्खू
२०	राम अवध	अगऊ	४४	रामलखन	बनवारी
२१	नगीना	मुच्चन	४५	श्री राम	गाजर
२२	नन्नी	ठोकरा	४६	छड़ें	खूब लाल
२३	रमायन	पुल्लन	४७	चलू राम	सुन्दर राम

पी०एम०यू०पी० —एल० १२७ वि०सभा (६३६)—१९७६—८४५।